CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

# कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तिका

(जनवरी, 2026 तक संशोधित)

# A BOOKLET ON WELFARE SCHEMES

(Corrected up to January, 2026)

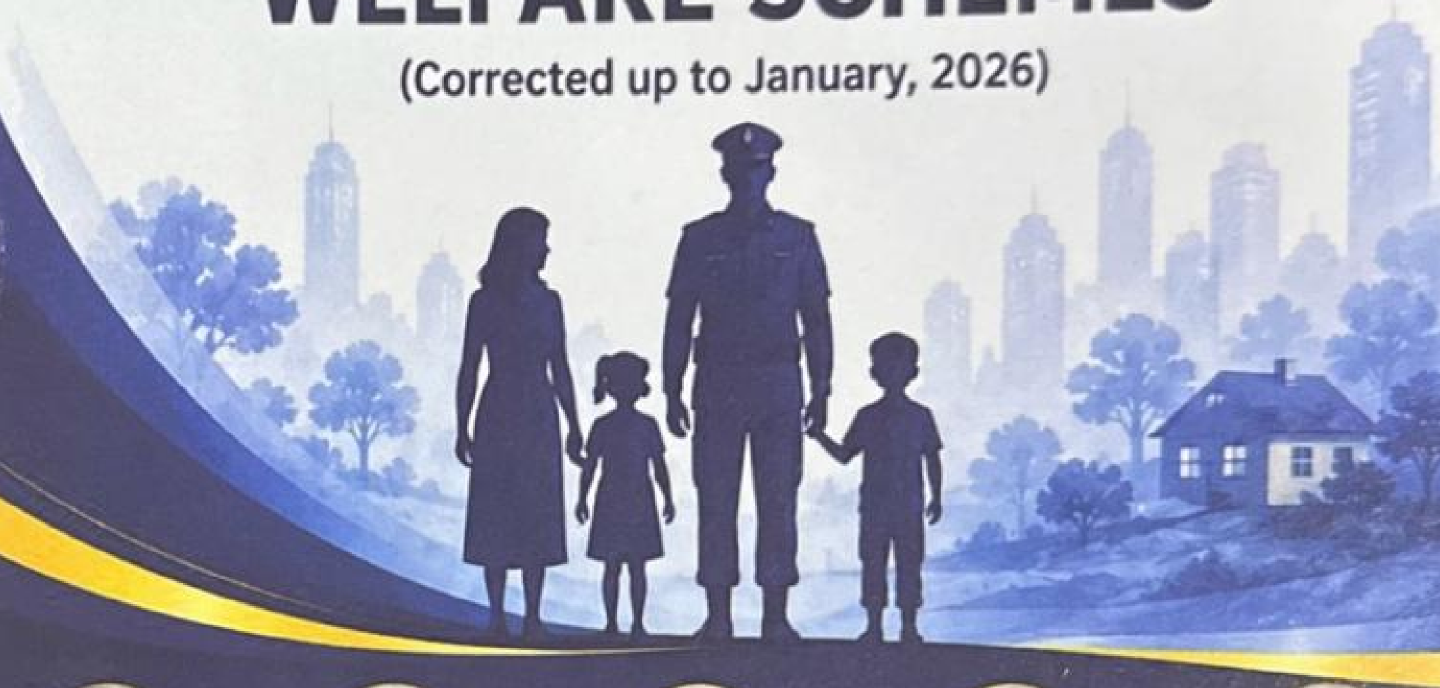

**महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल**

**Directorate, Central Reserve Police Force**

सेवा और निष्ठा

## संदेश

मुझे सेवारत, सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा हमारे मृतक एवं वीर बलिदानियों के निकटतम परिजनों के लिए "कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तिका" के इस संशोधित संकलन को प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह प्रकाशन बल के कार्मिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सीआरपीएफ के कर्तव्यों की चुनौतीपूर्ण प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह पुस्तिका सभी रैंकों के लिए वित्तीय एवं कल्याणकारी योजनाओ से संबंधित अद्यतन एवं आवश्यक जानकारी को संक्षिप्त रूप में उपलब्ध कराएगी। किसी भी कल्याणकारी योजना की वास्तविक सफलता उसके समय व प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। मैं सभी कार्यालय प्रमुखों से यह आग्रह करता हूँ कि इन महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसार सैनिक सम्मेलनों एवं परिवार कल्याण केंद्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए, ताकि इसकी जानकारी देश से सबसे अग्रिम व दूरस्थ तैनाती वाले परिचालनिक बेसों में तैनात जवानो तक निर्बाध रूप से पहुँच सके। हमें अपने मृतक, वीर बलिदानियों के परिवारों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों को मार्गदर्शन प्रदान करने मे प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को सहजता एवं गरिमा के साथ पूर्ण कर सकें।

मैं श्री पॉली पी.पी., उपमहानिरीक्षक (कल्याण), सभी अधिकारियों एवं कार्मिको को इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को अद्यतन करने हेतु उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। निरंतर सहायता की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए, हम सीआरपीएफ के आदर्श वाक्य - "सेवा एवं निष्ठा" के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराते हैं। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका एक त्वरित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करेगी तथा राष्ट्र की सेवा में समर्पित जवानो के भविष्य को सशक्त एवं सुरक्षित बनाने में सहायक सिद्ध होगी। जय हिन्द ।

**(जी.पी. सिंह)**
**महानिदेशक**

# MESSAGE

I am pleased to present the revised compendium, "A Booklet on Welfare Schemes" for serving and retired personnel, as well as the "Next of Kin" of our deceased and Veer Balidanies. This publication reflects our unwavering commitment to the well-being of the Force personnel and families.

Given the demanding nature of CRPF duties, this booklet will surely provide updated, essential information on financial and welfare entitlements in a concise format for all ranks. However, the effectiveness of these initiatives depends on their timely delivery. I urge all HOOs to ensure this information is disseminated to all Jawans through Sainik Sammelans and Family Welfare Centers, reaching even the most forward-operating bases. We must prioritize guiding the families of our deceased, Veer Balidanies and retirees to enable them in navigating procedural requirements with ease and dignity.

I commend Shri Pauly P.P., DIG (Welfare), officers and entire staff of the Welfare Directorate for their meticulous efforts in updating this vital document. By fostering a culture of proactive assistance, we reaffirm the ethos of CRPF - "Service & Loyalty". I am confident that this booklet will serve as a quick guide, empowering and safeguarding the future of those who serve the Nation. Jai Hind.

**(G.P. Singh)**

**DIRECTOR GENERAL**

## अनुक्रमणिका


| अध्याय संख्या | विषय | पृष्ठ सं० |
|---|---|---|
| 01 | कर्मचारी शैक्षिक संस्था | 01-02 |
| 02 | शिक्षा निधि | 03-10 |
| 03 | जोखिम निधि | 11-14 |
| 04 | केंद्रीय कल्याण निधि | 15-19 |
| 05 | विशेष राहत कोष | 20 |
| 06 | कल्याण एवं सुख–सुविधा निधि | 21-22 |
| 07 | कार्रवाई के दौरान मारे गए कार्मिकों के उत्तराधिकारियों को केरिपुबल तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सहायताओं का विवरण | 23-32 |
| 08 | केरिपुबल कार्मिकों को केंद्र सरकार से मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभ | 33-40 |
| 09 | केंद्रीय सेवाओं में नव नियुक्तों की नई पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पेंशन सम्बन्धी लाभ | 41-42 |
| 10 | सी.आर.पी.एफ परिवार कल्याण संस्था (कावा) द्वारा संचालित गतिविधियाँ | 43-49 |
| 11 | मृत्यु/अशक्तता पर राज्य द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि के संबंध में समेकित विवरण | 50-59 |
| 12 | विविध | 60-64 |
| 13 | केरिपुबल वेटरन सेल एवं अनुभव अवार्ड | 65-67 |
| 14 | बल के जवानों एवं दिवंगत कार्मिकों के उत्तराधिकारियों की आर्थिक योजना व साईबर ठगी | 68-71 |

## INDEX


| CHAPTER NO. | SUBJECT | Page No. |
|---|---|---|
| 01 | CRPF Employees Educational Society | 01-02 |
| 02 | Education Fund | 03-10 |
| 03 | Risk Premia Fund | 11-14 |
| 04 | Central Welfare Fund | 15-19 |
| 05 | Special Relief Fund | 20 |
| 06 | Welfare & Amenities Fund | 21-22 |
| 07 | Financial Assistance Admissible to NOK of Personnel Killed in Action from CRPF and Central Govt. | 23-32 |
| 08 | Retirement Benefits to CRPF Personnel from Central Government | 33-40 |
| 09 | Pensionary Benefits in New Pension Scheme | 41-42 |
| 10 | CRPF Family Welfare Association (CWA) | 43-49 |
| 11 | Ex-Gratia on Death / Disability | 50-59 |
| 12 | Miscellaneous | 60-64 |
| 13 | CRPF Veterans Cell & Anubhav Award | 65-67 |
| 14 | Financial Planning by Jawans/NOKs of Deceased Personnel & Cyber Fraud | 68-71 |

## अध्याय-01
## के.रि.पु.बल कर्मचारी शैक्षिक संस्था
## (मई 1986 से)

संस्था अधिनियम-1860 की धारा XXI के तहत संस्था पंजीयक, दिल्ली प्रशासन के दिनांक 22/05/1986 के पत्र द्वारा के.रि.पु.बल कर्मचारी शैक्षिक संस्था पंजीकृत है।

**1. अंशदान**

वर्ष 2023-24 के जी.बी.मीटिंग के तहत के.रि.पु.बल कर्मचारी शैक्षिक संस्था का अंशदान दिनांक 01/01/2025 से बंद कर दिया गया है।

**2. के.रि.पु.बल कर्मचारी शैक्षिक संस्था द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था**

**a) विद्यालयों का विवरण**

| क्रमांक | विद्यालय का नाम व स्थान | कक्षा तक | स्वीकृत संख्या | हॉस्टल सुविधा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सी.आर.पी.एफ. पब्लिक स्कूल, रोहिणी, नई दिल्ली | 12वीं | 2250 | उपलब्ध |
| 2 | सी.आर.पी.एफ. पब्लिक स्कूल, द्वारका, नई दिल्ली | 12वीं | 1932 | उपलब्ध नही है |
| 3 | सी.आर.पी.एफ. पब्लिक स्कूल, जवाहर नगर, सिकन्दराबाद, तेलंगाना | 12वीं | 2000 | उपलब्ध |

**b) केरिपुबल के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का विवरण**

I. केरिपुबल, एकीकृत तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई.) आवड़ी (स्था. 1990)

| क्रमांक | पाठ्यक्रम | कोर्स अवधि | स्वीकृत संख्या | हॉस्टल सुविधा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इलेक्ट्रिशियन | 2 वर्ष | 60 | उपलब्ध |
| 2 | मोटर मैकेनिक | 2 वर्ष | 72 | |
| 3 | ऑटोमोबाइल | 1 वर्ष | 25 | |
| 4 | इलेक्ट्रॉनिक्स | 1 वर्ष | 25 | |

# CHAPTER-01
# CRPF EMPLOYEES EDUCATIONAL SOCIETY
# (SINCE MAY-1986)

CRPF Employees Educational Society is registered under Society Act XXI of 1860 vide Society Registrar, Delhi administration letter dated 22/05/1986.

## 1. SUBSCRIPTION:

Subscription towards CRPF Employees Educational Society has been stopped w.e.f. 01.01.2025 as decided in GB Meeting, 2023-24.

## 2. EDUCATIONAL INSTITUTIONS RUN FROM CRPF EMPLOYEES EDUCATIONAL SOCIETY FUND.

**a) Details of schools**

| S. No. | Name of the school with place | Class Up to | Sanctioned Strength | Hostel facility |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRPF Public School Rohini, New Delhi | 12th | 2250 | Available |
| 2 | CRPF Public School Dwarka, New Delhi | 12th | 1932 | Not Available |
| 3 | CRPF Public School Jawahar Nagar, Secunderabad, Telangana | 12th | 2000 | Available |

**b) Details of CRPF Industrial Training Institutes**

I. CRPF Integrated Technical Institute (ITI) Avadi (Estd 1990)

| S. No | Course | Course Duration | Sanctioned Strength | Hostel Facility |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrician | 2 years | 60 | Available |
| 2 | Motor Mechanic | 2 years | 72 | |
| 3 | Automobile | 1 year | 25 | |
| 4 | Electronics | 1 year | 25 | |

| क्रमांक | पाठ्यक्रम | कोर्स अवधि | स्वीकृत संख्या | हॉस्टल सुविधा |
|---|---|---|---|---|
| 5 | रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशन मेकैनिक | 1 वर्ष | 25 | |
| 6 | फिटर | 1 वर्ष | 25 | |
| **योग** | | | **232** | |

II. केरिपुबल, एकीकृत तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई), भुवनेश्वर, ओडिसा

***(स्थापना 1995 तथा दिनांक 11/10/2022 से बंद कर दिया गया है)***

III. केरिपुबल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, (आई.आई. एंड टी) वजीराबाद, नई दिल्ली

***(स्थापना 1999 तथा दिनांक 14/11/2022 से बंद कर दिया गया है)***

IV. केरिपुबल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (आई.टी.सी), वजीराबाद, नई दिल्ली

***(स्थापना 1989 तथा दिनांक 19/11/2023 से बंद कर दिया गया है)***

**3. के.रि.पु.बल कर्मचारी शैक्षिक संस्था निधि से छात्रवृति**

**i. अशोक चक्र प्राप्तकर्ता श्रीमती कमलेश कुमारी छात्रवृत्ति** (2014–15 से) रू० 15000/– की दर से प्रत्येक वर्ष 11वीं कक्षा के (केरिपुबल के बच्चों में से) तीन शीर्षस्थ छात्रों (विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संवर्ग, प्रत्येक से एक को) जो केरिपुबल पब्लिक स्कूल रोहिणी / द्वारका, नई दिल्ली और जवाहर नगर, रंगारेड्डी (तेलंगाना) में 12वीं में लगातार अध्ययनरत हैं, को दी जा रही है।

**ii. शहीद प्रमोद कुमार छात्रवृति योजना (2015–16)** रू 2000/- प्रतिमाह की दर से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऐसे कार्मिकों के बच्चे, जो कक्षा दो से बारह तक अधययनरत है, व जिनकी परिचालन / सेवा के दौरान किन्ही कारणों से मृत्यु हुई है या परिचालन के दौरान 100 प्रतिशत अशक्त हुए हों, को प्रदान की जा रही है।

*******

| S. No | Course | Course Duration | Sanctioned Strength | Hostel Facility |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Refrigeration and A/C Mechanic | 1 year | 25 | |
| 6 | Fitter | 1 year | 25 | |
| **Total** | | | **232** | |

II. CRPF Integrated Technical Institute (ITI) Bhubaneswar, Odisha.

***(Estd 1995 and Closed w.e.f. 11/10/2022)***

III. CRPF Institute of Information and Technology (II &T) Wazirabad, New Delhi.

***(Estd. 1999 and Closed w.e.f. 14/11/2022)***

IV. CRPF Industrial Training Centre, (ITC) Wazirabad, New Delhi.

***(Estd. 1989 and Closed w.e.f. 19/11/2023)***

**3. SCHOLARSHIPS FROM CRPF EMPLOYEES EDUCATIONAL SOCIETY FUND**

**i. Ashok Chakra Smt. Kamlesh Kumari Scholarship** (wef.2014-15) @ Rs.15000/- is being awarded every year to three topper students (CRPF Wards) of class 11$^{th}$ (i.e. one each from Science, Commerce & Arts stream) of CRPF Public Schools Rohini / Dwarka, New Delhi and Jawahar Nagar, Rangareddy (Telangana) who are continuing study in 10+2 in CRPF Public Schools.

**ii. Shaheed Pramod Kumar Scholarship Scheme** (wef. 2015-16) @ 2000/- per month is being awarded to the wards studying in class 2 to 12, of those personnel of CRPF, who were killed in action / died due to any other reasons or sustained 100% disability in action during service.

*******

## अध्याय–02
## शिक्षा निधि
## (जनवरी, 1979 से संस्थापित)

केरिपुबल के आश्रितों को छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 01/01/1979 से शिक्षा निधि की शुरुआत की गई।

### 1. अंशदान

जीबी मीटिंग वर्ष 2024-25 के तहत दिनांक 01/01/2026 से वार्षिक अंशदान की दरें निम्न प्रकार हैं:–

अन्य रैंक - रु 600/-

अधीनस्थ अधिकारी - रु 900/-

राजपत्रित अधिकारी - रु 1250/-

*(प्रत्येक वर्ष जनवरी और सितम्बर माह के वेतन से दो समान किस्तों में कटौती की जाती है।)*

### 2. शिक्षा निधि से शैक्षणिक सहायता

**(क) (i) शैक्षणिक सहायता :–** केवल पहले दो बच्चे छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। जीबी मीटिंग वर्ष 2024-25 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से दरों का विवरण निम्न प्रकार हैः-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | स्कूल स्तर | कक्षा 2 से 5 | रु 6,00/- प्रति वर्ष |
| | | कक्षा 6 से 8 | रु 8,00/- प्रति वर्ष |
| | | कक्षा 9 से 12 | रु 3,000/- प्रति वर्ष |
| (ii) | कॉलेज स्तर | कला / वाणिज्य वर्ग | रु 3,800/- प्रति वर्ष |
| | | विज्ञान वर्ग | रु 4,500/- प्रति वर्ष |
| (iii) | तकनीकी पाठ्यक्रम वर्ग – **‘क’** | राजपत्रित अधिकारियों के वार्ड के लिए | रु 22,500/- प्रति वर्ष |
| | | अधीनस्थ अधिकारियों के वार्ड के लिए | रु 40,000/- प्रति वर्ष |
| | | अन्य रैंकों के वार्ड के लिए | रु 54,000/- प्रति वर्ष |

# CHAPTER-02
# EDUCATION FUND
# (Estt. since January, 1979)

Education fund was started on 01/01/1979 to provide educational and financial assistance to the wards of CRPF.

## 1. SUBSCRIPTION

Subscription rates revised w.e.f. 01/01/2026 p.a. as per decision of GBM 2024-25 are given below:

| | | |
|---|---|---|
| ORs | - | Rs. 600/- |
| SOs | - | Rs. 900/- |
| GOs | - | Rs. 1250/- |

*(Deducted in two equal installments from the pay of January and September every year)*

## 2. EDUCATIONAL ASSISTANCE FROM EDUCATION FUND

**(A) (i) Educational Assistance:** Only the first two children are eligible to avail the scholarship benefit. Details of the rates applicable from the financial year 2026-27, as per the GB meeting for the year 2024-25, are as follows:

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | School level | II to V | Rs. 600/- p.a. |
| | | VI to VIII | Rs. 800/- p.a. |
| | | Class IX to XII | Rs. 3,000/- p.a. |
| (ii) | College level | Arts/Commerce Group | Rs. 3,800/- p.a. |
| | | Science Group | Rs. 4,500/- p.a. |
| (iii) | Technical Courses Category– **'A'** | Wards of GOs | Rs.22,500/- p.a. |
| | | Wards of SOs | Rs.40,000/- p.a. |
| | | Wards of ORs | Rs.54,000/- p.a. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (iv) | व्यावसायिक पाठ्यक्रम वर्ग – **'ख'** | राजपत्रित अधिकारियों के वार्ड के लिए | रु 10,500/- प्रति वर्ष |
| | | अधीनस्थ अधिकारियों के वार्ड के लिए | रु 13,800/- प्रति वर्ष |
| | | अन्य रैंकों के वार्ड के लिए | रु 17,300/- प्रति वर्ष |

**(ii) इकलौती कन्या हेतु शैक्षिक सहायता :–** इकलौती कन्या के मामलों में कक्षा 5 से आगे की छात्रवृत्ति सामान्य दर से दुगनी दी जाएगी।

**(iii) बल के कार्मिकों के दिव्यांग बच्चों को शैक्षिक सहायता :–** बल के कार्मिकों के दिव्यांग बच्चों के मामलों में कक्षा 2 से आगे शैक्षिक सहायता सामान्य दर से दुगनी दी जाएगी।

**(iv)**बल के कार्मिकों के दिव्यांग / अशक्त बच्चो को, जो अपने घर में रह कर अधययन करना चाहते है, उनको शिक्षा सहायता नियमों के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। इस संबंध में उनके अभिभावकों के द्वारा स्वयं प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

**(v)** बल के शहीदों तथा सक्रिय ड्यूटी के दौरान 100% अशक्त होने एवं बाद में सेवा से इस आधार पर सेवामुक्त किए गए कार्मिकों के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2015–16 से स्नातक स्तर तक सामान्य दर से शैक्षिक सहायता प्रदान करना प्रारंभ किया है।

**(vi)** शैक्षणिक सत्र 2018–19 से बल के सभी मृतक कार्मिकों के 12वीं कक्षा तक के बच्चों (शहीदो को छोड़कर) को शिक्षा निधि से दी जाने वाली शैक्षिक सहायता की दर को दुगना कर दिया गया है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| (iv) | Professional Courses Categor– **‘B’** | Wards of GOs | Rs. 10,500/- p.a. |
| | | Wards of SOs | Rs.13,800/- p.a. |
| | | Wards of ORs | Rs. 17,300/- p.a. |

**(ii) Educational Assistance for single girl child:-** Educational assistance to single girl child will be paid at double of normal rates from Class 5th onward.

**(iii) Educational Assistance for Differently abled wards of Force Personnel:-** Educational assistance will be paid double of normal rates from Class 2nd onwards in case of differently abled wards of force personnel.

**(iv)** Differently abled wards of CRPF personnel who want to study at home will be paid educational assistance as per the existing rates and standing instructions on the basis of self certification by their parents.

**(v)** Educational Assistance up to graduation level for the wards of Martyrs and personnel sustained 100% disability during active duty and boarded out from service has been introduced at normal rate from the academic year 2015-16 onwards.

**(vi)** Educational Assistance for the wards of all deceased personnel (except martyrs) up to class 12th has been introduced at double of the existing rates from the Education Fund from the academic year 2018-19 onwards.

**(vii)** सीआरपीएफ कार्मिकों के उन आश्रित बच्चों, जो विदेश में स्नातक, स्नातकोत्तर, एमबीए अथवा अन्य तकनीकी/व्यावसायिक डिग्री पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे सीआरपीएफ कार्मिकों के आश्रित बच्चों के समान नियमों एवं शर्तों के अधीन शैक्षिक सहायता प्रदान की जाए।

**(ख) कक्षा 10वीं में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कार्मिकों के बच्चो को रूपये 5,000/- की विशेष नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।**

**(ग) बल के कार्मिकों के बच्चों को 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में**

- 85 से 90 प्रतिशत तक को रू 5000/-,
- 90 से 95 प्रतिशत को रू 10,000/-, और
- कुल 95 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने पर रू 15,000/-

के विशेष नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

**(घ) महानिदेशक ट्रॉफी**

महानिदेशक ट्रॉफी बल के कार्मिकों (सेवारत / सेवानिवृत्त / शहीद / मृतक) के बच्चों को 12वीं कक्षा में (प्रत्येक विषय – विज्ञान / कला / वाणिज्य) शीर्ष 3 उच्चतम अंक प्राप्त करने वालों को नकद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी प्रदान की जाती है।

क) प्रथम पुरस्कार — रू 25,000/- (ट्रॉफी व सर्टिफिकेट सहित)

ख) द्वितीय पुरस्कार — रू 20,000/- (ट्रॉफी व सर्टिफिकेट सहित)

ग) तृतीय पुरस्कार — रू 15,000/- (ट्रॉफी व सर्टिफिकेट सहित)

**3. अन्य छात्रवृत्तियाँ**

**(i) प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना:-** तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीएपीएफ कार्मिकों के बच्चों के लिए "*प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना*" के तहत छात्राओं को प्रति वर्ष रू 36,000/- और छात्रों को रू 30,000/- की राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सूबेदार मेजर / निरीक्षक तक के पदों के कार्मिकों के लिए लागू है।

**(vii)** Educational assistance extended to the wards of CRPF personnel pursuing higher education abroad, including Graduation, Post-Graduation, MBA, and other technical or professional degree programmes, on the same terms and conditions as applicable to the wards of CRPF personnel pursuing higher education in India.

**(B) Special Cash Prize @ Rs. 5,000/ - each to wards of Force personnel who score 90% and above in class 10th.**

**(C) Special cash prizes will be given to the wards of Force personnel**

- Rs.5,000/- who get 85% to 90%
- Rs.10,000/- who get above 90% to 95%
- Rs.15,000/- who get above 95% marks in aggregate in the Board examination of Class 12th.

**(D) DGs TROPHY**

DGs Trophy & Award will be provided for academic excellence to top 3 wards of serving/retired/deceased/ martyrs, who got highest marks in class 12th in each stream i.e. Science, Commerce & Arts, as per following rates:

a) 1st Prize Rs. 25,000/- (with Trophy and certificate)
b) 2nd Prize Rs. 20,000/-( with Trophy and certificate)
c) 3rd Prize Rs. 15,000/- (with Trophy and certificate)

**3. OTHER SCHOLARSHIPS**

**(i) Prime Minister's Scholarship Scheme:-** Scholarship amount of Rs. 36,000/-p.a to Girls and Rs.30,000/- p.a. to boys from 'Prime Minister Scholarship Scheme' to wards of the personnel of the CAPFs to encourage technical and professional courses. Above Scholarship is applicable up to the rank of SM/Insp.

निम्नलिखित वर्ग छात्रवृत्ति के पात्र हैं :–

| | | |
|---|---|---|
| I | वर्ग – ए | परिचालन ड्यूटी के दौरान मारे गये सीएपीएफ एवं ए.आर कार्मिकों के बच्चे । |
| II | वर्ग – बी | परिचालन ड्यूटी के दौरान अशक्त हुए सीएपीएफ एवं ए.आर कार्मिकों के बच्चे । |
| III | वर्ग – सी | सरकारी सेवा के निष्पादन सहित चुनाव कराने के दौरान मृत्यु को प्राप्त सी.ए.पी.एफ एवं ए.आर. कार्मिकों के बच्चे । |
| IV | वर्ग – डी | सरकारी सेवा के दौरान अशक्त होने पर भूतपूर्व सी.ए.पी.एफ. एवं ए.आर. कार्मिकों के बच्चे । |
| V | वर्ग – ई | वीरता पदक प्राप्त भूतपूर्व सी.ए.पी.एफ. एवं ए.आर. कार्मिकों के बच्चे । |
| VI | वर्ग – एफ | भूतपूर्व सी.ए.पी.एफ. एवं ए.आर. कार्मिकों के बच्चे (अधिकारियों से निचले स्तर के कार्मिक) |
| VII | वर्ग – जी | छात्रवृत्ति उपलब्ध होने की दशा में, सेवारत सी. ए .पी.एफ. एवं ए.आर. कार्मिकों के बच्चे (अधिकारियों से निचले स्तर के कार्मिक) |

**(ii) श्रवण टण्डन छात्रवृत्ति** – दिनांक 01/04/2016 से आरम्भ की गई।

**(क)** केरिपुबल के शहीदों के 12वीं कक्षा के विज्ञान, कृषि, वाणिज्य तथा कला संकाय के 3 टॉपर विद्यार्थियों को निम्नलिखित विवरणानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है:-

| **क्रम संख्या** | **कक्षा, छात्रवृत्ति के दर तथा संकाय / श्रेणी** | **राशि की गणना** |
|---|---|---|
| 01 | 12वीं कक्षा के 4 संकायो (विज्ञान, कृषि, वाणिज्य तथा कला) में प्रत्येक संकाय के 3 टॉपर विद्यार्थियों को 6,000/- की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। | @ 6000 x 3 x 4 = Rs. 72000/- |

The following categories are eligible for the scholarship:-

| | | |
|---|---|---|
| I | Category-A | Wards/widows of CAPFs & AR personnel killed in action. |
| II | Category-B | Wards/widows of CAPFs & AR personnel disabled in action. |
| III | Category-C | Wards/widows of deceased CAPFs & AR personnel died for causes attributable to Govt. service including casualties during conduct of election. |
| IV | Category-D | Wards of Ex-CAPFs & AR personnel disabled while in service with disability attributable to Govt. service. |
| V | Category-E | Wards of Ex-CAPFs & AR personnel in receipt of Gallantry Awards. |
| VI | Category-F | Wards of Ex-CAPFs & AR personnel (Personnel Below Officer Rank). |
| VII | Category-G | Wards of serving CAPFs & AR personnel (Personnel Below Officer Rank) subject to availability of scholarship. |

**(ii) Shrawan Tandon Scholarship:** Wef. 01/04/2016.

**(A)** The scholarship is awarded to three toppers of 12th class in streams of Science, Agriculture, Commerce & Arts to the wards of CRPF martyrs as per following details: -

| **S. No** | **Class, rate of scholarship and stream/category** | **Calculation of amount** |
|---|---|---|
| 01 | Scholarship to three toppers of 12th class in 4 streams (Science, Agriculture, Commerce & Arts) @ Rs. 6000/- in each stream. | @ 6000 x 3 x 4 = Rs. 72000/- |

**(ख)** 12वीं कक्षा में किसी भी संकाय में यदि शहीदों की किसी छात्रा टॉपर को मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं मिलता है, तो छात्राओं के लिए विशेष तौर पर छात्रवृत्ति को अन्य श्रेणी में शामिल किया जाएगा तथा छात्रवृत्ति की श्रेणियां निम्नानुसार होगीः-

**टॉपर के लिए छात्रवृत्ति**

| **क्रम संख्या** | **कक्षा, छात्रवृत्ति की दर तथा संकाय / श्रेणी** | **राशि की गणना** |
|---|---|---|
| 01 | 12वीं कक्षा के 4 संकायों (विज्ञान, कृषि, वाणिज्य तथा कला) में प्रत्येक संकाय के 3 टॉपर विद्यार्थियों को रुपये 5,000/- की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। | @ 5000 x 3 x 4 = Rs. 60000/- |

**बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति**

| **क्रम संख्या** | **कक्षा, छात्रवृत्ति की दर तथा संकाय / श्रेणी** | **राशि की गणना** |
|---|---|---|
| 01 | 12वीं कक्षा के केवल विज्ञान संकाय में 3 टॉपर विद्यार्थियों को रुपये 5,000/- की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। | @ 5000 x 3 x 1 = Rs. 15000/ |

**नोटः-**

(i) अधीनस्थ अधिकारीगण तथा अन्य रैंकों के शहीदो के बच्चे ही पात्र होंगे। यदि उक्त अनुसार किसी भी श्रेणी में शहीदो के बच्चे पात्र नहीं पाए जाते हैं और स्थान रिक्त रह जाते हैं तो केरिपुबल के ड्यूटी के दौरान मृतक कार्मिकों के बच्चों पर विचार किया जाएगा ।

(ii) सीआरपीएफ पब्लिक स्कूलो में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

**(B)** If no girl ward of martyrs finds merit in toppers list in any stream of 12th class as above, it will then add another category exclusively for girls and categories of scholarship will be as under:-

**Scholarship for Toppers**

| S.No. | Class, rates of scholarship and stream/category | Calculation of amount |
|---|---|---|
| 01 | Scholarship to three topper students of 12th class in 4 streams (Science, Agriculture, Commerce & Arts) @ Rs. 5000/- in each stream. | @ 5000 x 3 x 4 = Rs. 60000/- |

**Scholarship for Girls**

| S.No. | Class, rates of scholarship and stream/category | Calculation of amount |
|---|---|---|
| 01 | Scholarship to three topper students of 12th class in Science stream only @ Rs. 5000/- | @ 5000 x 3 x 1 = Rs. 15000/- |

**NOTE :-**

(i) Wards of SOs & ORs of martyrs are eligible. In case, wards of martyrs are not finding mention in any category as above and slot is left out, then wards of CRPF Personnel died in harness will be considered.

(ii) Students studying in CRPF Public Schools are not eligible.

**4. मॉन्टेसरी स्कूल का विवरण**

बच्चों के नियमित कक्षाओं में दाखिले हेतु तैयारी के लिए वर्तमान में निम्नलिखित 58 स्थानों पर मॉन्टेसरी स्कूल स्थापित हैं :–

| क्र. स | स्थान | क्र. स | स्थान | क्र. स | स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ग्रुप केन्द्र आवड़ी | 02 | ग्रुप केन्द्र I, अजमेर | 03 | ग्रुप केन्द्र II, अजमेर |
| 04 | ग्रुप केन्द्र, प्रयागराज | 05 | ग्रुप केन्द्र, अगरतला | 06 | ग्रुप केन्द्र, अमेठी |
| 07 | ग्रुप केन्द्र, बेंगलुरू | 08 | ग्रुप केन्द्र, भवनेश्वर | 09 | ग्रुप केन्द्र, जम्मू |
| 10 | ग्रुप केन्द्र, भोपाल | 11 | ग्रुप केन्द्र, बिलासपुर | 12 | सी.टी.सी, कोयम्बटूर |
| 13 | ग्रुप केन्द्र, दुर्गापुर | 14 | ग्रुप केन्द्र, ग्वालियर | 15 | ग्रुप केन्द्र, नोएडा |
| 16 | ग्रुप केन्द्र, गाँधीनगर | 17 | ग्रुप केन्द्र, गुवाहाटी | 18 | ग्रुप केन्द्र, गुरूग्राम |
| 19 | ग्रुप केन्द्र, हैदराबाद | 20 | 5वीं सिगनल बटा0 चण्डीगढ़ | 21 | ग्रुप केन्द्र, इम्फाल |
| 22 | ग्रुप केन्द्र, जालंधर | 23 | ग्रुप केन्द्र, खटखटी | 24 | ग्रुप केन्द्र, मुजफ्फरपुर |
| 25 | ग्रुप केन्द्र, लखनऊ | 26 | ग्रुप केन्द्र, मोकामाघाट | 27 | ग्रुप केन्द्र, नीमच |
| 28 | सी.टी.सी-3, नांदेड़ | 29 | आर.टी.सी-3, पेरिंगम | 30 | ग्रुप केन्द्र, नागपुर |
| 31 | ग्रुप केन्द्र, पल्लीपुरम | 32 | एस.डी.जी, नई दिल्ली | 33 | ग्रुप केन्द्र, पिंजौर |
| 34 | ग्रुप केन्द्र, नई दिल्ली | 35 | ग्रुप केन्द्र, पुणे | 36 | ग्रुप केन्द्र, रंगारेड्डी |
| 37 | ग्रुप केन्द्र, रामपुर | 38 | सी.टी.सी (टी एंड आई.टी) राँची | 39 | ग्रुप केन्द्र, श्रीनगर |
| 40 | ग्रुप केन्द्र, सोनीपत | 41 | ग्रुप केन्द्र, चन्दौली | 42 | ग्रुप केन्द्र, सिलिगुड़ी |

## 4. DETAIL OF MONTESSORI SCHOOL

As on date, Montessori schools at 58 locations are functioning to prepare the children for admission to regular classes:-

| S/No. | Location | S/No. | Location | S/ No. | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | GC Avadi | 02 | GC-I Ajmer | 03 | GC-II Ajmer |
| 04 | GC Prayagraj | 05 | GC Agartala | 06 | GC Amethi |
| 07 | GC Bengaluru | 08 | GC Bhubaneswar | 09 | GC Jammu |
| 10 | GC Bhopal | 11 | GC Bilaspur | 12 | CTC Coimbatore |
| 13 | GC Durgapur | 14 | GC Gwalior | 15 | GC G/Noida |
| 16 | GC Gandhinagar | 17 | GC Guwahati | 18 | GC Gurugram |
| 19 | GC Hyderabad | 20 | 5 Sig Bn Chandigarh | 21 | GC Imphal |
| 22 | GC Jallandhar | 23 | GC Khatkhati | 24 | GC Muzaffarpur |
| 25 | GC Lucknow | 26 | GC Mokamaghat | 27 | GC Neemuch |
| 28 | CTC Nanded, MKD | 29 | RTC-3 Peringome | 30 | GC Nagpur |
| 31 | GC Pallipuram | 32 | SDG CRPF N/Delhi | 33 | GC Pinjore |
| 34 | GC New Delhi | 35 | GC Pune | 36 | GC Rangareddy |
| 37 | GC Rampur | 38 | CTC (T&IT) CRPF Ranchi | 39 | GC Srinagar |
| 40 | GC Sonepat | 41 | GC Chanduali | 42 | GC Siliguri |

| क्र. स | स्थान | क्र. स | स्थान | क्र. स | स्थान |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | ग्रुप केन्द्र, सिलचर | 44 | 100 आर.ए.एफ | 45 | 101 आर.ए.एफ |
| 46 | 102 आर.ए.एफ | 47 | 104 आर.ए.एफ | 48 | 105 आर.ए.एफ |
| 49 | 107 आर.ए.एफ | 50 | 108 आर.ए.एफ | 51 | 201 कोबरा |
| 52 | 202 कोबरा | 53 | 203 कोबरा | 54 | 205 कोबरा |
| 55 | 207 कोबरा | 56 | 209 कोबरा | 57 | 210 कोबरा |
| 58 | ग्रुप केन्द्र रायपुर | | | | |

- किसी भी नये मांटेसरी स्कूल को खोलने के लिए प्रारंभिक अनुदान, रूपये 2,00,000/- शिक्षा निधि से दिया जाएगा ।

## 5. विभिन्न ग्रुप केन्द्रो / संस्थानों में संचालित केन्द्रीय विद्यालयों का विवरण

बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 36 स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैः-

| क्र.स. | केरिपुबल ग्रुप केन्द्रों / संस्थानों में के.वी | क्रं. सं. | केरिपुबल ग्रुप केन्द्रों / संस्थानों में के.वी |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्रुप केन्द्र – प्रथम, अजमेर | 19 | ग्रुप केन्द्र, पिंजौर |
| 2 | ग्रुप केन्द्र – द्वितीय अजमेर | 20 | ग्रुप केन्द्र, रामपुर |
| 3 | ग्रुप केन्द्र, आवड़ी | 21 | सी.टी.सी (टी एंड आई.टी) राँची |
| 4 | ग्रुप केन्द्र, जम्मू | 22 | ग्रुप केन्द्र, भोपाल |
| 5 | ग्रुप केन्द्र, बैगलुरू | 23 | ग्रुप केन्द्र, पुणे |
| 6 | ग्रुप केन्द्र, भुवनेश्वर | 24 | ग्रुप केन्द्र, जालंधर |

| S/No. | Location | S/No. | Location | S/ No. | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | GC Silchar | 44 | 100 RAF | 45 | 101 RAF |
| 46 | 102 RAF | 47 | 104 RAF | 48 | 105 RAF |
| 49 | 107 RAF | 50 | 108 RAF | 51 | 201CoBRA BN |
| 52 | 202 CoBRA BN | 53 | 203 CoBRA BN | 54 | 205 CoBRA BN |
| 55 | 207 CoBRA BN | 56 | 209 CoBRA BN | 57 | 210 CoBRA BN |
| 58 | GC Raipur | | | | |

- In case of opening of any new Montessori School, an initial grant of Rs.2,00,000/- will be provided from the education fund

**5. DETAILS OF KENDRIYA VIDYALAYAS AT VARIOUS GCs/ INSTITUTIONs**

Kendriya Vidyalayas at following 36 places are functioning for taking care of education of the children:-

| S/ No. | KVs available at CRPF Group Centre /Institution | S/No. | KVs available at CRPF Group Centre/Institution |
|---|---|---|---|
| 01 | GC-I Ajmer | 19 | GC Pinjore |
| 02 | GC-II Ajmer | 20 | GC Rampur |
| 03 | GC Avadi | 21 | CTC(T&IT) Ranchi |
| 04 | GC Jammu | 22 | GC Bhopal |
| 05 | GC Bengaluru | 23 | GC Pune |
| 06 | GC Bhubaneshwar | 24 | GC Jallandhar |

| क्र.स. | केरिपुबल ग्रुप केन्द्रों / संस्थानों में के.वी | क्रं. सं. | केरिपुबल ग्रुप केन्द्रों / संस्थानों में के.वी |
|---|---|---|---|
| 7 | ग्रुप केन्द्र, दुर्गापुर | 25 | ग्रुप केन्द्र, प्रयागराज |
| 8 | ग्रुप केन्द्र, गॉंधीनगर | 26 | आर.टी.सी-3, पेरिगंम |
| 9 | ग्रुप केन्द्र, गुवाहाटी | 27 | ग्रुप केन्द्र, अगरतला |
| 10 | ग्रुप केन्द्र, हैदराबाद | 28 | ग्रुप केन्द्र, मुजफ्फरपुर |
| 11 | ग्रुप केन्द्र, इम्फाल | 29 | उ.म.निरी(परि0) कोहिमा |
| 12 | ग्रुप केन्द्र, खटखटी | 30 | 205 कोबरा |
| 13 | ग्रुप केन्द्र, लखनऊ | 31 | 210 कोबरा |
| 14 | ग्रुप केन्द्र, मोकामाघाट | 32 | ग्रुप केन्द्र, बिलासपुर |
| 15 | ग्रुप केन्द्र, नागपुर | 33 | ग्रुप केन्द्र, गुरूग्राम |
| 16 | ग्रुप केन्द्र, नीमच | 34 | ग्रुप केन्द्र, ग्वालियर |
| 17 | ग्रुप केन्द्र, नई दिल्ली | 35 | ग्रुप केन्द्र, सोनीपत |
| 18 | ग्रुप केन्द्र, पल्लीपुरम | 36 | ग्रुप केन्द्र, सिलीगुड़ी |

*******

| S/ No. | KVs available at CRPF Group Centre /Institution | S/No. | KVs available at CRPF Group Centre/Institution |
|---|---|---|---|
| 07 | GC Durgapur | 25 | GC Prayagraj |
| 08 | GC Gandhinagar | 26 | RTC-III, Peringome |
| 09 | GC Guwahati | 27 | GC Agartala |
| 10 | GC Hyderabad | 28 | GC Muzaffarpur |
| 11 | GC Imphal | 29 | DIG(Ops) Kohima |
| 12 | GC Khatkhati | 30 | 205 CoBRA BN, |
| 13 | GC Lucknow | 31 | 210 CoBRA Bn, |
| 14 | GC Mokamaghat | 32 | GC Bilaspur |
| 15 | GC Nagpur | 33 | GC Gurugram |
| 16 | GC Neemuch | 34 | GC Gwalior |
| 17 | GC New Delhi | 35 | GC Sonepat |
| 18 | GC Pallipuram | 36 | GC Siliguri |

*******

## अध्याय – 03
## जोखिम निधि
## (मार्च 1981 से संस्थापित)

बल के सेवारत कार्मिकों से अंशदान के साथ जोखिम निधि मार्च 1981 से शुरू की गई है ।

**1. अंशदान**

दिनांक 01/01/2026 से मासिक अंशदान की राशि रूपये 800/- प्रतिमाह की गई है । अंशदान दो भागो में समायोजित किया जाएगा अर्थात जोखिम एवं बचत कम्पोनेन्ट 40:60 के अनुपात में, कार्मिक को जोखिम भाग रूपये 320/- वापस नही होगा और बचत भाग रूपये 480/- तथा बोनस प्रचलित दर से वापस होगा (जी.बी.मीटिंग 2024-25)

**2. पूर्व में तथा वर्तमान में दी जाने वाली सहायता का विवरण**

**(क) मृत्यु के मामले में**

| **दिनांक 01/04/2014 से दरें** | | | |
|---|---|---|---|
| **मृत्यु का कारण** | **राशि** | **उत्तराधिकारी एवं बच्चे** | **माता-पिता** |
| परिचालन के दौरान मृत्यु | 20 लाख | 14 लाख | 6 लाख |
| मस्तिष्क ज्वर से मृत्यु होने पर | 20 लाख | 14 लाख | 6 लाख |
| अन्य मृत्यु | 10 लाख | 7 लाख | 3 लाख |
| **दिनांक 01/01/2016 से दरें** | | | |
| अन्य मृत्यु | 12 लाख | 7 लाख | 5 लाख |

**CHAPTER-03**
**RISK PREMIA FUND**
**(Estt. Since March, 1981)**

Risk Premia Fund was started from March 1981 with the subscription from the serving personnel.)

1. **SUBSCRIPTION**
   Monthly subscription @Rs 800/- p.m w.e.f 01/01/2026. The subscription comprises of two components i.e. Risk and saving Component in the ratio of 40:60. Risk Component of Rs. 320/- is non-refundable and saving component of Rs. 480/- is refundable to the subscribers with bonus as per prevailing rate of bonus. (GBM 2024-25)

2. **DETAILS OF PREVIOUS AND PRESENT ASSISTANCE WITH DISTRIBUTION**

   **(a) IN DEATH CASES**

| **Rates w.e.f. 01/04/2014** | | | |
|---|---|---|---|
| **Reasons of Death** | **Amount in Rs.** | **NOK and Children** | **Parents** |
| Death in Action | 20 Lakh | 14 Lakh | 6 Lakh |
| Death due to Cerebral Malaria | 20 Lakh | 14 Lakh | 6 Lakh |
| Others Death | 10 Lakh | 7 Lakh | 3 Lakh |
| **Rates w.e.f. 01/01/2016** | | | |
| Others Death | 12 Lakh | 7 Lakh | 5 Lakh |

| **दिनांक 01/04/2019 से दरें** | | | |
|---|---|---|---|
| **मृत्यु का कारण** | **राशि** | **उत्तराधिकारी एवं बच्चे** | **माता-पिता** |
| अन्य मृत्यु | 15 लाख | | |
| कोविड से मृत्यु | 20 लाख | | |
| यदि मृतक के बच्चे है तो | | 70% | 30% |
| यदि मृतक के बच्चे नहीं है तो | | 50% | 50% |

परिवार के सदस्य को दी जाने वाली प्रतिशत का विवरण –

| **दिनांक 01/10/2019 से दरें** | | |
|---|---|---|
| **उत्तराधिकारी** | **माता-पिता** | **बच्चे** |
| 60% | 25% | 15% |
| 15 प्रतिशत हिस्सा शहीद / मृतक कार्मिक के सभी बच्चों में बराबर दिया जाएगा। | | |
| बच्चों का हिस्सा 18 वर्ष तक की आयु के लिए सावधि जमा के रूप में नजदीकी ग्रुप केन्द्र द्वारा किया जाएगा। | | |
| और यदि शहीद / मृतक के बच्चे नही है तो उत्तराधिकारी तथा माता-पिता के बीच 50-50 प्रतिशत पहले की तरह दिया जाएगा। | | |

| **दिनांक 01/11/2021 से दरें** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **मृत्यु का कारण** | **राशि** | **उत्तराधिकारी** | **माता-पिता** | **बच्चे** |
| कार्रवाई के दौरान मृत्यु | 30 लाख | 60% | 25% | 15% |
| अन्य सभी प्रकार की मृत्यु | 20 लाख | 60% | 25% | 15% |

| Rates w.e.f. 01/04/2019 | | | |
|---|---|---|---|
| **Reasons of Death** | **Amount (In Rs.)** | **NOK and Children** | **Parents** |
| Others Death | 15 Lakh | | |
| Death due to Covid | 20 Lakh | | |
| If wife of deceased has children | | 70% | 30% |
| If wife of deceased has no children | | 50% | 50% |

**Details of share to family members:-**

| Revised rates w.e.f. 01/10/2019 | | |
|---|---|---|
| **NOK** | **Parents** | **Children** |
| 60% | 25% | 15% |
| 15% share will be distributed equally among all children of the martyrs/deceased Govt. Servant. | | |
| The share of children will be in the form of Fixed Deposit till the child attains 18 years which will be done by the respective nearest GC. | | |
| If NOK has no child in such a situation the share will be distributed in the ratio of 50% - 50% between NOK and parents as earlier. | | |

| Revised rates w.e.f. 01/11/2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reasons of Death** | **Amount** | **NOK** | **Parents** | **Children** |
| Death in Action | 30 Lakh | 60% | 25% | 15% |
| Other Deaths | 20 Lakh | 60% | 25% | 15% |

| **दिनांक 01/01/2026 से संशोधित दरें** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **मृत्यु का कारण** | **राशि** | **उत्तराधिकारी** | **माता-पिता** | **बच्चे** |
| कारेवाई के दौरान मृत्यु | 35 लाख | 50% | 35% | 15% |
| अन्य सभी प्रकार की मृत्यु | 25 लाख | 50% | 35% | 15% |
| और यदि शहीद / मृतक के बच्चे नही है तो उत्तराधिकारी तथा माता-पिता के बीच 50-50 प्रतिशत पहले की तरह दिया जाएगा । | | | | |

**(ख) अशक्तता पर**

| **दिनांक 01/11/2021 से संशोधित दरें** | | |
|---|---|---|
| **क्र. सं.** | **अशक्तता का प्रतिशत** | **राशि** |
| 01 | 1-25 प्रतिशत तक | 5 लाख |
| 02 | 25 प्रतिशत से ज्यादा व 50 प्रतिशत तक | 10 लाख |
| 03 | 50 प्रतिशत से ज्यादा व 75 प्रतिशत तक | 15 लाख |
| 04 | 75 प्रतिशत से ज्यादा व 100 प्रतिशत तक | 20 लाख |

**(ग) अधिवर्षिता / स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति / बर्खास्त / पदच्युत / सेवा से हटाये जाने इत्यादि परः-**

| **क्र. सं.** | **विवरण** | **राशि (दिनांक 01/01/2026 से)** |
|---|---|---|
| 01 | 10 वर्ष से कम सेवाकाल | बचत अंशदान + 10% बोनस |
| 02 | 10 वर्ष से अधिक व 20 वर्ष तक | बचत अंशदान + 25% बोनस |
| 03 | 20 वर्ष से अधिक व 30 वर्ष तक | बचत अंशदान + 50% बोनस |
| 04 | 30 वर्ष से अधिक | बचत अंशदान + 100% बोनस |

**नोटः**- दिनांक 31/10/2021 जमा अंशदान पर पूर्ण बोनस की गणना होगी और बचत कम्पोनेन्ट पर 01/11/2021 से गणना होगी ।

| **Revised rates w.e.f. 01/01/2026** ( GBM 2024-25 ) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Reasons of Death** | **Amount** | **NOK** | **Parents** | **Children** |
| Death in Action | 35 Lakh | 50% | 35% | 15% |
| Other Deaths | 25 Lakh | 50% | 35% | 15% |
| If NOK has no child in such a situation the share will be distributed in the ratio of 50% - 50% between NOK and parents as earlier. | | | | |

**(b) ON INVALIDATION**

| **Revised rates w.e.f. 01/11/2021** | | |
|---|---|---|
| **S. No.** | **% of Disability** | **Amount** |
| 01 | 01% to 25 % | 05 Lakh |
| 02 | More than 25 % and up to 50% | 10 Lakh |
| 03 | More than 50 % and up to 75% | 15 Lakh |
| 04 | More than 75 % and up to 100% | 20 Lakh |

**(c) BONUS ON SUPERANNUATION / VOL. RETIREMENT / DISMISSAL / DISCHARGE / REMOVAL ETC.**

| **S. No.** | **Details** | **AMOUNT (WEF. 01/01/2026)** |
|---|---|---|
| 01 | Below 10 years of service | Saving Subs + 10% Bonus |
| 02 | 10 years to 20 years of service | Saving Subs + 25% Bonus |
| 03 | Above 20 years to 30 years of service | Saving Subs + 50% Bonus |
| 04 | Above 30 years of service. | Saving Subs + 100% Bonus |

**Note:-** Bonus is calculated on full subscription up to 31/10/2021 and on saving components w.e.f. 01/11/2021 onwards.

**(घ) सीजीएचएस अंशदान:-**

आई.पी.डी सुविधा के लिए सेवानिवृत्ति पर जाने वाले कार्मिकों से एक मुश्त प्राप्त की जाने वाली सी.जी.एच.एस अंशदान की राशि को वैकल्पिक कर दिया गया है (कल्याण महानिदेशालय के बेतार सं. आर.एफ.32/2024-25-आर.एफ.3 दिनांक 16/12/2025 के तहत)

**(ड.) कृत्रिम अंग:-**

परिचालन ड्यूटी / दुर्घटना / सरकारी ड्यूटी/अवकाश के दौरान अपने अंग गंवाने वाले कार्मिकों को अच्छी किस्म के कृत्रिम अंग लगाने हेतु सरकारी अनुदान से अधिक व्यय होने पर अन्तर राशि (Deficit amount) प्रदान करना ।

**जोखिम निधि से कृत्रिम अंग की लागत का भुगतान**

कृत्रिम अंग उन सभी सेवारत कार्मिकों को लगाए जाएंगे, जो परिचालन कर्तव्यों, सरकारी ड्यूटी, अवकाश आदि के दौरान दुर्घटना में घायल होकर अपने अंग खो देते हैं। ऐसे कार्मिकों का उपचार कल्याण महानिदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या RF-15/2021-RF-DA-IV दिनांक 10/06/2021 के अनुसार जारी दिशा-निर्देशों के तहत एन.सी.डी.ई के माध्यम से किया जाएगा।

जीबी मीटिंग 2020-21 में लिए गए निर्णय के अनुसार कृत्रिम अंग की लागत के संबंध में अधिकतम 7 लाख तक की डेफिसीट राशि जोखिम निधि से एन.सी.डी.ई के माध्यम से कार्मिकों को भुगतान की जाएगी । परिचालन ड्यूटी के दौरान घायल कार्मिकों के मामले में, चिकित्सा महानिदेशालय की संस्तुति के आधार पर कृत्रिम अंग की संपूर्ण लागत का भुगतान किया जाएगा ।

यदि परिचालन ड्यूटी में कृत्रिम अंग की लागत 7 लाख से अधिक होती है तो इस पर महानिदेशक की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। कृत्रिम अंग 5 वर्ष के बाद प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

गृह मंत्रालय द्वारा 15/05/2025 को जारी एसओपी के अनुसार जोखिम निधि से डेफिसीट राशि के रूप में भुगतान की जाने वाली कृत्रिम अंग की लागत 50 प्रतिशत भारत के वीर से तथा जोखिम निधि से समान रूप में वहन की जाएगी ।

*********

3. **CGHS subscription:-** CGHS contribution as a one-time payment from personnel proceeding on retirement for availing IPD facilities has been made optional. (As per Welfare Directorate signal No. RF-32/2024-25-RF-3 dated 16/12/2025)

4. **ARTIFICIAL LIMBS:-** Deficit amount beyond Govt. Grant for fitment of good quality of artificial limbs to the personnel who lost their limbs during action/accident/Govt. duty/leave etc.

**Cost of Artificial Limb paid out of Risk fund**

The Artificial limbs will be fitted to all serving personnel who are injured & lost their limbs in accidents while on operational duties, Govt. duty, leave etc. Such personnel will be treated through NCDE as per instructions/guidelines issued by Welfare Dte. office order No. RF-15/2021-RF-DA-IV dated 10/6/2021.

As per decision taken in G.B.Meeting for the financial year 2020-21, a sum of Rs. up to 7 Lakh as deficit amount will be paid to personnel through NCDE on account of cost of Artificial Limb from Risk fund. Personnel who injured/involved in Ops duty, full amount will be paid for cost of Artificial limb based on the recommendation of medical Dte.

In case the cost of Artificial Limb exceeds 7 Lakh in ops duty, the same will be decided by the executive committee headed by DG. The Artificial limb will be replaced after 5 years.

As per SOP issued by MHA on 15/5/2025, the cost of Artificial limbs paid out from Risk fund as deficit amount will be met @ 50% from Bharat Ke Veer/Risk fund equally.

*******

## अध्याय - 04
## केन्द्रीय कल्याण निधि
*(अगस्त 1969 से संस्थापित)*

### 1. अंशदान

दिनांक 01/11/2021 से अंशदान की दरे प्रतिमाह निम्नलिखित प्रकार होगीः-

| पद | अंशदान |
|---|---|
| उप महानिरीक्षक से महानिदेशक | 200 |
| सहायक कमांडेंट से कमांडेंट | 175 |
| सहायक उप निरीक्षक से सूबेदार मेजर | 125 |
| सिपाही से हवलदार | 100 |

### i. केन्द्रीय कल्याण निधि से आर्थिक सहायता:

**क)** मृत्यु के मामले में रूपये 5 लाख (दिनांक 01/11/2021 से) एवं जीबी मीटिंग 2024-25 के तहत दिनांक 01/01/2026 से रूपये 80 हजार तत्कालिक वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी ।

**ख)** निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार परिचालन / ड्यूटी के दौरान घायल होने पर (जीबी मीटिंग 2024-25 के तहत दिनांक 01/01/2026 से)

| क्र सं | श्रेणी | चोट के प्रकार | वित्तीय सहायता |
|---|---|---|---|
| **1** | "क" | पत्थरबाजी / कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी, बचाव एवं राहत कार्य के दौरान आई चोटे अथवा ऑपरेशन में घायल होने पर हल्की चोटो के लिए चिकित्सा सहायता हेतु | 8,000/- प्रत्येक घायल को |
| **2** | "ख" | पत्थरबाजी / कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी, बचाव एवं राहत कार्य के दौरान आई चोटे अथवा ऑपरेशन में आई गंभीर चोटो के ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती होने अथवा हड्डी टूटने / टांके लगाने इत्यादि के लिए होने पर हल्की चोटो के लिए चिकित्सा सहायता हेतु | 50,000/- प्रत्येक घायल को |

# CHAPTER-04
# CENTRAL WELFARE FUND
*(Estt. since August, 1969)*

**1. SUBSCRIPTION**

Subscription per month w.e.f. 01/11/2021 as per details given below:-

| Rank | Subscription |
|---|---|
| DIG TO DG | 200 |
| AC TO COMDT | 175 |
| ASI TO SM | 125 |
| CT TO HC | 100 |

**i. FINANCIAL ASSISTANCE FROM CENTRAL WELFARE FUND**

**a)** In Death cases : Rs. 5,00, 000/- (wef. 01/11/2021) and Rs. 80,000/- as Immediate Financial Assistance w.e.f. 01/01/2026 as per GBM 2024-25.

**b)** Injuries during operation / duty as per following category: (wef. 01/01/2026 as per GBM 2024-25)

| S.N. | Category | Nature of injury | Financial assistance |
|---|---|---|---|
| 1 | "A" | Minor injuries for which medical attention is required due to stone pelting/ in Law & order duties, injuries due to rescue and relief operations/in action during operations | Rs.8,000/- to each injured |
| 2 | "B" | Grievous injuries leading to hospitalization or fracture of bones/stitches etc. due to stone pelting/ in Law and order duties, rescue and relief operation/in action during operation. | Rs.50,000/- to each injured |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | "ग" | ऑपरेशन के दौरान गोली लगने / स्पलिंटर / विस्फोट से गंभीर रूप से घायल होने पर अस्पताल में भर्ती रहे हो किंतु स्थायी रूप से अशक्तता नही हुए हो । | 1,00,000/- प्रत्येक घायल कार्मिक को |
| **4** | "घ" | ऑपरेशन के दौरान गम्भीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती होने तथा स्थायी रूप से अशक्त होने पर | 2,00,000/- प्रत्येक घायल कार्मिक को |

**ग)** सेवा के दौरान बल के शहीद तथा मृतक कार्मिको के उत्तराधिकारियों को उनकी पुत्रियों एवं बहनों की शादी के अवसर पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार हैः-

| | |
|---|---|
| दिनांक 01/01/2025 से | Rs. 1,51,000/- |
| दिनांक 01/11/2023 से | Rs. 1,50,000/- |
| दिनांक 01/11/2021 से | Rs. 1,00,000/- |
| दिनांक 28/08/2018 से | Rs. 50,000/- |

**2. बहुउद्देशीय हॉल**

बल के कार्मिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु 4 ग्रुप केन्द्रो (दिल्ली, हैदराबाद, नोएडा एवं पुणे) में बहुउद्देशीय हॉल स्थापित किए गए है । इनका निर्माण बल के सेवारत / सेवानिवृत्त / दिवंगत / शहीद कार्मिको के पारिवारिक समारोह (विवाह, जन्मदिन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक समारोह एवं अन्य अवसरो) के आयोजन हेतु किफायती दरों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इन बहुउद्देशीय हॉल के उपयोग हेतु दिनांक 01/01/2026 से निम्नलिखित दरें प्रभावी होगीः-

| **क्र.स.** | **समारोह** | **राशि** | **सुविधा** |
|---|---|---|---|
| 1 | विवाह समारोह / विवाह स्वागत हेतु | 7500 | हॉल (20X24m)<br>डोरमेट्री (20 बेड,रूम-04) |
| 2 | केवल डोरमेट्री | 3750 | डोरमेट्री (20 बेड) |

| S.N. | Category | Nature of injury | Financial assistance |
|---|---|---|---|
| 3 | "C" | Grievous injuries due to bullet/splinter/blast during operation leading to hospitalization without causing permanent disability. | Rs. 1.00,000/- to each injured |
| 4 | "D" | Grievous injuries in action during operational duties leading to hospitalization and permanent disability | Rs 2,00,000/- to each injured |

**c)** Financial Assistance to the NOKs on the occasion of daughters and sisters of Martyrs/deceased personnel died while in service at the time of their marriage as per details given below:

| | |
|---|---|
| Wef. 01/01/2025 | Rs. 1,51,000/- |
| Wef. 01/11/2023 | Rs. 1,50,000/- |
| Wef. 01/11/2021 | Rs. 1,00,000/- |
| Wef. 28/08/2018 | Rs. 50,000/- |

## 2. MULTIPURPOSE HALLS

To enhance the Welfare of Force personnel and their families. Multipurpose Halls have been established at 04 GCs at Delhi/Hyderabad/Noida and Pune). These halls have been constructed to provide an affordable venue for organizing events of serving/ retired/deceased force personnel such as weddings, birthdays, cultural programmes, social gatherings and other occasions at the following rates which will be effective from 01/01/2026.

| S.N. | Celebrations | Amount (Rs.) | Facilities |
|---|---|---|---|
| 01 | For wedding Ceremony / Wedding reception | 7500 | Hall (20X24m) Dormitory (20 Bed, Room-04) |
| 02 | Only Dormitory | 3750 | Dormitory(20 Beds) |

| क्र.स. | समारोह | राशि | सुविधा |
|---|---|---|---|
| 3 | रिंग सेरेमनी / सगाई / जन्मदिन / सालगिरह इत्यादि | 3000 | केवल हॉल के लिए |
| 4 | प्रत्येक कमरे के लिए | 750 | - |

**3. सुविधा वाहन**

कल्याण महानिदेशालय एवं सीडब्ल्यूए द्वारा सेवारत/सेवानिवृत्त/ शहीद / दिवंगत कार्मिकों तथा उनके परिवारजनों को सुविधा वाहन उपलब्ध कराने हेतु एक पहल की गई है। तदनुसार, सीडब्ल्यूएफ एवं कावा फण्ड से निम्नलिखित सुविधा वाहन क्रय किया गया है तथा विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए है । इन सुविधा वाहन के उपयोग हेतु सभी कार्यालयों को इस महानिदेशालय के कार्यालय आदेश सं. **CWF-15/2022-23-Welfare** दिनांक **23/10/2023** के माध्यम से एस.ओ.पी जारी की गई है। सुविधा वाहन का विवरण निम्नानुसार हैः-

| क्र.स. | वाहन का प्रकार | खरीद की तिथि | स्थान / कार्यालय |
|---|---|---|---|
| 1. | टोयोटा इनोवा | 2013 | जम्मू / 76 बटा0 |
| 2. | फोर्स ट्रैवलर मिनी बस | 2013 | जयपुर / राजस्थान सेक्टर |
| 3. | फोर्स ट्रैवलर मिनी बस | 2014 | भुवनेश्वर / ग्रु.के. भुवनेश्वर |
| 4. | फोर्स ट्रैवलर मिनी बस | 2014 | मुंबई / 102 दु.क्रा.ब. |
| 5. | फोर्स ट्रैवलर मिनी बस | 2014 | अमेठी / ग्रु.के. अमेठी |
| 6. | टोयोटा इनोवा | 2014 | नई दिल्ली / रेंज नई दिल्ली |
| 7. | टोयोटा इनोवा क्रिस्टा | 2019 | नई,दिल्ली/प्रशा.महानिदेशालय |

| S.N. | Celebrations | Amount (Rs.) | Facilities |
|---|---|---|---|
| 03 | Ring ceremony/ engagement ceremony/ birthday for anniversaries etc. | 3000 | Hall only |
| 04 | For each separate room | 750 | - |

### 3. AMENITY VEHICLES

The Welfare Directorate & CWA have taken an initiative to provide facilities of amenity vehicles to the serving/retired/deceased force personnel and their family members. Accordingly, following amenity vehicles out of CWF & CWA Fund have been purchased and placed at various locations. Common Standing operating procedure (SOP) has been issued to all formations vide this Directorate office order No.CWF-15/2022-23-Welfare dated 23/10/2023 for use of all these vehicles. The details are as under:-

| S.N. | Type of Vehicle | Year of Purchase | Place /Office |
|---|---|---|---|
| 1. | Toyota Innova | 2013 | Jammu / 76 Bn |
| 2. | Force Traveler Mini Bus | 2013 | Jaipur/Rajasthan Sector |
| 3. | ForceTraveler Mini Bus | 2014 | Bhubaneswar / GC BBSR |
| 4. | Force Traveler Mini Bus | 2014 | Mumbai / 102 RAF |
| 5. | Force Traveler Mini Bus | 2014 | Amethi / GC AMT |
| 6. | Toyota Innova | 2014 | New Delhi / Range Delhi |
| 7. | Toyota Innova Crysta | 2019 | New Delhi / Adm Dte. |

| क्र.स. | वाहन का प्रकार | खरीद की तिथि | स्थान / कार्यालय |
|---|---|---|---|
| 8. | टोयोटा ईनोवा क्रिस्टा | 2022 | श्रीनगर / कश्मीर परिचालन सेक्टर |
| 9. | किआ कैरेन्स | 2023 | चैन्नई / ग्रु.के. आवडी |
| 10. | किआ कैरेन्स | 2023 | रायपुर / ग्रु.के. रायपुर |
| 11. | रिनॉल्ट ट्राईबर | 2023 | कोरापुट / 202 कोबरा |
| 12. | टोयोटा ईनोवा हाईक्रॉस | 2023 | हैदराबाद / ग्रु.के. हैदराबाद |
| 13. | टोयोटा ईनोवा हाईक्रॉस | 2023 | बैंगलुरू / ग्रु.के. बैंगलुरू |
| 14. | टोयोटा ईनोवा हाईक्रॉस | 2023 | सिलीगुड़ी / ग्रु.के. सिलीगुड़ी |
| 15. | टोयोटा ईनोवा हाईक्रॉस | 2023 | गॉंधीनगर / ग्रु.के. गाँधीनगर |
| 16. | टोयोटा ईनोवा हाईक्रॉस | 2023 | गुवाहाटी / ग्रु.के. गुवाहाटी |
| 17. | मारुति सुजुकी अर्टिगा | 2023 | कोलकाता / 3 सिग्नल बटा. |
| 18. | मारुति सुजुकी अर्टिगा | 2023 | देहरादून / उत्तराखंड सेक्टर |
| 19. | मारुति सुजुकी अर्टिगा | 2023 | नोयडा / ग्रु.के. नोयडा |
| 20. | फोर्स ट्रैवलर मिनी बस | 2023 | काठगोदाम / ग्रु.के. काठगोदाम |
| 21. | फोर्स ट्रैवलर मिनी बस | 2023 | जम्मू / ग्रु.के. जम्मू |
| 22. | फोर्स ट्रैवलर मिनी बस | 2023 | नई दिल्ली / रेंज दिल्ली |
| 23. | फोर्स ट्रैवलर मिनी बस | 2023 | श्रीनगर / ग्रु.के. श्रीनगर |
| 24. | महिंद्रा स्कोर्पियो एन.जेड.-6 | 2023 | अजमेर / ग्रु.के.-दो अजमेर |

| S.N. | Type of Vehicle | Year of Purchase | Place /Office |
|---|---|---|---|
| 8. | Toyota Innova Crysta | 2022 | Srinagar / KOS |
| 9. | Kia Carens | 2023 | Chennai / GC Avadi |
| 10. | Kia Carens | 2023 | Raipur / GC Raipur |
| 11. | Renault Triber | 2023 | Koraput / 202 CoBRA |
| 12. | Toyota Innova Hycross | 2023 | Hyderabad/GC Hyderabad |
| 13. | Toyota Innova Hycross | 2023 | Bangaluru/ GC Bangaluru |
| 14. | Toyota Innova Hycross | 2023 | Siliguri / GC Siliguri |
| 15. | Toyota Innova Hycross | 2023 | Gandhinagar/GC Gandhinagar |
| 16. | Toyota Innova Hycross | 2023 | Guwahati / GC Guwahati |
| 17. | Maruti Suzuki Ertiga | 2023 | Kolkata / 3rd Signal Bn |
| 18. | Maruti Suzuki Ertiga | 2023 | Dehradun / UKD Sector |
| 19. | Maruti Suzuki Ertiga | 2023 | Noida / GC Noida |
| 20. | Force Traveler Mini Bus | 2023 | Kathgodam / GC Kathgodam |
| 21. | Force Traveler Mini Bus | 2023 | Jammu /GC Jammu |
| 22. | Force Traveler Mini Bus | 2023 | New Delhi / Range Delhi |
| 23. | Force Traveler Mini Bus | 2023 | Srinagar / GC Srinagar |
| 24. | Mahindra Scorpio NZ-6 | 2023 | Ajmer /GC-II Ajmer |

| क्र.स. | वाहन का प्रकार | खरीद की तिथि | स्थान / कार्यालय |
|---|---|---|---|
| 25. | महिंद्रा स्कोर्पियो एन.जेड.-6 | 2024 | श्रीनगर / ग्रु.के. श्रीनगर |
| 26. | मारुति सुजुकी अर्टिगा | 2024 | लखनऊ / ग्रु.के. लखनऊ |
| 27. | मारुति सुजुकी अर्टिगा | 2024 | पटना / बिहार सेक्टर |
| 28. | टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस | 2024 | तिरूवनंतपुरम / ग्रु.के. पल्लीपुरम |
| 29. | टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस | 2024 | मुंबई / पश्चिमी सेक्टर |
| 30. | टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस | 2024 | नई दिल्ली / रेंज दिल्ली |
| 31. | टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस | 2024 | नई दिल्ली / प्रशा. महानिदेशालय |

*******

| S.N. | Type of Vehicle | Year of Purchase | Place /Office |
|---|---|---|---|
| 25. | Mahindra Scorpio NZ-6 | 2024 | Srinagar /GC Srinagar |
| 26. | Maruti Suzuki Ertiga | 2024 | Lucknow / GC Lucknow |
| 27. | Maruti Suzuki Ertiga | 2024 | Patna / Bihar Sector |
| 28. | Toyota Innova Hycross | 2024 | Thiruvananthapuram / GC Pallipuram |
| 29. | Toyota Innova Hycross | 2024 | Mumbai / Western Sector |
| 30. | Toyota Innova Hycross | 2024 | New Delhi / Range Delhi |
| 31. | Toyota Innova Hycross | 2024 | New Delhi / Adm Dte |

*******

## अध्याय-05
## विशेष राहत कोष

1. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष से स्वीकृत अनुदान से प्राप्त राशि से इस महानिदेशालय में "**विशेष राहत कोष**" बनाया गया है। सरकार से प्राप्त अनुदान को राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेश किया गया है तथा इससे प्राप्त ब्याज से सुबेदार मेजर रैंक तक के बल के सेवानिवृत्त कार्मिको तथा उनकी पत्नी / पति को ईलाज हेतु सहायता राशि दी जाती है ।

2. गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशो के मुताबिक जमा धनराशि को बरकरार रखा जाएगा तथा प्राप्त ब्याज को विशेष राहत कोष की कैश बुक में अलग से रखा जाएगा, जिससे सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा उनकी पत्नी / पति को जीवन में एक बार गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, ट्यूमर, रेनल बिमारियों, किडनी प्रत्यारोपण, ह्दय संबंधी बिमारी, लिवर प्रत्यारोपण में अधिकतम रुपये 1,00,000/- की वित्तीय सहायता चिकित्सा हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

3. निधि की शासी निकाय ने यह निर्णय लिया है कि समिति वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी मामलो की जांच करेगी तथा उपयुक्त निर्णय लेगी । तदानुसार, निम्नलिखित सदस्यो की एक स्थायी समिति गठित की गई हैः-

| | |
|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | :अपर महानिदेशक (प्रशासन) |
| सदस्य- एक | :महानिरीक्षक (प्रशासन) |
| सदस्य-दो | :वित्तीय सलाहकार |
| सदस्य-तीन | :निदेशक (चिकित्सा) |
| सदस्य-चार | :द्वितीय कमान अधिकारी (प्रशासन/लेखा) |
| सदस्य सचिव | :उपमहानिरीक्षक (कल्याण) |

*******

# CHAPTER-05
# SPECIAL RELIEF FUND

1. **'Special Relief Fund'** has been created in the Directorate General, with the grant sanctioned by Govt. of India out of National Defence Fund. Grant received from the Government is invested in Nationalized Banks as fixed deposit and interest accrued on the fixed deposits is utilized for the medical treatment of the retired Force personnel up to the rank of Subedar Major and their spouses.

2. The Corpus to be kept intact as per the MHA guidelines and the interest component would be used for providing suitable financial assistance up to a maximum limit of Rs 1,00,000/- to retired personnel and their spouse once in a life time on the principle for treatment of rarest of rare **diseases like cancer, tumour, renal disease, kidney transplantation, heart disease, liver transplantation**.

3. The Governing Body of Funds decided that a committee may examine the cases of financial assistance and take suitable decisions. Accordingly, a permanent committee consisting of the following members has been constituted: -

| | |
|---|---|
| Presiding Officer | : Special DG (Adm) |
| Member-I | : IG (Adm). |
| Member-II | : FA |
| Member-III | : Director (Medical). |
| Member-IV | : Second in Command (Adm/Accts) |
| Member Secretary | : DIG (Welfare). |

*******

# अध्याय-06
# कल्याण एवं सुविधा निधि

**I)** संबंधित यूनिटों/कार्यालयों में तैनात गैर-वर्दीधारी मंत्रालयिक / अस्पतालीय स्टाफ सहित सभी सदस्यों को इस निधि से निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:-

a) सदस्यों के कल्याण हेतु होने वाली खरीद अथवा उनके मनोरंजन पर होने वाले खर्च को वहन करने हेतु।

b) कल्याण समिति द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार धार्मिक कार्यक्रमों / रेजिमेंटल कार्यक्रमों हेतु ।

c) मृत्यु के मामले में कल्याण निधि से तत्कालिक राहत के रूप में रुपये 20,000/- की आर्थिक सहायता हेतु ।

**II)** कल्याण निधि की अंशदान दरें (दिनांक 01/10/2020 से)

| **पद** | **अंशदान (प्रति माह)** |
|---|---|
| उ.म.नि से महानिदेशक | 300 |
| द्वि.क.अ. से कमाण्डेन्ट | 250 |
| उप कमाण्डेन्ट | 200 |
| निरी से सहा. कमा. | 150 |
| हव. से उ.नि. | 100 |
| सिपाही | 50 |

**III) स्नेहालय**

1. केरिपुबल कार्मिको में एडीएस एवं मनोरोग संबंधी विकारों के उपचार हेतु "**स्नेहालयो**" की स्थापना की गई है ।
2. योग, ध्यान एवं शारीरिक गतिविधियों जैसी सहायक सेवाओं के साथ एकीकृत समग्र कल्याण केन्द्र का निर्माण किया गया है ।
3. एडीएस एवं मनोरोग मामलों हेतु पुनर्वास निति की मानक संचालन प्रक्रिया चिकित्सा महानिदेशालय द्वारा दिनांक 06/08/2024 को जारी की गई है ।

## CHAPTER - 06
## WELFARE & AMENITIES FUND

**I)** The following benefits of this Fund would be extended to all members including non-combatised Ministerial and Hospital staff borne on the strength of the respective Units/ Offices: -

a) To meet the expenses incurred on the entertainment or purchases effected for the welfare of the members.

b) To meet expenditure on Religious functions / Regimental functions/National functions to the minimum extent as approved by the welfare committee.

c) Financial assistance from welfare fund in death cases @ Rs. 20,000/ - as Immediate Relief.

**II)** Subscription rate of welfare fund w.e.f 01/10/2020

| Rank | Subscription (p.m) |
|---|---|
| DIG TO DG | 300 |
| 2-I/C TO COMDT | 250 |
| DC | 200 |
| INSP TO AC | 150 |
| HC TO SI | 100 |
| CT | 50 |

**III) SNEHALAYA**

1. "**Snehalaya**" formed for treatment of CRPF personnel with ADS and psychiatric disorder.
2. A holistic wellness centre integrated with allied services like Yoga, Meditation, physical activities.
3. SOP for Rehabilitation Policy for ADS and Psychiatry cases issued by Med. Date. on 06/08/2024.

4. निम्नलिखित 14 सी.एच में स्नेहालय की सुविधा उपलब्ध हैः-

| | | | |
|---|---|---|---|
| कम्पोजिट अस्पताल दिल्ली | कम्पोजिट अस्पताल जम्मू | कम्पोजिट अस्पताल हैदराबाद | कम्पोजिट अस्पताल गुवाहाटी |
| कम्पोजिट अस्पताल अजमेर | कम्पोजिट अस्पताल आवड़ी | कम्पोजिट अस्पताल बेंगलुरू | कम्पोजिट अस्पताल बिलासपुर |
| कम्पोजिट अस्पताल नागपुर | कम्पोजिट अस्पताल राँची | कम्पोजिट अस्पताल पुणे | कम्पोजिट अस्पताल प्रयागराज |
| कम्पोजिट अस्पताल सिलचर | कम्पोजिट अस्पताल भुवनेश्वर | | |

******

4. The Snehalaya facility is available in the following 14 CHs:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| CH Delhi | CH Jammu | CH Hyderabad | CH Guwahati |
| CH Ajmer | CH Avadi | CH Bangaluru | CH Bilaspur |
| CH Nagpur | CH Ranchi | CH Pune | CH Prayagraj |
| CH Silchar | CH Bhubaneshwar | | |

*******

## अध्याय—07
## कार्रवाई में शहीद कार्मिकों के उत्तराधिकारियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता का विवरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | **असाधारण पेंशन** | अंतिम आहरित परिलब्धियो के बराबर राशि | जीवन भर या विधवा के पुनर्विवाह तक। |
| (ख) | **अनुग्रह राशि (केन्द्रीय)** | **i)** रुपये 45 लाख | युद्ध में दुश्मन की कार्रवाई या ऐसे युद्ध जैसी स्थिति में होने वाली मृत्यु, जिन्हें विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया हो और विदेश में युद्ध–ग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान होने वाली मृत्यु। |
| | | **ii)** रुपये 35 लाख | मौसम की प्रतिकूल स्थिति में, प्राकृतिक आपदाओं इत्यादि के कारण अत्यधिक ऊँचाई, दुर्गम / अग्रिम सीमा चौकियों पर कर्तव्य के दौरान होने वाली मृत्यु और सीमाओं पर झड़प / मुठभेड़ और आतंकवादियों, उग्रवादियों, चरमपंथियों, समुद्री डाकुओं / लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान होने वाली मृत्यु। |
| | | iii) रुपये 25 लाख | कर्तव्यों के निर्वाहन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु, आतंकवादी, समाज विरोधी तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कृत्यों के कारण कर्तव्यों के निर्वाहन के दौरान होने वाली मृत्यु। |

## CHAPTER-07

## DETAILS OF FINANCIAL ASSISTANCE ADMISSIBLE TO NOKs OF PERSONNEL KILLED IN ACTION FROM CRPF AND CENTRAL GOVT.

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | **EOFP** | Amount equal to emoluments last drawn. | For life time or until re-marriage of widow. |
| (b) | **Ex-Gratia (Central)** | i) Rs.45 lacs. | Death occurring during enemy action in war or such war like engagements, which are specifically notified by Ministry of Defence and death occurring during evacuation of Indian Nationals from a war-torn zone in foreign country. |
| | | ii) Rs.35 lacs. | Death occurring while on duty in the specified high altitude, inaccessible border posts etc on account of natural disasters extreme weather conditions etc, and death occurring in border skirmishes and action against militants, terrorists, extremists, sea pirates. |
| | | iii) Rs. 25 lacs | Death occurring due to accidents in the course of performance of duties and death occurring in the course of performance of duties attributable to acts of violence by terrorist, anti-social elements etc. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ग) | **अनुग्रह राशि (राज्य)** | पात्रता के अनुसार | इस पुस्तिका के **अध्याय–11** में विवरण दर्शाया गया है। |
| (घ) | **मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान (डी.सी.आर. जी.)** | i) एक वर्ष से कम सेवा | मासिक परिलब्धियों का दोगुना |
| | | ii) एक वर्ष या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम सेवा | मासिक परिलब्धियों का छह गुणा |
| | **( सी.सी.एस (पेंशन) रूल 2021 के नियम 45 के अनुसार)** | iii) पाँच वर्ष या उससे अधिक परन्तु 11 वर्ष से कम सेवा | मासिक परिलब्धियों का बारह गुणा |
| | | iv) 11 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम सेवा | मासिक परिलब्धियों का बीस गुणा |
| | | v) 20 वर्ष या उससे अधिक | प्रत्येक पूर्ण छः माह की अहर्ता सेवा अवधि के लिए आधे माह की परिलब्धियाँ, बशर्ते परिलब्धियाँ के अधिकतम 33 गुणा तक |
| *** डी.सी.आर.जी का अधिकतम सीमा – 25 लाख** | | | |
| (ङ) | **अवकाश नकदीकरण** | खाते में जमा अर्जित अवकाश (अधिकतम 300 दिन) | अंतिम मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ( c ) | **Ex-Gratia (State)** | As per admissibility | Details mentioned in **CHAPTER-11** of this booklet. |
| (d) | **Death- cum-retirement Gratuity (as per Rule 45 of CCS (Pension) Rule-2021)** | i) less than one year service | Two times of monthly emoluments. |
| | | ii) One year or more but less than 5 years' service. | Six times of monthly emoluments. |
| | | iii) 5 years or more but less than 11 years' service. | 12 times of monthly emoluments. |
| | | iv) 11 years or more but less than 20 years' service. | 20 times of monthly emoluments. |
| | | v) 20 years or more | Half of monthly emoluments for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times of emoluments. |
| *** Maximum limit of DCRG – 25 lakh.** | | | |
| (e) | **Leave encashment** | Earned leave at credit,(maximum - 300 days) | Last basic pay plus DA. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (च) | **सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ)** | खाते में जमा राशि + सेवा निवृत्ति / छोड़ने की तारीख को देय ब्याज की राशि। | | --- |
| (छ) | **जमा सम्बद्ध बीमा (डी.एल.आई.)** | सामान्य भविष्य निधि में अंतिम 36 माह की औसत शेष राशि के बराबर राशि, अधिकतम रू० 60,000 /– | | 05 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण होने के बाद |
| (ज) | **सी.जी.ई.जी. आई.एस. (केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना) जनवरी 1990 से प्रभावी** | समूह - 'ए' | 1,20,000 | खाते में जमा अंशदान एवं ब्याज |
| | | समूह - 'बी' | 60,000 | यथोपरि |
| | | समूह -'सी' | 30,000 | यथोपरि |
| (झ) | **जोखिम निधि** | **रुपये 35 लाख**<br>उत्तराधिकारी : 50%<br>माता–पिता: 35%<br>बच्चे : 15% | | सभी पदों के लिए (दिनांक 01/01/2026 से लागू) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (f) | **General Provident Fund (GPF)** | Amount at credit plus Interest on the date of retirement /quitting service | -- |
| (g) | **Deposit Linked Insurance** | Amount equal to average balance of last 36 months in GPF subject to maximum of Rs.60,000/- | After completion of 5 years continuous service. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (h) | **C.G.E.G.I.S (Central Govt. Employees Group Insurance Scheme) effective from Jan 1990** | Group 'A' | 1,20,000 /- | Plus subscription credited plus interest. |
| | | Group 'B' | 60,000/- | -do- |
| | | Group 'C' | 30,000/- | -do- |
| (i) | **Risk Fund** | Rs.35 lakh Share :-<br>NOK 50 %<br>Parents 35 %<br>Children 15 % | | For all ranks (effective from 01/01/2026) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (ञ) | **केन्द्रीय कल्याण निधि** | रूपये 5,00,000 /– | सभी पदों के लिए |
| (ट) | **कल्याण निधि (यूनिट / ग्रुप केन्द्र / कार्यालय) एवं केन्द्रीय कल्याण निधि** | रू. 1,00,000 /– (केन्द्रीय कल्याण निधि से रु 80,000 /– एवं शेष बटा0 कल्याण निधि से रु 20,000) | यूनिट / समूह केन्द्र / कार्यालय से तत्काल वित्तीय सहायता (दिनांक 01/01/2026 से लागू) |
| (ठ) | **चिकित्सा भत्ता** | रू. 1,000 /– प्रति माह | जीवन भर के लिए |
| **नोटः-** पेंशनभोगी जो केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वे केवल निर्धारित चिकित्सा भत्ते के रूप में रू. 1,000/– के हकदार / पात्र हैं। | | | |
| शहीदों के परिजनों को रू० एक करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सभी स्रोतों को मिलाकर वित्तीय सहायता की राशि रू० एक करोड़ से कम होने की दशा में उसकी अंतर राशि **"भारत के वीर" संग्रह** निधि से भुगतान की जाएगी। | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (j) | **Central Welfare Fund** | Rs. 5,00,000/- | For all Ranks |
| (k) | **WAF (Unit/GC/ Office) & CWF** | Rs. 1,00,000/- (Rs. 80,000/- from CWF and Rs. 20,000/- from unit WAF) | Immediate financial Assistance from CWF and Unit/GC/ Office WAF. (effective from 01/01/2026) |
| (l) | **Medical allowance** | * Rs.1,000/-p.m. | For life time |
| **Note:** Pensioners who are not residing in under CGHS covered areas are only entitled for grant of Rs. 1000/- towards fixed Medical allowance. | | | |
| Financial assistance of Rs. One Crore is to be paid to family members of Martyrs. If the financial assistance from all sources is less than Rs. One Crore, the deficit amount will be paid out of **"Bharat Ke Veer" corpus** | | | |

## अर्ध सैनिक वेतन पैकेज (पी.एम.एस.पी) खाता

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बल के कार्मिकों को प्रदान किए गए पी.एम.एस.पी खाते के लाभों का विवरण निम्नानुसार वर्णित है:-

| विशेषताएं | एसबीआई | | पीएनबी | | पीएसबी | | यूबीआई | | बी.ओ.आई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त |
| पीएआई (परिचालन ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर) | 1.10 करोड़ | - | 1.10 करोड़ | - | 1.10 करोड़ | - | 1.50 करोड़ | - | 1.3 करोड़ | - |
| पीएआई (दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर) | 1 करोड़ | 50 लाख | 1 करोड़ | 50 लाख | 1 करोड़ | 1 करोड़ | 1.50 करोड़ | 1.5 करोड़ | 1.3 करोड़ | 50 लाख |
| स्थाई पूर्ण अशक्तता कवर | 1 करोड़ तक | - | 1 करोड़ तक | 50 लाख तक | 1 करोड़ तक | 1 करोड़ तक | 1.50 करोड़ | 1.5 करोड़ तक | 1.3 करोड़ | - |
| स्थाई आंशिक अशकत्ता कवर | 1 करोड़ | - | 50 लाख तक | 25 लाख तक | 1 करोड़ तक | 1 करोड़ तक | 1.50 करोड़ तक | 1.5 करोड़ तक | 65 लाख तक | - |
| हवाई दुर्घटना (मृत्यु) कवर | 1.5 करोड़ | - | 1.5 करोड़ | 1 करोड़ | 1.2 करोड़ | 1.2 करोड़ | 2 करोड़ | 2 करोड़ | 2 करोड़ | 50 लाख |
| डेबिट कार्ड आधारित बीमा (मृत्यु) | - | - | 10 लाख | 10 लाख | 3 लाख | 3 लाख | 10 लाख | 10 लाख | 10 लाख | 10 लाख |
| क्रेडिट कार्ड आधारित बीमा (मृत्यु) | - | - | 10 लाख | 10 लाख | - | - | - | - | 10 लाख | 10 लाख |
| समूह सावधि जीवन बीमा | 10 लाख (65 वर्ष तक) | - | 10 लाख (60 वर्ष तक) | - | - | - | 10 लाख (60 वर्ष तक) | - | 10 लाख | - |
| पीएआई (मृत्यु) बैंक द्वारा | | - | - | - | - | - | 5 लाख | 5 लाख | - | - |
| वन आवरण | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिकतम 10 लाख तक | - |

**Para Military Salary Package (PMSP) account**

The details of benefits of PMSP account to the Force personnel extended by the State Bank of India, Punjab National Bank, Punjab & Sindh Bank, Union Bank of India and Bank of India are mentioned below:-

| FEATURES | SBI | | PNB | | PSB | | UBI | | BOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERVING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PENS-IONR |
| PAI (Death in Operations) | 1.10 Cr. | -- | 1.10 Cr | -- | 1.10 Cr | -- | 1.50 Cr | -- | 1.3 Cr | - |
| PAI (Accidental Deaths) | 1 Cr | 50 Lac | 1 Cr | 50 Lac | 1.00 Cr | 1.00 Cr | 1.50 Cr | 1.50 Cr | 1.3 Cr | 50 Lac |
| Total Permanent Disability (TPD) | Up to 1 Cr | -- | Max .1 Cr | Up to 50 Lac | Up to 1 Cr | Up to 1 Cr | Up to 1.50 Cr | Up to 1.50 Cr | 1.3 Cr | - |
| Permanent Partial Disability (PPD) | 1 Cr | -- | Max. 50 Lac | Uptto 25 Lac | Up to 1 Cr | Up to 1 Cr | Up to 1.50 Cr | Up to 1.50 Cr | Up to 65 Lac | - |
| Air Accident (Death) Cover | 1.50 Cr | -- | 1.50 Cr | 1 Cr | 1.20 Cr | 1.20 Cr | 2.00 Cr | 2.00 Cr | 2 Cr | 50 Lac |
| Debit Card Based Insurance (Death) | -- | -- | 10 Lac | 10 Lac | 3 Lac | 3 Lac | 10 Lac | 10 Lac | 10 Lac | 10 Lac |
| Credit Card Based Insurance (Death) | -- | -- | 10 Lac | 10 Lac | --- | -- | -- | -- | 10 Lac | 10 Lac |
| Group Term Life Insurance (Natural Death)s | 10 Lac (Up to 65 Yrs) | -- | 10 Lac (Up to 60 Yrs) | -- | -- | -- | 10 Lac (Up to 60 Yrs) | -- | 10 Lac | - |
| PAI (Death) (By Bank) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 Lac | 5 Lac | - | - |
| Forest cover | - | - | - | - | - | - | - | - | Up to 10 Lac | - |

| विशेषताएं | एसबीआई | | पीएनबी | | पीएसबी | | यूबीआई | | बी.ओ.आई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त |
| शिक्षा सहायता (दुर्घटना के दौरान मृत्यु पर) आश्रितो के लिए | अधिकतम 10 लाख (पुत्री के लिए) अधिकतम 8 लाख (पुत्र के लिए) (स्नातक के लिए केवल एक बच्चे के लिए) | अधिकतम 5 लाख (स्नातक उपाधि के लिए केवल एक बच्चे के लिए | प्रत्येक बच्चे के लिए 4 वर्षो के लिए अधिकतम 5 लाख (अधिकतम दो बच्चो के लिए) | प्रत्येक बच्चे के 3 वर्षो के लिए अधिकतम 5 लाख तक (अधिकतम दो बच्चो के लिए) | 6 लाख लड़के के लिए 12 लाख पुत्री के लिए (शिक्षा के लिए उम्र सीमा-12-22 वर्ष (अधिकतम दो बच्चो के लिए) | | 6 लाख तक (अधिकतम दो बच्चो के लिए) (केवल स्नातक उपाधि के लिए) | 6 लाख तक (अधिकतम दो बच्चो के लिए) (केवल स्नातक उपाधि के लिए) | 10 लाख (अधिकतम 02 बच्चो के लिए, 5 लाख प्रति बच्चा) | - |
| लड़की के विवाह (सीएपीएसपी धारक की दुर्घटना के दौरान आकस्मिक मृत्यु पर) | 10 लाख (दो पुत्री के लिए) | 5 लाख (एक पुत्री के लिए) | 5 लाख (दो पुत्री के लिए) | 5 लाख (एक पुत्री के लिए) | | | -- | -- | 5 लाख (दो पुत्री के लिए) | - |
| प्लास्टिक सर्जरी जलने की स्थिति में (दुर्घटना के दौरान मृत्यु) | अधिकतम 10 लाख | अधिकतम 10 लाख | अधिकतम 10 लाख | - | अधिकतम 10 लाख | अधिकतम 10 लाख | अधिकतम 2 लाख | अधिकतम 2 लाख | अधिकतम 10 लाख | - |
| 48 घंटे कोमा के उपरान्त मृत्यु पर (दर्घटना के दौरान) | अधिकतम 5 लाख | अधिकतम 5 लाख | अधिकतम 5 लाख | - | अधिकतम 2 लाख | अधिकतम 2 लाख | - | - | अधिकतम 5 लाख | - |
| दवाई मंगाने का परिवहन चार्ज (दुर्घटना के दौरान मृत्यु पर) | अधिकतम 5 लाख | अधिकतम 5 लाख | अधिकतम 10 लाख | - | अधिकतम 10 लाख | अधिकतम 10 लाख | अधिकतम 2 लाख | अधिकतम 2 लाख | अधिकतम 5 लाख | - |
| साईबर फ्राड बीमा | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिकतम 10 लाख (मोबाईल और इंटरनेट बैंकिंग) | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | अधिकतम 3 लाख (यूपीआई) | - |

| FEATURES | SBI | | PNB | | PSB | | UBI | | BOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERVING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PENS-IONR |
| Education Benefits for wards in case of accidental death of Beneficiary | Max 10 Lac [Girl Child] Max 08 Lac [Male Child] [For Gradu-ation of 01 child only] | Max 05 Lac [For Grad-ation of 01 child only] | Up to 05 Lac per yr for 04 yrs per child [Max 02 children] | Up to 05 Lac per yr for 03 yrs per child [Max 02 childr- en] | 6 Lac for Boy Child 12 Lac for Girl Child (Age limit for Educa- tion Benefit :- 12-22 yrs) [Max 02 childr- en] | - | Up to 06 Lac [Max 02 childr- en] [For Gradu- ation only] | Up to 06 Lac [Max 02 children] [For Gradu-ation only] | 10 Lakh (Max 02 Children, 5 Lakh each) | - |
| Girl Marriage (In case of accidental death of CAPSP Beneficiary) (18-25 Yrs) | 10 Lac (02 Girls) | 05 Lac (01 Girl) | 5 Lac per child (02 Girls) | 05 Lac (01Gi-rl) | | | -- | -- | 5 Lac per child (02 Girls) | - |
| Plastic Surgery in Burn Cases (Accidental Death) | Up to 10 Lac | Up to 10 Lac | Up to 10 Lac | -- | Up to 10 Lac | Up to 10 Lac | Up to 2 Lac | Up to 2 Lac | Up to 10 Lac | - |
| Accidental Death after Coma (After 48 hrs) (Accidental Death) | Up to 5 Lac | Up to 5 Lac | Up to 05 Lac | -- | Up to 02 Lac | Up to 02 Lac | -- | -- | Up to 5 Lac | - |
| Transportation of Imported Medicine (Accidental Death) | Up to 05 Lac | Up to 05 Lac | Up to 10 Lac | -- | Up to 10 Lac | Up to 10 Lac | Up to 2 Lac | Up to 2 Lac | Up to 5 Lac | - |
| Cyber Fraud Insurance | - | - | - | - | - | - | - | - | Up to 10 Lac (mobile & internet banking) | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | Up to 3 Lac (UPI payment) | - |

| विशेषताएं | एसबीआई | | पीएनबी | | पीएसबी | | यूबीआई | | बी.ओ.आई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त |
| एयर एम्बुलेंस (दुर्घटना के दौरान मृत्यु पर) | अधिकतम 10 लाख | अधिकतम 10 लाख | अधिकतम 10 लाख | अधिकतम 1 लाख | - | - | अधिकतम 6 लाख | - | अधिकतम 10 लाख | - |
| पार्थिव शरीर के परिवहन पर (दुर्घटना के दौरान मृत्यु पर) | अधिकतम 50 हजार | अधिकतम 50 हजार | अधिकतम 50 हजार | - | अधिकतम 30 हजार | अधिकतम 30 हजार | अधिकतम 20 हजार | - | अधिकतम 50 हजार | - |
| एम्बुलेंस चार्ज | अधिकतम 50 हजार | अधिकतम 50 हजार | अधिकतम 50 हजार | अधिकतम 10 हजार | अधिकतम 3 हजार | अधिकतम 3 हजार | - | - | अधिकतम 50 हजार | |
| परिवार के दो सदस्यों के परिवहन का खर्च (दुर्घटना के दौरान मृत्यु पर) | अधिकतम 50 हजार | अधिकतम 50 हजार | अधिकतम 40 हजार | - | - | - | अधिकतम 20 हजार | - | अधिकतम 50 हजार | |
| अंतिम संस्कार का खर्च | - | - | अधिकतम 30 हजार | अधिकतम 10 हजार | अधिकतम 10 हजार | अधिकतम 10 हजार | - | - | - | - |
| ओवर ड्रॉफ्ट सुविधा | - | - | 03 माह का शुद्ध वेतन ओआर/एसओ के लिए 75,000 तक अधिकारियों के लिए 3 लाख तक | 02 माह का शुद्ध वेतन ओआर/एसओ के लिए 75,000 तक अधिकारियों के लिए 3 लाख तक | वेतन का 3 गुणा राशि 2 लाख तक | वेतन का 3 गुणा राशि 2 लाख तक | 02 माह का शुद्ध वेतन ओआर के लिए 50,000, एस.ओ. के लिए 2 लाख एवं अधिकारी के लिए 5 लाख तक | 01 माह के शुद्ध वेतन का 90% एनजीओ के लिए 50,000 तक अधिकारियों के लिए 2 लाख तक | एक माह के बेतन के बराबर | |
| लॉकर के लिए रियायत | 10% (सोने के लिए) 15% (हीरा के लिए) 25% (प्लेटीनम के लिए) | - | 25% (एन.जी.ओ के लिए 3 वर्ष) 25% (रा.अ. के लिए प्रति वर्ष) | 25% प्रथम 3 वर्षो के लिए | 50% | 50% | 25% (1 वर्ष)-अन्य कार्मिक 50%(1 वर्ष)-अधि.अधिकारी 100% प्रथम वर्ष एवं 50% दुसरे वर्ष से - रा.अ. के लिए | 25% (एन.जी.ओ के लिए प्रथम वर्ष) 50% रा.अ. के लिए प्रथम वर्ष) | 100 प्रतिशत तक की छूट | |

| FEATURES | SBI | | PNB | | PSB | | UBI | | BOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERVING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PENS-IONR |
| Air Ambulance (Accidental Death) | Up to 10 Lac | Up to 10 Lac | Up to 10 Lac | Up to 1 Lac | -- | -- | Up to 6 Lac | -- | Up to 10 Lac | |
| Transportation of mortal remains (Accidental Death) | Up to 50,000 | Up to 50,000 | Up to 50,000 | -- | Up to 30,000 | Up to 30,000 | Up to 20,000 | -- | Up to 50,000 | - |
| Ambulance Charges (Accidental Death) | Up to 50,000 | Up to 50,000 | Up to 50,000 | Up to 10,000 | Up to 3000 | Up to 3000 | -- | -- | Up to 50,000 | |
| Family Transportation Cost (2 Members) (Accidental Death) | Up to 50,000 | Up to 50,000 | Up to 40,000 | -- | -- | -- | Up to 20,000 | -- | Up to 50,000 | |
| Funeral Expenses (Accidental Death) | -- | -- | Up to 30,000 | Up to 10,000 | Up to 10,000 | Up to 10,000 | -- | -- | - | - |
| Over Draft Facility | -- | -- | 03 Months net salary Up to 75,000 (ORs/ SOs) Up to 3 Lac (Offic-ers) | 02 times of net salary Up to 75,000 (ORs/ SOs) Up to 2 Lac (Offrs-) | 03 times of salary Up to 2 Lac | 03 times of salary Up to 2 Lac | 02 Months net salary Up to 50,000 (ORs) Up to 2 Lac (SOs) 5 Lac (Offrs) | 90% of 01 Month net salary Up to 50,000 (NGOs) Up to 2 Lac (Offrs) | Equal to one month salary | Equal to one month salary |
| Concession in locker rent | 10% (For Gold) 15% (For Diamond) 25% (For Platin-um) | -- | 25% for 03 yrs (NGOs) 25% for every yr (Offrs-) | 25% for 1st 3 years | 50% | 50% | 25% for 1st yr (ORs) 50% for 1st yr (SOs) 100% for 1st yr & 50 % fm 2nd yr onwar-ds (GOs) | 25% for 1st yr (NGOs) 50% for 1st yr (GOs) | Up to 100% waiver | Up to 100% waiver |

| विशेषताएं | एसबीआई | | पीएनबी | | पीएसबी | | यूबीआई | | बी.ओ.आई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त |
| आकस्मिक मेडिकल खर्च | - | - | अधिकतम 25 हजार | अधिकतम 25 हजार | अधिकतम 10 हजार | अधिकतम 10 हजार | अधिकतम 30 हजार | - | - | - |
| ऑटो स्विप सुविधा | प्रारंभिक सीमा राशि 50 हजार उसके उपरान्त 1 हजार के गुणज में | प्रारंभिक सीमा राशि 50 हजार उसके उपरान्त 1 हजार के गुणज में | प्रारंभिक सीमा राशि 50 हजार उसके उपरान्त 25 हजार के गुणज में | प्रारंभिक सीमा राशि 50 हजार उसके उपरान्त 25 हजार के गुणज में | - | - | - | - | प्रारंभिक सीमा राशि 1,00,000 इसके पश्चात 25,000 के गुणकों में | - |
| होम लोन | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ<br>आर.ओ. आई पर 0.05% | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ<br>आर.ओ. आई पर 0.05% | 7.55% (अंतिम तीन ई.एम.आई माफ) 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ | 7.55% (अंतिम तीन ई.एम.आई माफ) 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ<br>25 लाख और उससे अधिक पर 100% 25 लाख से कम पर 50% | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ<br>25 लाख और उससे अधिक पर 100%<br>25 लाख से कम पर 50% | प्रोसेसिंग शुल्क में 50% से 100% तक की छूट। ब्याज दर (ROI) में 5 बीपीएस से 25 बीपीएस तक की रियायत। | प्रोसेसिंग शुल्क में 50% से 100% तक की छूट। |
| शिक्षा लोन | - | - | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ<br>आर.ओ. आई पर 0.05% | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ<br>आर.ओ. आई पर 0.05% | 7.20% | 7.20% | आर. ओ.आई पर 0.10% (सभी कार्मिकों के लिए) आर.ओ. आई पर 0.05% (रा.अ. के लिए) (7.50 लाख से अधिक का लोन) | आर.ओ. आई पर 0.10%<br>(7.50 लाख से अधिक का लोन) | प्रोसेसिंग शुल्क में छूट। ब्याज दर (ROI) में 5 बीपीएस से 25 बीपीएस तक की रियायत | प्रोसेसिंग शुल्क में 50% से 100% तक की छूट |

| FEATURES | SBI | | PNB | | PSB | | UBI | | BOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERVING | PENSION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PENS-IONR |
| Emergency Medical Expenses | -- | -- | Up to 25,000 | Up to 25,000 | Up to 10,000 | Up to 10,000 | Up to 30,000 | -- | - | - |
| Auto Sweep Facility | Initial threshold amount 50,000 Multiples of 1,000 thereafter | Initial threshold amount 50,000 Multiples of 1,000 thereafter | Initial threshold amount 50,000 Multiples of 25,000 thereafter | Initial threshold amount 50,000 Multiples of 25,000 thereafter | -- | -- | -- | -- | Initial threshold amount 1,00,000 Multiples of 25,000 thereafter | - |
| Home Loan | 100% processing fee waived | 100% processing fee waived | 100% processing fee waived 0.05% on ROI | 100% processing fee waived 0.05% on ROI | 7.55%* (Last 3 EMIs waive-d off) 100% proces-sing fee waive-d | 7.55%* (Last 3 EMIs waive-d off) 100% processing fee waive-d | Processing fee waived off 100% on 25 Lac & above 50 % on below 25 Lac | Processing fee waived off 100% on 25 Lac & above 50 % on below 25 Lac | 50 to 100% waiver on processing charges. 5 bps to 25 bps concession in ROI | 50 to 100% waiver on processing charges |
| Education loan | -- | -- | 100% processing fee waive-d 0.05% conce-ssion on ROI | 100% proce-ssing fee waived 0.05% on ROI | 7.20%* | 7.20%* | 0.10% concession on ROI (NGs) 0.50% concession on ROI (GOs) (Loan more than 7.50 Lac) | 0.10% conce-ssion on ROI (Loan more than 7.50 Lac) | waiver on processi-ng charges. 5 bps to 25 bps concession in ROI | 50 to 100% waiver on processing charges |

| विशेषताएं | एसबीआई | | पीएनबी | | पीएसबी | | यूबीआई | | बी.ओ.आई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त |
| गाड़ी के लिए लोन | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ<br><br>आर.ओ. आई पर 0.10% | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ<br><br>आर.ओ. आई पर 0.10% | 4 पहिया -7.70%<br>2 पहिया- 10.25%<br><br>पुराने 4 पहिया-10 .00%<br><br>100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ | 4 पहिया -7.70%<br>2 पहिया- 10.25%<br><br>पुराने 4 पहिया-10. 00%<br><br>100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ | आर.ओ. आई पर 0.10%(सभी कार्मिकों के लिए)<br><br>आर.ओ. आई पर 0.15% (रा.अ. के लिए) | आर.ओ. आई पर 0.10% | प्रोसेसिंग शुल्क में छूट। ब्याज दर (ROI) में 5 बीपीएस से 25 बीपीएस तक की रियायत | प्रोसेसिंग शुल्क में 50% से 100% तक की छूट |
| पर्सनल लोन | 100 % प्रोसेसिंग शुल्क माफ | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ<br><br>आर.ओ. आई पर 0.10% | 100% प्रोसेसिंग शुल्क माफ<br><br>आर.ओ. आई पर 0.10% | 9.85% | 9.85% | आर.ओ. आई पर 0.10% | आर.ओ. आई पर 0.10% | कुल सैलरी / पेंशन का 6 गुणा | |

| FEATURES | SBI | | PNB | | PSB | | UBI | | BOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERVING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PENS-IONR |
| Vehicle Loan | 100% processi-ng fee waived | 100% proce-ssing fee waive-d | 100% proces-sing fee waive-d 0.10% conce-ssion on ROI | 100% processing fee waived 0.10 % conce-ssion on ROI | 4 Wheel-er - 7.70%* 2 Wheel-er -10.25 %* Old 4 Wheeler - 10.00 %* 100% processing fee waive-d | 4 Whee-ler - 7.70 %* 2 Whee-ler 10.25 %* Old 4 Wheeler - 10.00 %* 100% proce-ssing fee waive-d | 0.10% concessiion on ROI (NGOs) 0.15% conce-ssion on ROI (GOs) | 0.10 % conce-ssion on ROI | waiver on processing charges. 5 bps to 25 bps concession in ROI | 50 to 100% waiver on processing charges |
| Personal loan | 100% processing fee waived | 100 % processing fee waived | 100 % processing fee waived 0.10 % concession on ROI | 100 % processing fee waived 0.10 % concession on ROI | 9.85 %* | 9.85 %* | 0.10 % concession on ROI | 0.10 % concession on ROI | Equal to six month net salary / pension | |

| विशेषताएं | एसबीआई | | पीएनबी | | पीएसबी | | यूबीआई | | बी.ओ.आई | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त | सेवारत | सेवानिवृत्त |
| परिवार के लिए फायदे | पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता तथा भाई-बहन "SBI रिश्ते" खाता खोलने के पात्र है। (अधिकतम 4 खाते)<br>i. शून्य बैलेंस बचत खाता<br>ii. निःशुल्क डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा, किसी भी एटीएम पर असीमित एटीएम लेन-देन,एएमसी निःशुल्क<br>iii. डिमांड ड्राफ्ट जारी करने पर कोई शुल्क नही<br>iv. ऑटो स्वीप सुविधा<br>v. वार्षिक लॉकर किराये में 10% की रियायत<br>vi. 5 लाख का पी.ए.आई कवर (नाबालिको को छोड़कर) | - | अधिकतम चार जीरो बैलेंस खाता के साथ जीवनभर रुपये प्लेटिनम डेबिट कार्ड | - | वीर नारी के लिए लाभ<br>i. पी.ए.आई-1 करोड़<br>ii. डेबिट कार्ड आधारित बीमा- 3 लाख<br>iii. पेंशनभोगियों पर लागू सभी अन्य सुविधाए भी लागू होगी।<br><br>सेवारत जीवनसाथी के लिए लाभ<br>i. पी.ए.आई-40 लाख से 1 करोड़<br>ii. पी.टी.डी- 40 लाख से 1 करोड़<br>iii. दुर्घटनाजन्य मृत्यु होने पर बच्चो के लिएअतिरिक्त शिक्षा लाभ- 24 लाख प्रत्येक पुत्र के लिए 6 लाख (12-22 वर्ष) प्रत्येक पुत्री के लिए- 12 लाख (12-22 वर्ष)<br>iv. हवाई दुर्घटना बीमा कवर-1.2 करोड़<br>v. डेबिट कार्ड आधारित बीमा-2 लाख<br>vi. घर / वाहन ऋण- आर.ओ.आई में 0.05% | | मुख्य खाता धारक के पति/पत्नी एवं दो बच्चों के लिए जीरो बैलेंस बचत खाता | मुख्य खाता धारक के पति/पत्नी एवं दो बच्चों के लिए जीरो बैलेंस बचत खाता | एक परिवार के सदस्य एक सामान्य समूह में शामिल किए जाएंगे, जिसे **यूनिक ग्रुप आईडी** के तहत पहचाना जाएगा, जिसमें न्यूनतम 2 और अधिकतम 6 सदस्य होंगे | - |

**नोटः-** सभी डीडीओ दावो को समय पर संबंधित बैंक में प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही संबंधित कार्मिक अथवा उनके उत्तराधिकारी की आवश्यक मदद भी करना सुनिश्चित करेंगे ।

********

| FEATURES | SBI | | PNB | | PSB | | UBI | | BOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SERVING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PEN-SION-ER | SER-VING | PENS-IONR |
| Benefits for family | Spouse, children, parents and siblings are eligible to open "SBI Rishtey" - (Maximum accounts-) i. Zero balance Saving account, ii. Free debit card issuance, Unlimited no. of ATM transactions at any ATM, AMC free iii. DD issuance charges free iv. Auto sweep facility v. 10% concession in annual Locker rent vi. 5 Lac PAI cover (except minors) | -- | Up to 04 Zero Balance family accounts with lifetime free Rupay Platinum Debit Card. | -- | Benefits to Veer Naris:- i. PAI :- 1 Cr ii. Debit Card based insurance :- 3 Lac iii. All other features as applicable to Pensioners<br><br>Benefits to Working Spouse :- i. PAI :- 40 Lac- 1 Cr ii. PTD :- 40 Lac- 1 Cr iii. Addl Child Education Benefit on accidental death :- Up to 24 Lac 6 Lac for each Boy Child (12-22 years) 12 Lac for each Girl Child (12-22 years) iv. Air Accident Death Cover:- 1.2 Cr v. Debit Card based insurance :- 2 Lac vi. Home/Veh Loan :- 0.05% concession on ROI | | Zero Balance Saving account for spouse & 02 children of primary account holders. | Zero Balance Saving account for spouse & 02 children of primary account holders. | Members of one family will be grouped under a common group identified by UNIQUE GROUP ID with min. 2 & max 6 members. | - |

**Note :-** All DDOs shall ensure that the claims are forwarded to the concerned bank in a timely manner. They shall also ensure that necessary assistance is provided to the concerned personnel or their legal heirs.

*******

## अध्याय – 08
## केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को केन्द्र सरकार से मिलने वाले सेवा निवृत्ति लाभ
## (31/12/2003 तक नियुक्त कार्मिकों के लिए लागू)

### 1. पेंशन

**क) पेंशनः-** अंतिम 10 माह की औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत या अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत, जो भी उनके लिए लाभदायक हो, बशर्ते न्यूनतम पेंशन रू.9000/- हो । पेन्शन की गणना निम्नानुसार है :-

अंतिम 10 माह की औसत परिलब्धियां

**उदाहरण** –

| | | |
|---|---|---|
| सेवानिवृत्ति की तारीख | - | 31/12/2017 |
| अर्हक सेवा | - | 33 वर्ष |
| औसत परिलब्धियां | - | 37000/- |
| अंतिम बेसिक वेतन | - | 39,200/- |

पेंशन $\frac{39200 \times 50}{100}$ = 19,600/- प्रति माह(दिनांक 01/01/18 से)

**(ख) इनवेलिडेशन पेंशन :** सरकारी ड्यूटी के योग्य नही होने पर अशक्त होने वाले कार्मिक श्रेणी – ए के अन्तर्गत आते है और वे मूल वेतन के 50 प्रतिशत के लिए हकदार / पात्र है, बशर्ते पेंशन न्यूनतम रूपये 9000/- प्रति माह से कम न हो ।

उदाहरण –

लागू पेंशन :- $\frac{39,200 \times 50}{100}$ = 19,600 प्रतिमाह

**(ग) अशक्तता पेंशन (डिसेबिलिटी पेंशन)-** डिसेबिलिटी पेंशन निम्नानुसार उल्लिखित श्रेणियों के तहत देय/लागू हैं, न्यूनतम रूपये 18,000/- प्रति माह । अशक्तता की सीमा निम्नलिखित तरीके से निर्धारित की जाएगीः-

# CHAPTER-08
# RETIREMENT BENEFITS TO CRPF PERSONNEL FROM CENTRAL GOVERNMENT
**(Applicable for personnel appointed up to 31/12/2003)**

## 1. PENSION

**A) PENSION:-** 50% of average emoluments of last 10 months or 50% of last Basic Pay whichever is more beneficial subject to minimum pension Rs.9000/- p.m. Calculation of pension is as under:-

Average emoluments of the last 10 months.

**Example -**

| | |
|---|---|
| Date of retirement | : 31/12/2017 |
| Qualifying service | : 33Years |
| Average Emoluments | : 37,000/- |
| Last Basic Pay | : 39,200/- |
| Pension = $\frac{39200 X50}{100}$ | = 19,600 (wef. 01/01/2018) |

**B) INVALIDATION PENSION:** Personnel invalidated out due to the causes not attributable to Govt. Duty comes under **category-A** and are entitled for 50% of Basic Pay. Subject to minimum pension Rs. 9,000/- p.m

**Example**

Pension admissible= $\frac{39,200x\ 50}{100}$ = 19,600 p.m.

**C) DISABILITY PENSION:** Disability pension is entitled under categories mentioned as under, subject to a minimum of Rs. 18,000/- per month. The extent of disability shall be determined in the following manner:-

| मेडिकल बोर्ड द्वारा आंकी गई अशक्तता का प्रतिशत | अशक्तता घटक की गणना करने के लिए माना जाने वाला प्रतिशता |
|---|---|
| 50% तक | 50 |
| 50% से अधिक और 75% तक | 75 |
| 75% से अधिक और 100% तक | 100 |

**i) 'बी' और 'सी' श्रेणियों के लिये (भारत का राजपत्र संख्या सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012023-243308 दिनांक 30/01/2023 के अनुसार)**

a) 100 प्रतिशत अशक्तता के लिए 01.01.2016 कल्पित वेतन (नोशनल पे) के 50 प्रतिशत के बराबर सेवा घटक एवं अपंगता घटक के कल्पित वेतन (नोशनल पे) के 30 प्रतिशत के बराबर, इन दोनों को मिलाकर अशक्तता पेंशन होगी ।

b) 100 प्रतिशत से कम अशक्तता के लिए अशक्तता घटक आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा ।

**उदाहरण-**

100 प्रतिशत अशक्तता पेंशन के लिए अशक्तता पेंशनः-

**(सेवा घटक + अशक्तता घटक)**

**सेवा घटक (सर्विस एलीमेन्ट)** = अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत
(अर्थात रु. 39,000x 50/100 =19,600)

**अशक्तता घटक** – 100 प्रतिशत अशक्तता के लिए अंतिम मूल वेतन का 30 प्रतिशत
(अर्थात रु. 39,200x30/100=11,760)

**अशक्तता पेंशन** – रु. 19,600 + रु. 11,760 = रुपये 31,360 प्रतिमाह

**ii) 'डी' श्रेणी के लिये :-**

a) अशक्तता पेंशन में एक सेवा तत्व शामिल होगा, जो 01/01/2016 को देय नोशनल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर होगा तथा 100 प्रतिशत अशक्तता की स्थिति में दिनांक 01/01/2016 को देय सामान्य वेतन के बराबर होगा ।

b) अशक्तता के प्रतिशत कम होने की स्थिति में, अशक्तता तत्व को उसी अनुपात में कम कर दिया जाएगा ।

| Percentage of disability assessed by Medical Board | Percentage to be reckoned for computation of disability element. |
|---|---|
| Up to 50 % | 50 |
| More than 50 and up to 75% | 75 |
| More than 75 and up to 100% | 100 |

**i) For Categories 'B' & 'C' (As per Gazette of India No. CG-DL-E-31012023-243308 dated 30/01/2023)**

a) Disability pension would comprise of a service element equal to 50 % of the notional pay as on 01.01.2016 plus disability element equal to 30% of the same notional pay, for 100% disability.

b) For disability less than 100%, the disability element shall be reduced proportionately.

**Example –**

Disability Pension per month for 100 % disability. :

**( Service element + Disability element)**

**Service element** = 50% of last B/Pay

(i.e. 39,200 x 50 / 100 = 19,600/- )

**Disability element** = 30% of last B/Pay for 100% disability
(i.e. 39,200 x 30 / 100 = 11,760/- )

**Disability pension** = Rs. 19,600/- + Rs.11,760 = Rs. 31,360/- p.m.

**ii) For Categories "D"**

a) Disability pension would comprise of a service element equal to 50% of the notional pay as on 01.01.2016 and disability element equal to the same normal pay as on 01.01.2016 for 100% disability.

b) For a lower percentage of the disability, the disability element shall be reduced proportionately.

**घ) मृत्यु होने पर पारिवारिक पेन्शन (परिचालन के दौरान शहीद कार्मिक)**

**उदारीकृत पेंशन अवार्ड (एलपीए)** :: यह मृत्यु / अक्षमता होने के मामलों में अतिरिक्त पुरस्कार का हिस्सा था, जिसे अब असाधारण पेंशन नियमों के साथ मिला दिया गया है।

[यह योजना अब सेंट्रल सिविल सर्विस (असाधारण पेंशन) नियमों के साथ अधिसूचना संख्या S.O. 410(E) दिनांक 15.2.2011 के माध्यम से विलय कर दी गई है और अब यह सेंट्रल सिविल सर्विस (असाधारण पेंशन) नियमों का हिस्सा बन चुकी है।]

**ङ) अन्य प्रकार की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशनः-**

पारिवारिक पेंशन की बढ़ी हुई दर अर्थात दिवंगत कार्मिक की मृत्यु से 10 साल तक के लिए आहरित किए गए अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत, उसके बाद पारिवारिक पेंशन की सामान्य दर (अंतिम आहरित वेतन का 30 प्रतिशत) (न्यूनतम रुपये 9000/- प्रतिमाह)

**च) असाधारण पारिवारिक पेंशन के तहत पारिवारिक पेंन्शनः-**

ए) **'बी' श्रेणी के लिए**

श्रेणी "बी" के अन्तर्गत आने वाले किसी सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में देय पारिवारिक पेंशन, उसके वेतन का 60% होगी ।

बी) **'सी' एवं 'डी' श्रेणियो के लिए**

श्रेणी "सी" एवं "डी" के अंतर्गत आने वाले किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में देय पारिवारिक पेंशन, उसके तन के 100% के बराबर होगी ।

**D) FAMILY PENSION ON DEATH (KILLED IN ACTION):**

**Liberalized Pensionary Award (LPA)** :: This was a part of special awards in cases of death or disability, which has now been merged with the Extraordinary Pension Rules.

This Scheme has been merged with Central Civil Service (Extraordinary Pension) Rules vide Notification No. S.O. 410(E) dated 15.2.2011 and now this is a part of Central Civil Service (Extraordinary Pension) Rules]

**E) FAMILY PENSION IN OTHER DEATHS :**

Enhanced rate of family pension i.e. 50% of last Basic Pay drawn for 10 years from the date following the date of death of the deceased there after normal rate of family pension (30% of last pay drawn) (Minimum Rs. 9,000/- p.m.)

**F) FAMILY PENSION UNDER EXTRAORDINARY FAMILY PENSION :**

***a) For Categories "B"***

The amount of Family Pension payable on death of a Government servant under Category "B" shall be 60% of the pay

***b) For Categories "C" & "D"***

The amount of Family Pension payable on death of a Government servant under Category "C" & "D" shall be equal to 100% of the pay.

**छ) पेंशन का सारांशीकरण (कम्यूटेशन)**

पेंशन कम्यूटेशन राशि की गणनाः-

एक मुश्त देय = सारांशीकरण (कम्यूटेशन) गुणन x 12 x पेंशन का 40 प्रतिशत या कम्यूटेशन के लिए प्रस्तावित पेंशन ।

**उदाहरणः-**

| | |
|---|---|
| पेन्शन | =18500 |
| पेन्सन का 40 प्रतिशत | =7400 |
| अगले जन्म दिन को आयु | =61 |
| कम्यूटेशन गुणन | =8.194 |
| कम्यूटेशन पेन्शन की राशि | =7400 X12X 8.194 |
| | = रू.7,27,627.20 |
| अर्थात | = रू.7,27,627/- |

**2. उपदान (ग्रेच्युटी)**

सेवानिवृत्ति उपदान (ग्रेच्युटी) की दर प्रत्येक पूर्ण छः मासिक अवधि की अर्हक सेवा (क्वालीफाईंग सर्विस) के लिए अंतिम आहरित एक चौथाई परिलब्धियों है, जो परिलब्धियों का अधिकतम 16 ½ गुना या रु. 25 लाख में से जो भी कम हो ।

**i) सेवानिवृत्ति उपदान की गणनाः-**

अंतिम आहरित वेतन+मंहगाई भत्ता (सेवा निवृत्ति) x छः मासिक अवधि ÷ 4

**उदाहरण :**

अंतिम आहरित वेतन : 37,000

अर्हक सेवा : 33 वर्ष

$$= \frac{\text{37,000+1850(मंहगाई भत्ता) x 66 छः मासिक अवधि(एस.एम.पी)}}{4}$$

$$= \frac{(37{,}000+1850) \times 66}{4}$$

$$= \frac{38{,}850 \times 66}{4}$$

=6,41,025

**G. COMMUTATION OF PENSION:**

Calculation of Commutation value of pension

Lumpsum payable =Commutation factor x 12 x 40% of pension or pension offered for commutation.

**Example:**

| | |
|---|---|
| Pension | = 18500 |
| 40% of pension | = 7400 |
| Age next birthday | = 61 |
| Commutation factor | = 8.194 |
| Amount of commutation Pension | = 7400X12X8.194 |
| | = Rs.7,27,627.20/- |
| | R/O Rs.7,27,627/- |

**2. GRATUITY:-**

Rate of retirement gratuity is ¼ of emoluments last drawn for each completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 16-½ times of the emoluments or Rs. 25 lacs whichever is less.

**i) Calculation of Retirement gratuity**

Last Pay drawn+ DA (retirement) x six monthly period ÷ 4.

**Example:**

| | |
|---|---|
| Last pay drawn | : 37000 |
| Qualifying Service | : 33 Years |

$$= \frac{37000 + 1850\ (DA) \times 66\ smp}{4}$$

= 37000+1850x66

$$= \frac{38850 \times 66}{4}$$

= 6,41,025

**ii) मृत्यु उपदान की गणनाः-**

सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में मृत्यु उपदान निम्नलिखित दरों पर देय है –

| **सेवा की अवधि** | **परिवार को देय / लागू मृत्यु उपदान** |
|---|---|
| 01 वर्ष से भी कम | मासिक परिलब्धयों का 02 गुना |
| 01 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 05 वर्ष से कम | मासिक परिलब्धयों का 06 गुना |
| 05 वर्ष या उससे अधिक परंतु 20 वर्ष से कम | मासिक परिलब्धयों का 12 गुना |
| 20 वर्ष या उससे अधिक | प्रत्येक पूर्ण छः मासिक अर्हक सेवा की अवधि के लिए परिलब्धियों का आधा, अधिकतम तैतींस वर्ष की परिलब्धियाँ या रुपये 25 लाख में से जो भी कम हो। |

**<u>उदाहरण –</u>**

अंतिम आहरित वेतन - 37,000

अर्हक सेवा - 33 वर्ष

$$= \frac{37000+1850(\text{मंहगाई भत्ता}) \times 66(\text{एस.एम.पी})}{2}$$

$$= \frac{37000+1850 \times 66}{2}$$

$$= \frac{38850 \times 66}{2} = 12,82,050/-$$

**3. अवकाश का नकदीकरणः-**

सेवानिवृत्ति या मृत्यु या सेवा छोड़ने पर अधिकतम 300 दिनों के लिए अंतिम आहरित परिलब्धियों के बराबर राशि

a) अधिकतम अर्जित छुटटी - 300 दिन।

**ii) Calculation of Death gratuity**

Death Gratuity is admissible in the case of death in service at following rates:-

| **Length of Service** | **Death Gratuity payable to family** |
|---|---|
| Less than one year | 2 times of monthly emoluments. |
| One year or more but less than 5 years | 6 times of monthly emoluments |
| 5 years or more, but less than 20 years. | 12 times of monthly emoluments. |
| 20 years or more | Half of emolument for every completed six monthly period of qualifying service subject to a maximum of 33 times of emoluments or Rs 25 Lakh whichever is less. |

**Example**

Last pay drawn - 37,000

Qualifying service - 33 years

$$= \frac{37000+1850(DA) \times 66\ (SMP)}{2}$$

$$= \frac{37000+1850 \times 66}{2}$$

$$= \frac{38850 \times 66}{2} = 12{,}82{,}050/-$$

**3. Calculation of Leave Encashment** :

On retirement or death or quitting from service, amount equivalent to emoluments last drawn subject to the maximum of 300 days.

a) Earned leave maximum - 300 days

**उदाहरण:**

<u>अंतिम आहरित वेतन + सेवा छोड़ने के समय मंहगाई भत्ता x अर्जित छुटटी के कुल दिन, अधिकतम 300 दिन</u>

30

मूल वेतन - 37,000 अंतिम आहरित वेतन + सेवानिवृत्ति/सेवा छोड़ने के समय मंहगाई भत्ता

मंहगाई भत्ता @ 05 प्रतिशत = 1850

जमा अर्जित छुटटी = 200 दिन

नकदी के समतुल्य = <u>37000 + 1850 x 200 = 2,59,000/-</u>

30

b) अर्ध वेतन छुटटी (एच.पी.एल) = <u>37000 + 1850 x 100</u>

30x2

= 64,750/-

**4. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना**

केन्द्रीय सरकार के सभी सर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है । मासिक अंशदान तथा बीमा सुरक्षा कवर निम्नलिखित है :-

| **ग्रुप** | **मासिक अंशदान की दर** | **बीमा राशि** |
|---|---|---|
| **“ए”** | रु0 120/- | रु0 1,20,000/- |
| **“बी”** | रु0 60/- | रु0 60,000/- |
| **“सी”** | रु0 30/- | रु0 30,000/- |

**मृत्यु होने पर हकदारी** – बीमा सुरक्षा कवर की राशि + सरकार द्वारा परिचालित वार्षिक विवरणी के अनुसार मृत्यु तक जमा हुई अंशदान राशि ।

**सेवानिवृत्ति / सेवा छोड़ने पर अनुदान** – सरकार द्वारा परिचालित वार्षिक विवरणी के अनुसार सेवानिवृत्ति / सेवा छोड़ने की तिथि तक जमा अंशदान की राशि ।

**Example:**

<u>Last pay drawn + D.A on date of retirement/ Quitting service x</u>
<u>No of days of E/L subject to maximum 300 days</u>
30

Basic Pay- 37000 Last pay drawn + D.A on date of retirement/quitting service.

DA @ 5% =1850
EL at credit =200 days
Cash equivalent =<u>37000+1850X200</u>
30

= 2,59,000/-

b) **HPL** = <u>37000+1850 X 100</u>
30X2

= 64,750/-

**4. CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES GROUP INSURANCE SCHEME:**

The scheme is compulsory to all the Central Government employees. Monthly subscription and amount of insurance cover is as under:-

| Group | Rate of Subscription | Amount of insurance |
|---|---|---|
| **"A"** | Rs. 120/- | Rs. 1,20,000/- |
| **"B"** | Rs. 60/- | Rs. 60,000/- |
| **"C"** | Rs. 30/- | Rs. 30,000/- |

**Entitlement on death** – Amount of insurance cover + amount of subscription deposited on death as per table circulated by Govt. annually.

**Entitlement on retirement / quitting service** – Amount of subscription deposited on the date of retirement / quitting service as per table circulated by Govt. annually.

5. **चिकित्सा भत्ता :** केंद्रीय सरकार के वे पेंशनभोगी, जो केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस) की सुविधाएँ प्राप्त नहीं कर रहे हैं अथवा केवल सी.जी.एच.एस (गैर-आवृत क्षेत्र) की आई.पी.डी. सुविधाएं ही ले रहे है, वे रुपये 1000 प्रतिमाह की निश्चित चिकित्सीय भत्ता (एफ.एम.ए) प्राप्त करने के पात्र होंगे, बशर्ते कि वे अपने निवास स्थान से संबंधित निर्धारित शर्तों/मानदंडों को पूरा करते हों।

6. **सामान्य भविष्य निधि**

**सामान्य भविष्य निधि की गणना**

*वर्ष-2018-19, अंत शेष - 38,600/-*

*(8 प्रतिशत ब्याज की दर से दिनांक-01/04/19 से 30/06/19 तक की अवधि का ब्याज की गणना)*

| **मास** | **अंशदान** | **ब्याज की दर** | **कुल** | **आंशिक निकासी** | **मासिक शेष** |
|---|---|---|---|---|---|
| अप्रैल 19 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 39600 |
| मई 19 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 40600 |
| जून 19 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 41600 |
| कुल | **3000** | **0** | **3000** | **0** | **121800** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| कुल प्रोग्रेसिव | 121800 | प्रारंभिक शेष | 38600 |
| मासिक औसत | 10150 | जमा राशि | 3000 |
| | | ब्याज | 812 |
| | | **कुल** | **42412** |
| | | डेबिटस | 00 |
| | | **शुद्ध राशि** | **42412** |

5. **MEDICAL ALLOWANCE:** Central Government pensioners who are not availing Central Government Health Scheme (CGHS) facilities or availing only IPD facilities of CGHS (non covered area) are eligible for a Fixed Medical Allowance (FMA) of Rs.1,000 per month, provided that they meet specific criteria related to their place of residence.

6. **GENERAL PROVIDENT FUND :**

**CALCULATION OF GPF**

*Year 2018-19, Closing Balance – 38,600/-*

*(Calculation of Interest for the period w.e.f 01/04/19 to 30/06/19 @ 8%)*

| **MONTH** | **SUBS** | **R.O. A** | **TOTAL** | **WITHD-RAWALS** | **MONTH BALANCE** |
|---|---|---|---|---|---|
| April 19 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 39600 |
| May 19 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 40600 |
| June 19 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 41600 |
| TOTAL | **3000** | **0** | **3000** | 0 | **121800** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Progressive | 121800 | Opening Balance | 38600 |
| Monthly Average | 10150 | Deposits | 3000 |
| | | Interest | 812 |
| | | Total | **42412** |
| | | Debits | 00 |
| | | **Net Amount** | **42412** |

## भाग-दो

(7.9 प्रतिशत ब्याज की दर से दिनांक-01/07/19 से 31/03/20 तक की अवधि का ब्याज की गणना)

| मास | अंशदान | ब्याज की दर | कुल | निकासी | मासिक शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| जुलाई 19 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 43600 |
| अगस्त 19 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 45600 |
| सितम्बर 19 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 47600 |
| अक्टूबर 19 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 49600 |
| नवम्बर 19 | 3000 | 0 | 3000 | 40000 | 12600 |
| दिसम्बर 19 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 15600 |
| जनवरी 20 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 18600 |
| फरवरी 20 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 21600 |
| मार्च 20 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 24600 |
| **कुल** | **23000** | **0** | **23000** | **40000** | **279400** |
| कुल प्रोग्रेसिव | | 279400 | | प्रारंभिक शेष | 42412 |
| मासिक औसत | | 17883 | | जमा राशि | 23000 |
| | | | | ब्याज | 1839 |
| | | | | कुल | **67251** |
| | | | | डेबिटस | 40000 |
| | | | | **शुद्ध राशि** | **27251** |

**ब्याज -** $\frac{\text{कुल प्रोग्रेसिव x ब्याज की दर}}{12 \times 100}$

**नोट :** कॉलम नं0 2 में, अप्रैल माह में मार्च एवं अप्रैल के वेतन का मासिक अंशदान दिखाया जाएगा। कॉलम नं0 6 के लिए कुल प्रोग्रेसिव (मासिक शेष) अप्रैल का अंशदान मार्च में एवं मई में अप्रैल का अंशदान दिखाया जाएगा एवं वर्ष की समाप्ति पर मार्च में फरवरी का दिखाया जाएगा।

### 7. सेवा निवृत्ति पर यात्रा भत्ता

i) पात्रता के अनुसार स्वयं और परिवार के लिए।

ii) संयुक्त स्थानान्तरण अनुदान (पिछले माह के मूल वेतन का 80 प्रतिशत)।

iii) परिवहन पर व्यक्गित सामान ले जाने के खर्च की प्रतिपूर्ति।

iv) परिवहन पर वाहन प्रभार की प्रतिपूर्ति।

*********

**Part-II**

(Calculation of Interest for the period w.e.f 01/07/19 to 31/03/20 @ 7.9%)

| MONTH | SUBS | R.O. A. | TOTAL | WITHDR-AWALS | MONTH BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| July 19 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 43600 |
| Aug 19 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 45600 |
| Sep 19 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 47600 |
| Oct 19 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 49600 |
| Nov 19 | 3000 | 0 | 3000 | 40000 | 12600 |
| Dec 19 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 15600 |
| Jan 20 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 18600 |
| Feb 20 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 21600 |
| Mar 20 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 24600 |
| **TOTAL** | **23000** | **0** | **23000** | **40000** | **279400** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Progressive | **279400** | Opening Balance | 42412 |
| Monthly Average | 23283 | Deposits | 23000 |
| | | Interest | 1839 |
| | | Total | **67251** |
| | | Debits | 40000 |
| | | **Net Amount** | **27251** |

**Interest** $\frac{\text{Total progressive x rate of interest}}{12\text{x}100}$

**Note:-** In Col. II monthly subscription realized from pay of March and April will be shown in April. For progressive totals in Col. No.6 (Monthly Balance) the subscription of March will be shown in April and April in May and so on and the end of year February in March.

**7. TA ON RETIREMENT:**

i) Travel entitlement for self and family.

ii) Composite Transfer grant (80% of the last month's basic pay.

iii) Reimbursement of charges of personal effects on transport.

iv) Reimbursement of charges on transportation of conveyance

*********

## अध्याय-09
## केन्द्र सरकार की सेवाओं में नियुक्त नये कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पेंशन के लाभ

दिनांक 01/01/2004 को या उसके पश्चात नियुक्त हुए केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में आने वाले बल के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को अगले आदेश तक निम्नलिखित लाभ प्रदान किए गए हैः-

1. **सरकारी सेवा से अशक्तता पर सेवानिवृत्त होने पर जोकि सरकारी ड्यूटी के कारण नहीं हुई है।**
   i. के.सि.से (पेंशन) नियमावली – 2021 के नियम 39 और नियम 44 के अनुसार अशक्तता पेंशन की गणना की जाएगी ।
   ii. के.सि.से (पेंशन) नियमावली – 2021 के नियम 45 के अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी की गणना की जाएगी ।
2. **सेवा के दौरान मृत्यु होने पर जो कि सरकारी ड्यूटी के कारण नहीं हुई है।**
   i. पारिवारिक पेंशन (बढ़ी हुई दर की पारिवारिक पेंशन सहित) की गणना के.सि.से (पेंशन) नियमावली 2021 के नियम 50 के अनुसार की जाएगी ।
   ii. मृत्यु उपदान की गणना के.सि.से (पेंशन) नियमावली 2021 के नियम 45 के अनुसार की जाएगी ।
3. **सरकारी ड्यूटी के दौरान बीमारी / घायल होने के कारण सरकारी सेवा से डिस्चार्ज होने पर**
   i. के.स.से. (असाधारण पेंशन) नियमावली के नियम - 2023 के अनुसार अशक्तता पेंशन की गणना की जाएगी ।
   ii. के.सि.से. (पेंशन) नियमावली 2021 के नियम 45 के साथ पठित के.सि.से (असाधारण पेंशन) के नियम – 2023 के अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी की गणना की जाएगी ।

# CHAPTER-09

## PENSIONARY BENEFITS IN NATIONAL PENSION SCHEME FOR NEW ENTRANTS TO CENTRAL GOVT SERVICES

The National Pension Scheme is applicable to all Central Government servants who are appointed on or after 01/01/2004. The following benefits extended to Force personnel/NOKs covered by the National Pension Scheme till further orders:-

1. **Retirement from Government service on invalidation not attributable to Government duty:**

    i. Invalid pension calculated in terms of Rule 39 and Rule 44 of CCS (Pension) Rules, 2021.
    ii. Retirement gratuity calculated in terms of Rule 45 of CCS (Pension) Rules2021.

2. **Death in service not attributable to Government duty:**
    i. Family Pension (including enhanced family pension) computed in terms of Rule 50 of CCS (Pension) Rules, 2021.
    ii. Death gratuity computed in terms of Rule 45 of CCS (Pension) Rules, 2021.

3. **Discharge from Government service due to disease/injury attributable to Government duty**:

    i. Disability pension computed in terms of CCS (Extraordinary pension) Rules - 2023.
    ii. Retirement gratuity computed in terms of CCS (Extraordinary Pension) Rules - 2023 read with Rule 45 of CCS (Pension) Rules, 2021.

4. **सरकारी ड्यूटी के कारण मृत्यु होने परः-**

   i. के.सि.से. (असाधारण पेंशन) नियमावली 2023 के अनुसार असाधारण पेंशन की गणना की जाएगी ।

   ii. के.सि.से. (पेंशन) नियमावली 2021 के नियम 45 के अनुसार मृत्यु उपदान की गणना की जाएगी ।

5. **अन्य लाभः-**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | अनुग्रह राशि (केन्द्रीय) | 1. रु. 35 लाख परिचालन ड्यूटी में मृत्यु के मामले में<br>2. रु. 25 लाख ड्यूटी के दौरान / दुर्घटना के कारण मृत्यु के मामले में | |
| **रेजीमेंटल निधि से** | | | |
| 2 | कल्याण एवं सुविधा निधि | रु. 1,00,000/- (रु. 80,000/- के.क.निधि से और रु. 20,000/- कल्याण निधि से) | तत्काल वित्तीय सहायता राशि दिनांक 01/01/2026 से लागू (जी.बी. मीटिंग 2024-25) |
| 3 | केन्द्रीय कल्याण निधि | रु. 5,00,000/- | मृत्यु के मामले में (दिनांक 01/01/2021 से) |
| 4 | जोखिम निधि | रुपये 35 लाख | परिचालन ड्यूटी में मृत्यु |
| | | रुपये 25 लाख | अन्य प्रकार की मृत्यु पर दिनांक 01/01/2026 से लागू (जी.बी.मीटिंग 2024-25) |

6. **यू.पी.एस (यूनिफाइड पेंशन योजना):** पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने दिनांक 19/03/2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से "पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत यूनिफाइड पेंशन योजना के संचालन) विनियम, 2025" अधिसूचित किया हैं।

*******

**4. Death in service attributable to Government duty:**

i. Extraordinary Family Pension computed in terms of CCS (Extraordinary pension) Rules, 2023.

ii. Death gratuity computed in terms of Rule 45 of CCS (Pension) Rules, 2021.

**5. Others assistance:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ex-Gratia (Central) | 1. Rs. 35,00,000/- in case of death in action.<br>2. Rs. 25,00,000/- in case of death due to accident/Risk of office while on duty | |
| | **FROM REGIMENTAL FUND.** | | |
| 2 | Welfare & Amenities Fund. | Rs. 1,00,000/- (Rs.80,000/- from CWF and Rs. 20,000/- from WAF) | Immediate financial Assistance. (w.e.f. 01/01/2026 as per GBM for 2024-25) |
| 3 | Central Welfare Fund (C.W.F.) | Rs. 5,00,000/- | (w.e.f. 01/11/2021) in case of death. |
| 4 | Risk Fund | Rs. 35 lacs | Death in Action |
| | | Rs. 25 lacs | All other types of deaths.<br>w.e.f. 01/01/2026 |

6. **UPS (Unified Pension Scheme):** Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) vide Gazette notification dated 19/03/2025 has notified the regulation called "Pension Fund Regulatory and Development Authority (Operationalization of Unified Pension Scheme under National Pension System) Regulations, 2025".

*******

# अध्याय-10
# सी.आर.पी.एफ परिवार कल्याण संस्था (कावा)

1. सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन (CWA) को औपचारिक रूप से सीआरपीएफ वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन (CWWA) के रूप में 22 जून 1995 को पंजीकृत किया गया था। इसका लोगो 8 सितंबर 2005 को संशोधित किया गया तथा नाम को आगे संशोधित कर 2 मई 2014 को सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन (CWA) कर दिया गया। CWA एक गैर-लाभकारी संस्था है और आयकर विभाग के अंतर्गत एक एनजीओ के रूप में पंजीकृत है।

2. सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन का प्रबंधन गवर्निंग बॉडी तथा केंद्रीय कार्यकारी समिति (CEC) के सदस्यों द्वारा किया जाता है। CWA का केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में स्थित है, जो महानिदेशक केरिपुबल की पत्नी (CWA की अध्यक्षा) की अध्यक्षता में कार्य करता है। इसका उद्देश्य हमारे जवानों एवं उनके परिवारों के कल्याण की देखभाल करना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्रुप सेंटर/प्रशिक्षण संस्थानों/सिग्नल यूनिट्स/कोबरा यूनिट्स तथा आरएएफ यूनिट्स में क्षेत्रीय सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन (RCWA) कार्यरत हैं। वर्तमान में कुल **78 RCWA** स्थापित हैं।

**एसोसिएशन के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं:**

- शहीदों एवं दिवंगत सीआरपीएफ कार्मिकों की विधवाओं/पत्नी, बौद्धिक एवं दिव्यांग व्यक्तियों, बौद्धिक एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों तथा सीआरपीएफ दिव्यांग कार्मिकों के पुनर्वास हेतु कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
- शिक्षा, कौशल विकास एवं आर्थिक सशक्तिकरण पहलों के माध्यम से सीआरपीएफ कार्मिकों एवं उनके परिवारों को सशक्त बनाना।

## CHAPTER-10
## CRPF FAMILY WELFARE ASSOCIATION (CWA)

1. The CRPF family Welfare Association (CWA) was formally registered as CRPF Wives' Welfare Association on 22 June 1995. Its Logo was amended on 8th September 2005 and further name amended as CRPF family Welfare Association (CWA) on 2nd May 2014. CWA is a non-profit making society and registered as an NGO with the Income Tax Department.

2. The CRPF family Welfare Association is managed by the Governing Body and Central Executive Committee (CEC) members. CWA is working centrally at Delhi under the presidential-ship of W/o DG CRPF (President CWA) to look after the welfare of our jawans and their families and Regional CRPF family Welfare Association (RCWA) at various Group Centre/Training Institutions/Signal Units/CoBRA Units and RAF units. There are a total of **78 RCWA** established at present.

**Main aims and objectives are as under for which the association is established:-**

- To promote programmes for rehabilitation of widows and spouses of Martyrs & Deceased CRPF personnel, Children with special needs (CwSN) & physical Divyang children and CRPF Divyang personnel.

- To empower CRPF personnel and their families through education, skill development and economic empowerment initiatives.

- शहीदों, दिवंगत, सेवानिवृत्त एवं सेवारत सीआरपीएफ कार्मिकों के परिवारों हेतु रोजगारोन्मुख कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना, जिससे उनकी रोजगार क्षमता एवं आर्थिक संभावनाएँ बढ़ें।

- CWA तथा सभी RCWA स्थानों पर "सम्पूर्णा (SAMPURNA)" दुकानों एवं "मैजिक बेक्स (Magic Bakes)" बेकरी शॉप्स का संचालन करना, जहाँ हस्तशिल्प, पारंपरिक उत्पाद, बेकरी उत्पाद आदि उपलब्ध हों।

- इन दुकानों से अर्जित लाभ को शहीदों, दिवंगत, सेवानिवृत्त एवं सेवारत सीआरपीएफ कार्मिकों तथा उनके आश्रित परिवारजनों के कल्याण हेतु उपयोग करना। साथ ही यह लाभ "सम्पूर्णा" एवं "मैजिक बेक्स" बेकरी शॉप्स के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण एवं उन्नयन में भी उपयोग किया जाएगा।

- दान अथवा सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से धन संग्रह करना, जिससे सीआरपीएफ कार्मिकों तथा शहीदों, दिवंगत, सेवानिवृत्त एवं सेवारत कार्मिकों के परिवारों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा सकें।

- भारत सरकार की राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत महिलाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान करना।

**आय के स्रोत:**

- सार्वजनिक/निजी संगठनों से स्वैच्छिक दान एवं योगदान, परोपकारी संस्थाओं से अनुदान, सरकारी/अर्ध- सरकारी संगठनों अथवा एसोसिएशन के सदस्यों से प्राप्त धन।

- RCWA द्वारा आयोजित फंड संग्रह अभियानों से।

- सीएसआर के पहल से, क्योंकि कावा को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (कार्यालय कंपनियों का रजिस्ट्रार) में पंजीकरण संख्या CSR00031221 दिनांक 02/06/2022 के तहत पंजीकृत किया गया है।

- To provide skill development and training programs for personnel and families of Martyrs, Deceased, Retired and serving CRPF personnel enhancing their employability and economic prospects.

- To run “SAMPURNA” Shops and Bakery shop “Magic Bakes” at CWA and at all RCWA locations where various types of handicrafts, traditional products, bakery, own manufactured products, etc are made available.

- To utilize the profit earned from these shops for the welfare of the CRPF personnel and dependent family members of martyred, deceased, retired and serving CRPF personnel and other social causes. The profit earned will also be utilized for renovation, beautification and up-gradation of the “SAMPURNA” & “Magic Bakes” Bakery Shops.

- To raise funds through Donation or through CSR activity for various welfare schemes affecting the well-being of CRPF personnel and families of Martyrs, Deceased, Retired and serving CRPF personnel.

- Imparting various skills to ladies under the National Skill Development Programme (PMKVY) of Govt. of India.

**Source of Income :-**

- From voluntary donations and contributions from the public/private organizations, grants from charitable institutions, Govt. or semi-government organizations or members of the Association.

- From fund collection drives organised by RCWAs.

- From CSR initiatives as CWA is registered under Ministry of Corporate Affairs, o/o Registrar of Companies vide Registration No CSR00031221 dated 02/06/2022.

## CWA द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाएँ:

1. **मुस्कान – द स्माइल योजना:** यह योजना **06/01/2016** को प्रारंभ की गई। 50% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सीआरपीएफ कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों (भाई-बहन, माता-पिता, पति या पत्नी) तथा दिव्यांग बच्चों को, अत्यंत आवश्यकता की स्थिति में, व्हीलचेयर वितरित की जाती हैं। यह सुविधा वीर बलिदानियो, दिवंगत, सेवारत एवं सेवानिवृत्त सीआरपीएफ कार्मिकों के परिवारों के लिए है।

2. **CWA खेल छात्रवृत्ति योजना:** यह योजना **27/11/2019** को प्रारंभ की गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिभागियों/उपलब्धि प्राप्त करने वालों को 25,000/- तथा राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों में पदक (स्वर्ण/रजत/कांस्य) विजेताओं को 15,000/- की वित्तीय सहायता, सेवारत/सेवानिवृत्त/शहीद एवं दिवंगत सीआरपीएफ कार्मिकों के बच्चों को प्रदान की जाती है।

3. **स्पर्श – द मदर्स टच योजना:** यह योजना 27/11/2019 को प्रारंभ की गई। प्रत्येक जवान की नवजात बालिका (केवल प्रथम एवं द्वितीय संतान के लिए) को रु. 2,000/- की सहायता दी जाती है, बशर्ते बालिका का जन्म संबंधित कैलेंडर वर्ष में हुआ हो तथा जन्म के समय माता-पिता सीआरपीएफ कैंप में निवासरत हों।

4. **स्वास्थ्य और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र योजना:** यह योजना 18/03/2020 को प्रारंभ की गई। CWA, अधिकारियों/जवानों एवं उनके परिवारजनों के मानसिक कल्याण तथा तनाव/चिंता को कम करने हेतु वेलनेस शिक्षा कक्षाओं, पाठ्यक्रमों अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ग्रुप सेंटरों/संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत, सभी क्षेत्रीय कावा को वर्ष में एक बार अपने क्षेत्रीय कावा सदस्यों तथा परिसर में निवास करने वाले बच्चों को क्षेत्रीय कावा के निकटवर्ती स्थित ऐतिहासिक / शैक्षिक महत्व के स्थलों के भ्रमण हेतु ले जाने के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

## WELFARE SCHEMES BEING RUN BY CWA:-

1. **MUSKAAN-THE SMILE SCHEME:-** The scheme was launched on 06/01/2016. Wheel Chairs are distributed to the CRPF Employees and their family members (i.e. sibling, parents, husband or wife) and disabled children for 50% or above disability in extreme need. This scheme is for CRPF employees & their families including Martyred, Deceased, Serving & Retired CRPF personnel.

2. **CWA SPORTS SCHOLARSHIP SCHEME: -** The scheme was launched on 27/11/2019. Financial assistance of Rs. 25,000/- to each achievers/participants of International level and Rs. 15,000/- to each achiever (Gold/Silver/Bronze Medal winner) of national level sport events is given to the wards of serving/retired/shaheed & deceased CRPF personnel.

3. **SPARSH-THE MOTHER'S TOUCH SCHEME:-**The scheme was launched on 27/11/2019. Rs. 2,000/- is given to each newly born girl child (first and second child only) of each jawan, whose date of birth falls within a given calendar year in r/o CRPF personnel and whose parents were residing within the CRPF Camp at the time of birth of girl child.

4. **WELLNESS & EDUCATION ECO SYSTEM SCHEME:-** The scheme was launched on 18/03/2020. CWA provides financial assistance to Group Centres/Institutes for organising wellness education classes/ courses or training for wellbeing and to eradicate stress/anxiety level of officers/Jawans and their family members. Through the scheme funds will also be provided to all the RCWAs for taking tours of Regional CWA members and children residing in the campus to the historical /educational sites situated nearby RCWA establishments once in a year.

5. **जे.एस.डब्ल्यू परियोजना:** जे.एस.डब्ल्यू कंपनी शहीदों/दिवंगत कार्मिकों के निकटतम परिजनों (NOK) एवं बच्चों को ब्यूटी एवं वेलनेस, मीडिया एवं एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर शिक्षा, हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग जैसे रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम विभिन्न केंद्रों पर निःशुल्क प्रदान करती है।

**सीआरपीएफ शहीद फंड – CWA परियोजना:**

**"सीआरपीएफ शहीद फंड कावा"** परियोजना 10/06/2019 को प्रारंभ की गई। यह फंड शहीदों एवं दिवंगत सीआरपीएफ कार्मिकों के परिवारों के कल्याण हेतु सहायता प्रदान करता है। परिचालनिक ड्यूटी/ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ अधिकारी/कार्मिकों को वीर बलिदानी माना जाता है तथा सेवा के दौरान (वीर बलिदानियो के अतिरिक्त) मृत्यु को प्राप्त सभी सीआरपीएफ अधिकारी/कार्मिकों को दिवंगत माना जाता है। यह CWA के अंतर्गत एक पृथक परियोजना है, जिसका उद्देश्य अलग हैं।

यह फंड केवल वीर बलिदानियो एवं दिवंगत केरिपुबल कार्मिकों के परिवारों को सहायता/सुविधाएँ प्रदान करने हेतु उपयोग किया जाता है। इसे निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है:

| **क्र.स.** | **उद्देश्य** |
|---|---|
| 01 | शिक्षा |
| 02 | स्वास्थ्य |
| 03 | कौशल विकास |
| 04 | शिक्षा में सहायता हेतु विभिन्न सामग्रियाँ जैसे कम्प्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि |
| 05 | दिव्यांग बच्चों को सहायता प्रदान करना |
| 06 | शहीद और मृतक कार्मिकों के परिवार के सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना |
| 07 | विविध |

5. **JSW PROJECT: -** JSW Company gives opportunity to the NOKs and wards of the martyrs/deceased to undertake job oriented courses like Beauty and Wellness, Media and Entertainment, Computer Education, Hardware & Networking courses are organised free of cost at various centres preferably for NOK and wards of martyrs/deceased CRPF Personnel.

**CRPF SHAHEED FUND CWA PROJECT:-**

**“CRPF SHAHEED FUND CWA”** project was launched on 10/06/2019. This fund is to provide welfare assistance to the families of CRPF martyrs and the deceased. CRPF officers/personnel who killed in action/operation are treated as martyrs and other than martyrs all CRPF officers /personnel who died during service are treated as deceased for utilizing this fund. This is a separate project under CWA with different aims/objectives.

The fund is used to provide facilities to the families of CRPF martyrs and the deceased only. It is utilized for the following purpose:-

| S.N. | Objects |
|---|---|
| 01 | Education |
| 02 | Health |
| 03 | Skill Development |
| 04 | Providing Education Aid like computers/Laptops/ Tablets etc. |
| 05 | Providing Aid to Differently abled children |
| 06 | Assistance to family members of martyrs and deceased on extreme need |
| 07 | Miscellaneous |

## कौशल विकास पाठ्यक्रम

कावा ने **"सहयोग केयर फॉर यू" (NGO)** के सहयोग से शहीद/दिवंगत/सेवारत एवं सेवानिवृत्त सीआरपीएफ कार्मिकों के बच्चों एवं परिवारजनों के लिए 03 माह एवं 06 माह की अवधि के बेसिक कंप्यूटर कोर्स निम्नलिखित स्थानों पर संचालित किए हैं:

1. GC गुरुग्राम
2. GC सोनीपत
3. GC अजमेर–II
4. GC रामपुर
5. GC श्रीनगर
6. GC नई दिल्ली
7. सेक्टर-16, ज्योति कुंज, द्वारका स्थित सीआरपीएफ सरकारी क्वार्टर

## सी.जी.एच.एस कार्ड सुविधा

**01/01/2005** या उसके बाद शहीद हुए सभी सीआरपीएफ शहीदों के निकटतम परिजनों/आश्रित परिवारजनों को सी.जी.एच.एस कार्ड की सुविधा कावा के माध्यम से प्रदान की जा रही है। सी.जी.एच.एस की एकमुश्त अंशदान राशि (आजीवन सी.जी.एच.एस लाभ हेतु 10 वर्ष की सदस्यता के समतुल्य) **सीआरपीएफ शहीद फंड कावा** से जारी की जाएगी। सी.जी.एच.एस कार्ड संबंधित ग्रुप सेंटरों के माध्यम से प्रक्रिया कर जारी किए जाते हैं। अन्य आवश्यकताग्रस्त मामलों, जो पूर्व वर्षों से संबंधित हैं, को भी सीईसी की बैठक में अनुमोदन पर भुगतान हेतु विचार किया जा सकता है ।

## कावा एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU)

कावा ने शहीद/दिवंगत सीआरपीएफ कार्मिकों के निकटतम परिजनों (NOKs), ड्यूटी के दौरान दिव्यांग होकर सेवा से पृथक किए गए कार्मिकों के बच्चों तथा सेवारत सीआरपीएफ कार्मिकों/अधिकारियों के बच्चों के लिए निःशुल्क सीटों के प्रावधान हेतु विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। सभी MoU निम्नलिखित माध्यमों से प्राप्त किए जा सकते हैं:

1. **CRPF वेबसाइट** → होम स्क्रीन → CWA → प्रोजेक्ट्स → स्कीम्स
2. **SAMBHAV ऐप** → बाईं ओर कोने में 3 लाइन मेनू → इंस्ट्रक्शन्स → विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ MoU

**Skill Development Course**

CWA in collaboration with "**Sahyog care for you**" (NGO) has been conducting Basic computer course of 03 & 06 months for the wards & family members of CRPF Martyr/deceased/serving & retired personnel at following locations :-

1. GC Gurugram
2. GC Sonipat
3. GC Ajmer-II
4. GC Rampur
5. GC Srinagar
6. GC New Delhi
7. CRPF Govt. Qtr at Sector 16, Jyoti Kunj, Dwarka.

**CGHS card facility**

Facility of CGHS Card for the NOKs/dependent family members of Martyrs who attained martyrdom on or after 01/01/2005 is being provided through CWA. A lump-sum CGHS contribution (equivalent to a 10 year subscription for lifetime CGHS benefit) will be released from **CRPF Shaheed Fund CWA.** The CGHS cards are processed and issued through the respective Group centres. Other needy cases belonging to previous years can also be considered for payment subject to approval in the CEC meeting.

**MoU between CWA and Various Educational Institutes**

CWA has signed MoU with various Educational Institutes for free / concessional seats for CRPF Wards including NoKs of Martyr, Deceased, wards of personnel disabled in action and boarded out from service and Serving CRPF personnel/Officers. All MoU can be obtained from:-

1. **CRPF website** → Home Screen → CWA → Projects → Schemes
2. **SAMBHAV App** → left side corner 3 line menu → Instructions → MoU with various Edu. Inst.

## सीआरपीएफ कार्मिकों के बच्चों हेतु शैक्षिक एवं करियर मार्गदर्शन

शहीद, दिवंगत, सेवानिवृत्त एवं सेवारत सीआरपीएफ कार्मिकों के बच्चों को सहयोग प्रदान करने हेतु कावा द्वारा कल्याण महानिदेशालय, केरिपुबल में एक समर्पित ई-मेल आईडी **cwasaarthi@gmail.com** तथा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर **9818451409** स्थापित किया है। इन माध्यमों से बच्चे विषय चयन, शैक्षणिक अवसरों, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रोफेशनल कोर्सेज तथा करियर संबंधी प्रश्नों पर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रश्न प्रस्तुत करने हेतु एक समर्पित गूगल फॉर्म भी बनाया गया है:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSevQfHhbBRLRyyS7zmd6_xa42Nu8qtWs9ziu0YV9Q85ID9FgA/viewform.

गूगल फॉर्म के माध्यम से प्राप्त सभी प्रश्नों का समाधान निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थानों के नामित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है, जो CWA के साथ MoU के अंतर्गत जुड़े हुए हैं:

1. करियर लॉन्चर एजुकेट लिमिटेड
2. दृष्टि ग्रुप
3. आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड
4. फिजिक्स वाला फाउंडेशन

### "प्रोजेक्ट चेतना"

मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु कावा एवं आदित्य बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट (ABET) के बीच उनकी परोपकारी पहल "**एम-पावर**" के अंतर्गत दिनांक 24/09/2025 को समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह MoU तीन वर्षों के लिए मान्य है तथा इसमें निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल हैं:

- मानसिक स्वास्थ्य चैंपियनशिप कार्यक्रम
- जागरूकता सत्र एवं वेबिनार
- मनोमितीय आकलन
- समर्पित परामर्श केंद्र
- 24×7 हेल्पलाइन सहायता – **07969545242**
- पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित

**Educational and career guidance to the wards of CRPF personnel including martyrs families.**

To support the wards of CRPF personnel-including families of martyrs, decease, retired and serving members- CWA has established a dedicated email ID:- **cwasaarthi@gmail.com** and whatsapp helpline:- **9818451409** at welfare directorate CRPF. Through these platforms, wards can seek guidance on stream selection, educational opportunities, competitive examinations, professional courses and other career-related queries. A dedicated Google Form has also been created for submitting queries:-
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSevQfHhbBRLRyy
S7zmd6_xa42Nu8qtWs9ziu0YV9Q85ID9FgA/viewform.

All queries received through the Google form will be addressed by designated experts from the following educational institutions who are associated with CWA under an MoU:-

1. Career Launcher Educate Limited
2. Drishti Group
3. Aakash Educational Services Ltd.
4. Physics Wallah Foundation

**“Project Chetna”**
A Memorandum of Understanding (MoU) has been signed between CWA and Aditya Birla Education Trust (ABET) on 24/09/2025 under their charitable initiative “**MPower**”, aimed at promoting Mental Well-being and Emotional Health. The MoU is valid for three years, includes the following key components:-

- Mental Health Championship Program
- Awareness Sessions & Webinars
- Psychometric Assessments
- Dedicated Counselling Cells
- 24x7 Helpline Support- **07969545242**
- Ensured Complete Confidentiality

## विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम

CWA वर्ष भर सभी RCWA में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

| तिथि | दिन |
|---|---|
| 24 जनवरी | गर्ल चाईल्ड डे |
| 08 मार्च | अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस |
| 7 अप्रैल | अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस |
| 6 मई | वरिष्ठ नागरिक दिवस |
| 5 जून | विश्व पर्यावरण दिवस |
| 21 जून | योग दिवस |
| 22 जून | कावा स्थापना दिवस |
| 15 अगस्त | सफाई अभियान |
| सुविधानुसार | परिवार दिवस |
| 2 अक्टूबर | गाँधी जयन्ती |
| 14 नवम्बर | बच्चो के खेलकूद और मौजमस्ती दिवस |

*******

**Various awareness programmes**

CWA organizes various awareness programmes throughout the year in each RCWA:-

| DATE | DAY |
|---|---|
| 24th January | Girl Child Day |
| 8th March | International Women's Day |
| 7th April | International Health Day |
| 6th May | Senior Citizen Day |
| 5th June | World Environment Day |
| 21st June | Yoga Day |
| 22nd June | CWA raising day |
| 15th August | Cleanliness drive |
| As per convenience | Family Day |
| 2nd October | Gandhi Jayanti |
| 14th November | Children's Sports and Fun Day |

*******

## अध्याय – 11

# मृत्यु / अपंगता के मामले में राज्य द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि का विवरण

| राज्य का नाम | संबंधित राज्यों के कर्मियों को उन राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुमन्य राशि एवं जीपीएआईएस | | राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नही है |
|---|---|---|---|
| | यदि शहादत शहीद के राज्य में हुआ हो | यदि शहादत शहीद के राज्य से बाहर हुआ हो | |
| **अरूणाचल प्रदेश** | 50 लाख रुपये<br>10 लाख रुपये स्थायी विकलांगता पर<br>50,000 रुपये सामान्य / गंभीर जख्मी होने पर | 50 लाख रुपये<br>10 लाख रुपये स्थायी विकलांगता पर<br>50,000 रुपये सामान्य / गंभीर जख्मी होने पर | 50 लाख रुपये<br>10 लाख रुपये स्थायी विकलांगता पर<br>50,000 रुपये सामान्य / गंभीर जख्मी होने पर |
| **असम** | 50 लाख रुपये मृत्यु पर<br>2 लाख रुपये 50% या इससे अधिक विकलांगता पर<br>25,000 रुपये सामान्य चोट की दशा में | 50 लाख रुपये मृत्यु पर | 50 लाख रुपये मृत्यु पर<br>2 लाख रुपये 50% या इससे अधिक विकलांगता पर।<br>25,000 रुपये सामान्य चोट की दशा में |
| **आंध्र प्रदेश** | **क) मृत्यु के मामले पर**<br>1) 30 लाख रुपये उप निरीक्षक के पद तक के लिए।<br>2) 36 लाख रुपये निरीक्षक एवं इसके ऊपर के पद के लिए<br>**स्थायी रूप से अक्षमता के मामले में** - 12 लाख रुपये।<br>**गंभीर रूप से जख्मी होने के मामले में** - 3.60 लाख रुपये।<br>**ख) बीमा (जीपीआईएस) मृत्यु पर**<br>5 लाख रुपये। | **निर्दिष्ट नही ।** | **क) मृत्यु के मामले पर**<br>1) 30 लाख रुपये उप निरीक्षक के पद तक।<br>2) 36 लाख रुपये निरीक्षक एवं इसके ऊपर के पद के लिए।<br>**स्थायी तौर पर अक्षमता के मामले में**<br>12 लाख रुपये।<br><br>**गंभीर रूप से जख्मी होने के मामले में**<br>3.60 लाख रुपये।<br><br>**ख) बीमा (जीपीआईएस) मृत्यु पर**<br>रुपये – 5 लाख रुपये। |

# CHAPTER – 11
# CONSOLIDATED DETAILS REGARDING STATE EX-GRATIA ON DEATH/DISABILITY

| Name of state | State ex-gratia & GPAIS admissible to personnel belonging to the state | | State ex-gratia not belonging to the state |
|---|---|---|---|
| | If martyrdom in action in State | If martyrdom in action outside State | |
| **Arunachal Pradesh** | Rs. 50 lac<br>Rs. 10 lac on permanent disability.<br>Rs. 50,000/- on grievous/serious injury. | Rs. 50 lac<br>Rs. 10 lac on permanent disability.<br>Rs. 50,000/- on grievous/serious injury. | Rs. 50 lac<br>Rs. 10 lac on permanent disability.<br>Rs. 50,000/- on grievous/serious injury. |
| **Assam** | Rs. 50 lac on death<br>Rs. 2 lac on 50% and above disability<br>Rs. 25,000/- on non-grievous injury. | Rs. 50 lac on death | Rs. 50 lac on death<br>Rs. 2 lac on 50% and above disability<br>Rs. 25,000/- on non-grievous injury. |
| **Andhra Pradesh** | **(a) In case of death**<br>i) Rs. 30 lac up to the rank of SI<br>ii) Rs. 36 lac for Insp and above<br>In case of permanent incapacitation - Rs. 12 lac<br>In case of grievous hurt - Rs. 3.60 lac<br>**b) Insurance (GPAIS) – on death**<br>Rs. 5 lac | No specified | **(a) In case of death**<br>i) Rs. 30 lac upto the rank of SI<br>ii) Rs. 36 lac for Insp and above<br>In case of permanent incapacitation- Rs. 12 lac<br>In case of grievous hurt - Rs. 3.60 lac<br>**b) Insurance (GPAIS) – on death**<br>Rs. 5 lac |

| राज्य का नाम | संबंधित राज्यों के कर्मियों को उन राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुमन्य राशि एवं जीपीएआईएस | | राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नही है |
|---|---|---|---|
| | **यदि शहादत शहीद के राज्य में हुआ हो** | **यदि शहादत शहीद के राज्य से बाहर हुआ हो** | |
| **बिहार** | अनुग्रह राशि 21 लाख रुपये | अनुग्रह राशि 21 लाख रुपये | अनुग्रह राशि 21 लाख रुपये |
| **छत्तीसगढ़** | **अनुग्रह राशि 40 लाख**<br><br>**जीपीएआईएस**<br>**(1)** मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारी को **25 लाख रुपये**<br><br>मृत्यु के मामले में माता–पिता को **10 लाख रुपये**<br><br>दोनों हाथ, पैर, कान एवं आँख की क्षति होने पर **20 लाख रुपये**<br><br>एक हाथ, पैर, कान एवं आँख की क्षति होने पर **10 लाख रुपये**<br><br>एक सप्ताह तक इलाज के लिए **20 हज़ार रुपये**<br><br>एक सप्ताह से अधिक के इलाज के लिए **40 हज़ार रुपये** | -- | **अनुग्रह राशि 40 लाख**<br><br>**जीपीएआईएस**<br>**(1)** मृत्यु के मामले में उत्तराधिकारी को **25 लाख रुपये**<br><br>मृत्यु के मामले में माता–पिता को **10 लाख रुपये**<br><br>दोनों हाथ, पैर, कान एवं आँख की क्षति होने पर **20 लाख रुपये**<br><br>एक हाथ, पैर, कान एवं आँख की क्षति होने पर **10 लाख रुपये**<br><br>एक सप्ताह तक इलाज के लिए **20 हज़ार रुपये**<br><br>एक सप्ताह से अधिक के इलाज के लिए **40 हज़ार रुपये** |

| Name of state | State ex-gratia & GPAIS admissible to personnel belonging to the state | | State ex-gratia not belonging to the state |
|---|---|---|---|
| | If martyrdom in action in State | If martyrdom in action outside State | |
| **Bihar** | Rs. 21 Lac | Rs. 21 Lac | Rs. 21 Lac |
| **Chhattisgarh** | **Ex-Graita** - Rs. 40 Lac<br>**GPAIS**<br><br>To NOK in death case – Rs. 25 Lac<br><br>To parents in death case – Rs. 10 Lac<br><br>Loss of both hands, legs, ears and eyes – Rs. 20 Lac<br><br>Loss of one hands, legs, ears and eyes – Rs. 10 Lac<br><br>For treatment upto one week – Rs. 20,000/-<br><br>For treatment more than a week – Rs. 40,000/- | --- | **Ex-Graita** - Rs. 40 Lac<br>**GPAIS**<br><br>To NOK in death case – Rs. 25 Lac<br><br>To parents in death case – Rs. 10 Lac<br><br>Loss of both hands, legs, ears and eyes – Rs. 20 Lac<br><br>Loss of one hands, legs, ears and eyes – Rs. 10 Lac<br><br>For treatment upto one week – Rs. 20,000/-<br>For treatment more than a week – Rs. 40,000/- |

| राज्य का नाम | संबंधित राज्यों के कर्मियों को उन राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुमन्य राशि एवं जीपीएआईएस | | राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नही है |
|---|---|---|---|
| | यदि शहादत शहीद के राज्य में हुआ हो | यदि शहादत शहीद के राज्य से बाहर हुआ हो | |
| **चंडीगढ (यूटी)** | परिचालन में मृत्यु होने पर रूपये 5 लाख | परिचालन में मृत्यु होने पर रूपये 5 लाख | परिचालन में मृत्यु होने पर रूपये 2 लाख |
| **दिल्ली (यूटी)** | 1 करोड रूपये | 1 करोड रूपये | 1 करोड रूपये |
| **गुजरात** | 1 करोड रूपये | शून्य | 1 करोड रूपये |
| **गोवा** | 10 लाख रूपये मृत्यु के मामले पर ।<br>03 लाख रूपये अपंगता पर ।<br>08 लाख रूपये सैन्य सेवा में मृत्यु होने के मामले में<br>02 लाख रूपये सैन्य सेवा में अपंगता के मामले में<br>08 लाख रूपये आतंकवादी हिंसा या असामाजिक तत्वों द्वारा मृत्यु के मामले में<br>02 लाख रूपये आतंकवादी हिंसा या असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा में अपंगता के मामले में | | -- |

| Name of state | State ex-gratia & GPAIS admissible to personnel belonging to the state | | State ex-gratia not belonging to the state |
|---|---|---|---|
| | If martyrdom in action in State | If martyrdom in action outside State | |
| **Chandigarh (UT)** | Rs. 35 Lac – Death in action | Rs. 35 Lac – Death in action | Rs. 35 Lac – Death in action. |
| **Delhi (UT)** | Rs. 1 Crore | Rs. 1 Crore | Rs. 1 Crore |
| **Gujarat** | Rs. 1 Crore | Nil | Rs. 1 Crore |
| **Goa** | Rs.10 Lac in case of death<br>Rs.3 Lac in case of disability<br>Rs. 8 Lac in case of death attributable to military service<br>Rs. 2 Lac in case of disability attributable to military service<br>Rs. 8 Lac in case of death attributable to acts of violence by terrorists, anti social elements etc.<br>Rs. 2 Lac in case of death attributable to acts of violence by terrorists, anti social elements etc. | | ---- |

<table>
<tr><th rowspan="2">राज्य का नाम</th><th colspan="2">संबंधित राज्यों के कर्मियों को उन राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुमन्य राशि एवं जीपीएआईएस</th><th rowspan="2">राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नही है</th></tr>
<tr><th>यदि शहादत शहीद के राज्य में हुआ हो</th><th>यदि शहादत शहीद के राज्य से बाहर हुआ हो</th></tr>
<tr><td>हरियाणा</td><td>1 करोड़ रूपये मृत्यु होने पर (कार्रवाई के दौरान)<br><br>50 लाख रूपये मृत्यु पर (आंतरिक सुरक्षा डयूटी, परिचालन डयूटी, चुनाव डयूटी, प्राकृतिक आपदा एवं बचाव अभियान के दौरान)<br><br>35 लाख रूपये (75 प्रतिशत एवं इससे अधिक की अशक्तता होने पर)<br><br>रूपये- 25 लाख (50 से 74 प्रतिशत की अशक्तता होने पर )<br><br>15 लाख रूपये (25 से 49 प्रतिशत की अशक्तता होने पर )</td><td>1 करोड़ रूपये मृत्यु होने पर (कार्रवाई के दौरान)<br><br>50 लाख रूपये मृत्यु पर (आंतरिक सुरक्षा डयूटी, परिचालन डयूटी, चुनाव डयूटी, प्राकृतिक आपदा एवं बचाव अभियान के दौरान)<br><br>35 लाख रूपये (75 प्रतिशत एवं इससे अधिक की अशक्तता होने पर)<br><br>रूपये- 25 लाख (50 से 74 प्रतिशत की अशक्तता होने पर )<br><br>15 लाख रूपये (25 से 49 प्रतिशत की अशक्तता होने पर )</td><td>1 करोड़ रूपये मृत्यु होने पर (कार्रवाई के दौरान)<br><br>50 लाख रूपये मृत्यु पर (आंतरिक सुरक्षा डयूटी, परिचालन डयूटी, चुनाव डयूटी, प्राकृतिक आपदा एवं बचाव अभियान के दौरान)<br>35 लाख रूपये (75 प्रतिशत एवं इससे अधिक की अशक्तता होने पर)<br><br>रूपये- 25 लाख (50 से 74 प्रतिशत की अशक्तता होने पर )<br>15 लाख रूपये (25 से 49 प्रतिशत की अशक्तता होने पर )</td></tr>
<tr><td>हिमाचल प्रदेश</td><td>अनुग्रह राशि<br>रू0 20 लाख – युद्ध के दौरान मृत्यु<br><br>रू0 5 लाख– शारीरिक चोट पर<br><br>अनुग्रह मुआवजा<br>50 प्रतिशत अशक्तता पर रू0 2.5 लाख ।<br><br>50 प्रतिशत से कम अशक्तता पर रू0 एक लाख ।</td><td>अनुग्रह राशि<br>रू0 20 लाख – युद्ध के दौरान मृत्यु<br><br>रू0 5 लाख– शारीरिक चोट पर<br><br>अनुग्रह मुआवजा<br>50 प्रतिशत अशक्तता पर रू0 2.5 लाख ।<br><br>50 प्रतिशत से कम अशक्तता पर रू0 एक लाख ।</td><td>अनुग्रह राशि<br>रू0 20 लाख – युद्ध के दौरान मृत्यु<br><br>रू0 5 लाख– शारीरिक चोट पर<br><br>अनुग्रह मुआवजा<br>50 प्रतिशत अशक्तता पर रू0 2.5 लाख ।<br><br>50 प्रतिशत से कम अशक्तता पर रू0 एकलाख ।</td></tr>
</table>

| Name of state | State ex-gratia & GPAIS admissible to personnel belonging to the state | | State ex-gratia not belonging to the state |
|---|---|---|---|
| | If martyrdom in action in State | If martyrdom in action outside State | |
| **Haryana** | Rs. 01 Crore on death (In action)<br><br>Rs. 50 Lac on death (during Internal Security Duty, Ops , Election duty, Natural calamities and rescue operations etc.)<br>Rs. 35 Lac on 75% & above disability<br>Rs. 25 Lac on 50 to 74% disability<br><br>Rs. 15 Lac on 25 to 49% disability | Rs. 01 Crore on death (In action)<br>Rs. 50 Lac on death (during Internal Security Duty, Ops, Election duty, Natural calamities and rescue operations etc.)<br>Rs. 35 Lac on 75% & above disability<br>Rs. 25 Lac on 50 to 74% disability<br>Rs. 15 Lac on 25 to 49% disability | Rs. 01 Crore on death (In action)<br>Rs. 50 Lac on death (during Internal Security Duty, Ops , Election duty, Natural calamities and rescue operations etc.)<br><br>Rs. 35 Lac on 75% & above disability<br><br>Rs. 25 Lac on 50 to 74%disability<br>Rs. 15 Lac on 25 to49% disability |
| **Himachal Pradesh** | Ex-Gratia :<br>Rs. 20 Lac - On Battle casualty<br><br>Rs. 05 Lac - On Physical casualty<br>Ex-gratia compensation<br><br>Rs. 2.5 Lac on 50% disability<br>Rs. 1 Lac below 50% disability | Ex-Gratia :<br>Rs. 20 Lac - On Battle casualty<br>Rs. 05 Lac - On Physical casualty<br>Ex-gratia compensation<br><br>Rs. 2.5 Lac on 50% disability Rs. 1 Lac below 50% disability | Ex-Gratia :<br>Rs. 20 Lac - On Battle casualty<br><br>Rs. 05 Lac - On Physical casualty<br>Ex-gratia compensation<br><br>Rs. 2.5 Lac on 50% disability Rs. 1 Lac below 50% disability |

| राज्य का नाम | संबंधित राज्यों के कर्मियों को उन राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुमन्य राशि एवं जीपीएआईएस | | राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नही है |
|---|---|---|---|
| | यदि शहादत शहीद के राज्य में हुआ हो | यदि शहादत शहीद के राज्य से बाहर हुआ हो | |
| **झारखण्ड** | 60 लाख रूपये अनुग्रह राशि | निर्दिष्ट नही। | 60 लाख रूपये अनुग्रह राशि |
| **जम्मू एवं कश्मीर** | 25 लाख रूपये अनुग्रह राशि | 25 लाख रूपये अनुग्रह राशि | 25 लाख रूपये अनुग्रह राशि |
| **कर्नाटक** | 30 लाख रूपये मृत्यु के मामले में<br>1 लाख रूपये चोट/अशक्तता होने पर | 30 लाख रूपये मृत्यु के मामले में<br>1 लाख रूपये चोट/अशक्तता होने पर | 30 लाख रूपये मृत्यु के मामले में<br>1 लाख रूपये चोट/अशक्तता होने पर |
| **केरलम** | 5 लाख रूपये मृत्यु के मामले में<br>3 लाख रूपये गंभीर रूप से जख्मी होने पर। | 10 लाख रूपये (जम्मू एवं कश्मीर में कार्रवाई के दौरान मृत्यु पर)<br>5 लाख रूपये मृत्यु के मामले<br>3 लाख रूपये गंभीर रूपर से जख्मी होने पर। | 5 लाख रूपये मृत्यु के मामले में<br>3 लाख रूपये गंभीर रूपर से जख्मी होने पर। |
| **मध्य प्रदेश** | रू0 10 लाख मृत्यु या 100% अशक्तता होने पर<br>रू0 5 लाख–50% अशक्तता होने पर<br>रू0 2.5 लाख– 25% अशक्तता होने पर | रू0 10 लाख मृत्यु या 100% अशक्तता होने पर<br>रू0 5 लाख–50% अशक्तता होने पर<br>रू0 2.5 लाख– 25% अशक्तता होने पर | लागू नहीं। |

| Name of state | State ex-gratia & GPAIS admissible to personnel belonging to the state | | State ex-gratia not belonging to the state |
|---|---|---|---|
| | If martyrdom in action in State | If martyrdom in action outside State | |
| **Jharkhand** | Rs. 60 lac (ex-gratia) | Rs. 60 lac (ex-gratia) | Rs. 60 lac (ex-gratia) |
| **J & K** | Rs. 25 Lac - Ex- gratia | Rs. 25 Lac - Ex- gratia | Rs. 25 Lac - Ex- gratia |
| **Karnataka** | Rs.30 Lac in case of death Rs. 1 Lac on injury/disabilit y | Rs. 30 Lac in case of death Rs. 1 Lac on injury / disability | Rs. 30 Lac in case of death Rs. 1 Lac on injury / disability |
| **Keralam** | Rs. 5 Lac in case of death Rs. 3 Lac to seriously injured | Rs. 10 Lac ( On death in action in J&K) Rs. 5 Lac in case of death Rs.3 Lac to seriously injured | Rs. 5 Lac in case of death Rs. 3 Lac to seriously injured |
| **Madhya Pradesh** | Rs. 10 Lac in case of death and 100% disability<br><br>Rs. 5 Lac on 50% disability Rs. 2.5 Lac on 25% disability | Rs. 10 Lac in case of death and 100% disability<br><br>Rs. 5 Lac on 50% disability Rs. 2.5 Lac on 25% disability | N/A |

| राज्य का नाम | संबंधित राज्यों के कर्मियों को उन राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुमन्य राशि एवं जीपीएआईएस | | राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नही है |
|---|---|---|---|
| | **यदि शहादत शहीद के राज्य में हुआ हो** | **यदि शहादत शहीद के राज्य से बाहर हुआ हो** | |
| **महाराष्ट** | सभी मृत कार्मिकों के आश्रितों को रू0 1 करोड – मृत्यु होने पर ।<br><br>स्थायी रूप से अक्षम होने पर रू0 20 लाख<br><br>01 प्रतिशत से 25 प्रतिशत, 34 लाख<br><br>26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत- 60 लाख<br><br>51 प्रतिशत से 100 प्रतिशत । | सभी मृत कार्मिकों के आश्रितों को रू0 3 लाख (एस.आर.आई.) योजना में से दिए जायेंगे । | सभी मृत कार्मिकों के आश्रितों को रू0 1 करोड – मृत्यु होने पर<br><br>स्थायी रूप से अक्षम होने पर रू0 20 लाख<br><br>01 प्रतिशत से 25 प्रतिशत, 34 लाख<br><br>26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत - 60 लाख<br><br>51 प्रतिशत से 100 प्रतिशत । |
| **मेघालय** | रु. 20 लाख मृत्यु पर<br><br>रु. 5 लाख स्थायी अक्षमता पर | रु. 20 लाख मृत्यु पर<br><br>रु. 5 लाख स्थायी अक्षमता पर | रु. 1 लाख मृत्यु पर<br><br>रु. 20 हजार स्थायी अक्षमता पर |
| **मिजोरम** | रू0 5 लाख | रू0 5 लाख | रू0 5 लाख |
| **मणिपुर** | रू0 5 लाख –मृत्यु होने पर<br><br>रू0 10,000/- घायल / चोटिल होने पर | अधिसूचित नही | रू0 5 लाख –मृत्यु होने पर<br><br>रू0 10,000/- घायल/ चोटिल होने पर |

| Name of state | State ex-gratia & GPAIS admissible to personnel belonging to the state | | State ex-gratia not belonging to the state |
|---|---|---|---|
| | If martyrdom in action in State | If martyrdom in action outside State | |
| **Maharashtra** | Rs. 1 Crore in case of death on<br><br>Rs. 20 Lac-01% to 25%,<br><br>Rs. 34 Lac 26%- 50%<br><br>Rs.60 Lac 51%- 100% of all permanently disabled personnel | Rs. 3 Lac out of SRE Scheme to NOKs of all expired personnel | Rs. 10 Lac in case of death on<br>Rs. 20 Lac-01% to 25%,<br>Rs. 34 Lac 26%-50%<br>Rs.60 Lac 51%-100% of all permanently disabled personnel |
| **Meghalaya** | Rs. 20 lac in case of death<br>Rs. 5 Lac on permanently disabled personnel | Rs. 20 lac in case of death<br>Rs. 5 Lac on permanently disabled personnel | Rs. 1 Lac in case of death<br>Rs. 20,000/- on injury |
| **Mizoram** | Rs. 5 Lac | Rs. 5 Lac | Rs. 5 Lac |
| **Manipur** | Rs. 5 Lac in case of death<br>Rs. 10,000/- in case of injury | Not notified | Rs-5 Lac in case of death<br><br>Rs. 10,000/- in case of injury |

| राज्य का नाम | संबंधित राज्यों के कर्मियों को उन राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुमन्य राशि एवं जीपीएआईएस | | राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नही है |
|---|---|---|---|
| | **यदि शहादत शहीद के राज्य में हुआ हो** | **यदि शहादत शहीद के राज्य से बाहर हुआ हो** | |
| **नागालैण्ड** | रु. 6 लाख मृत्यु पर | रु. 6 लाख मृत्यु पर | रु. 6 लाख मृत्यु पर |
| **ओडिसा** | रु. 5 लाख मृत्यु पर / दिनांक 01/06/2012 से 2000/- प्रति माह पेंशन | रु. 5 लाख मृत्यु पर / दिनांक 01/06/2012 से 2000/- प्रति माह पेंशन | लागू नहीं |
| **पंजाब** | **यदि शहीद विवाहिता है तब उत्तराधिकारी को मिलने वाली राशि**<br>**i.** प्लाट के बदले रु. 5 लाख<br>**ii.** यदि शहीद विवाहिता था, तब माता-पिता को रु. 10 लाख<br>**यदि शहीद अविवाहिता है तब उत्तराधिकारी को मिलने वाली राशि।**<br>**i.** उत्तराधिकारी को 45 लाख<br>**ii.** प्लाट के बदले रु. 5 लाख<br>**जवान के अशक्कता होने पर**<br>**i.** 76 % से 100% तक 20 लाख<br>**ii.** 51% से 75% तक 10 लाख<br>**iii**. 25% से 50% तक 5 लाख | **यदि शहीद विवाहिता है तब उत्तराधिकारी को मिलने वाली राशि**<br>**i.** प्लाट के बदले रु. 5 लाख<br>**ii.** यदि शहीद विवाहिता था, तब माता-पिता को रु. 10 लाख<br>य**दि शहीद अविवाहिता है तब उत्तराधिकारी को मिलने वाली राशि।**<br>**i.** उत्तराधिकारी को 45 लाख<br>**ii.** प्लाट के बदले रु. 5 लाख<br>**जवान के अशक्कता होने पर**<br>**i.** 76 % से 100% तक 20 लाख<br>**ii.** 51% से 75% तक 10 लाख<br>**iii**. 25% से 50% तक 5 लाख | **यदि शहीद विवाहिता है तब उत्तराधिकारी को मिलने वाली राशि**<br>**i.** प्लाट के बदले रु. 5 लाख<br>**ii.** यदि शहीद विवाहिता था, तब माता-पिता को रु. 10 लाख<br>**यदि शहीद अविवाहिता है तब उत्तराधिकारी को मिलने वाली राशि।**<br>**i.** उत्तराधिकारी को 45 लाख<br>**ii.** प्लाट के बदले रु. 5 लाख<br>**जवान के अशक्कता होने पर**<br>**i.** 76 % से 100% तक 20 लाख<br>**ii.** 51% से 75% तक 10 लाख<br>**iii**. 25% से 50% तक 5 लाख |

| Name of state | State ex-gratia & GPAIS admissible to personnel belonging to the state | | State ex-gratia not belonging to the state |
|---|---|---|---|
| | If martyrdom in action in State | If martyrdom in action outside State | |
| **Nagaland** | Rs. 6 Lac on death | Rs. 6 Lac on death | Rs. 6 Lac on death |
| **Odisha** | Rs. 10 Lac in case of death Pension – 2000/-p.m wef 01/06/2012 | Rs. 10 Lac in case of death Pension – 2000/-p.m wef 01/06/2012 | Not applicable |
| **Punjab** | **Amount for NOK of Married Martyrs** :<br>i) Cash in lieu of Plot Rs. 5 lac<br>ii) Addl. relief to parents of married martyrs Rs. 10 lac<br>**Amount for NOK of Un-married Martyrs**:<br>i) Ex-gratia to NOK Rs. 45 lac<br>ii) Cash in lieu of Plot Rs. 5 lac<br>**Amount for Disabled soldiers:**<br>i) 76% to 100% - 20 lac<br>ii) 51% to 75 % - 10 lac<br>iii) 25% to 50% - 5 lac | **Amount for NOK of Married Martyrs** :<br>i) Cash in lieu of Plot Rs. 5 lac<br>ii) Addl. relief to parents of married martyrs Rs. 10 lac<br>**Amount for NOK of Un-married Martyrs**:<br>i) Ex-gratia to NOK Rs. 45 lac<br>ii) Cash in lieu of Plot Rs. 5 lac<br>**Amount for Disabled soldiers:**<br>i) 76% to 100% - 20 lac<br>ii) 51% to 75 % - 10 lac<br>iii) 25% to 50% - 5 lac | **Amount for NOK of Married Martyrs** :<br>i) Cash in lieu of Plot Rs. 5 lac<br>ii) Addl. relief to parents of married martyrs Rs. 10 lac<br>**Amount for NOK of Un-married Martyrs**:<br>i) Ex-gratia to NOK Rs. 45 lac<br>ii) Cash in lieu of Plot Rs. 5 lac<br>**Amount for Disabled soldiers:**<br>i) 76% to 100% - 20 lac<br>ii) 51% to 75 % - 10 lac<br>iii) 25% to 50% - 5 lac |

| राज्य का नाम | संबंधित राज्यों के कर्मियों को उन राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुमन्य राशि एवं जीपीएआईएस | | राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नही है |
|---|---|---|---|
| | **यदि शहादत शहीद के राज्य में हुआ हो** | **यदि शहादत शहीद के राज्य से बाहर हुआ हो** | |
| **राजस्थान** | **i. पत्नी** – 25 लाख (तत्काल सहायता राशि 5 लाख और 25 बीघा जमीन)<br>**या**<br>**ii. पत्नी** - 25 लाख (तत्काल सहायता राशि 5 लाख और एमआईजी प्लैट<br>**या**<br>50 लाख रु. नकद जिसमे से तत्काल सहायता 5 लाख नकद<br>**iii. माता-पिता के लिए-** लघु बजत योजना के तहत मासिक आय योजना में रु. 3 लाख की सावधि जमा | **i. पत्नी** – 25 लाख (तत्काल सहायता राशि 5 लाख और 25 बीघा जमीन)<br>**या**<br>**ii. पत्नी** - 25 लाख (तत्काल सहायता राशि 5 लाख और एमआईजी प्लैट<br>**या**<br>50 लाख रु. नकद जिसमे से तत्काल सहायता 5 लाख नकद<br>**iii. माता-पिता के लिए-** लघु बजत योजना के तहत मासिक आय योजना में रु. 3 लाख की सावधि जमा | अधिसूचित नहीं है। |
| **सिक्किम** | रु. 3 लाख | रु. 3 लाख | रु. 3 लाख |
| **तमिलनाडु** | रु. 40 लाख – परिचालन ड्यूटी में मृत्यु पर<br>रु. 15 लाख – पूर्ण अशक्तता / दोहरा अंग विच्छेद / पूर्ण अंधता पर<br>रु. 10 लाख – एकल अपंगता / एक आंख से अंधापन पर | रु. 40 लाख – परिचालन ड्यूटी में मृत्यु पर<br>रु. 15 लाख – पूर्ण अशक्तता / दोहरा अंग विच्छेद / पूर्ण अंधता पर<br>रु. 10 लाख – एकल अपंगता / एक आंख से अंधापन पर | रु. 40 लाख – परिचालन ड्यूटी में मृत्यु पर<br>रु. 15 लाख – पूर्ण अशक्तता / दोहरा अंग विच्छेद / पूर्ण अंधता पर<br>रु. 10 लाख – एकल अपंगता / एक आंख से अंधापन पर |

| Name of state | State ex-gratia & GPAIS admissible to personnel belonging to the state | | State ex-gratia not belonging to the state |
|---|---|---|---|
| | If martyrdom in action in State | If martyrdom in action outside State | |
| **Rajasthan** | i) **To wife** : 25 (of which immediate assistance is Five lakh Rupees in cash and 25 Bighas of land)<br>OR<br>**ii) To wife** : 25 (of which immediate assistance is Five lakh Rupees in cash and MIG flat of Housing Board<br>**OR**<br>To wife : 50 (of which immediate assistance is Five lakh Rupees in cash<br>**iii) To parent :** 3 lac deposited in monthly income scheme under small saving scheme | **i) To wife** : 25 (of which immediate assistance is Five lakh Rupees in cash and 25 Bighas of land)<br>OR<br>**ii) To wife :** 25 (of which immediate assistance is Five lakh Rupees in cash and MIG flat of Housing Board<br>**OR**<br>To wife : 50 (of which immediate assistance is Five lakh Rupees in cash<br>**iii) To parent :** 3 lac deposited in monthly income scheme under small saving scheme | **Not notified.** |
| **Sikkim** | Rs. 3 lac | Rs. 3 lac | Rs. 3 lac |
| **Tamilnadu** | Rs. 40 lac – killed in action<br>Rs. 15 lac – Totally disabled / double amputee / totally blind<br>Rs. 10 lac – Single amputee / one eye blind | Rs. 40 lac – killed in action<br>Rs. 15 lac – Totally disabled / double amputee / totally blind<br>Rs. 10 lac – Single amputee / one eye blind | Rs. 40 lac – killed in action<br>Rs. 15 lac – Totally disabled / double amputee / totally blind<br>Rs. 10 lac – Single amputee / one eye blind |

| राज्य का नाम | संबंधित राज्यों के कर्मियों को उन राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुमन्य राशि एवं जीपीएआईएस | | राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नही है |
|---|---|---|---|
| | यदि शहादत शहीद के राज्य में हुआ हो | यदि शहादत शहीद के राज्य से बाहर हुआ हो | |
| **तेलंगाना** | अनुग्रह राशि – रु. 45 लाख (उ.नि. स्तर तक)<br>रु. 50 लाख (उ.नि. से ऊपर)<br>बीमा – जीपीएआईएस<br>रु. 5 लाख – हव0 रैंक तक<br>रु. 10 लाख – उ.. से निरी. रैंक तक<br>रु. 15 लाख – निरी. से ऊपर | अनुग्रह राशि – 45 लाख (उ.नि. स्तर तक)<br>रु. 50 लाख (उ.नि. से ऊपर)<br>बीमा – जीपीएआईएस | अनुग्रह राशि – रु. 45 लाख (उ.नि. स्तर तक)<br>रु. 50 लाख (उ.नि. से ऊपर)<br>बीमा – जीपीएआईएस<br>रु. 5 लाख – हव0 रैंक तक<br>रु. 10 लाख – उ.. से निरी. रैंक तक<br>रु. 15 लाख – निरी. से ऊपर |
| **त्रिपुरा** | अनुग्रह राशि – रु. 5 लाख<br>50% से अधिक अशक्तता होने पर रु. 3 लाख<br>50% से कम अशक्तता होने पर रु. 2 लाख | अनुग्रह राशि – रु. 5 लाख<br>50% से अधिक अशक्तता होने पर रु. 3 लाख<br>50% से कम अशक्तता होने पर रु. 2 लाख | अनुग्रह राशि – रु. 5 लाख<br>50% से अधिक अशक्तता होने पर रु. 3 लाख<br>50% से कम अशक्तता होने पर रु. 2 लाख |
| **उत्तराखण्ड** | अनुग्रह राशि- रु. 10 लाख<br><br>i. विवाहित होने पर- रु. 6 लाख पत्नि को और 4 लाख माता-पिता को<br><br>ii. यदि माता-पिता और पत्नि जीवित नही हो तो, सभी उत्तराधिकारियों में बराबर हिस्सेदारी<br><br>iii. अविवाहित होने पर – रु. 10 लाख माता-पिता को | अनुग्रह राशि- रु. 10 लाख<br><br>i. विवाहित होने पर- रु. 6 लाख पत्नि को और 4 लाख माता-पिता को<br><br>ii. यदि माता-पिता और पत्नि जीवित नही हो तो, सभी उत्तराधिकारियों में बराबर हिस्सेदारी<br><br>iii. अविवाहित होने पर – रु. 10 लाख माता-पिता को | अनुग्रह राशि- रु. 10 लाख<br><br>i. विवाहित होने पर- रु. 6 लाख पत्नि को और 4 लाख माता-पिता को<br><br>ii. यदि माता-पिता और पत्नि जीवित नही हो तो, सभी उत्तराधिकारियों में बराबर हिस्सेदारी<br><br>iii. अविवाहित होने पर – रु. 10 लाख माता-पिता को |

| Name of state | State ex-gratia & GPAIS admissible to personnel belonging to the state | | State ex-gratia not belonging to the state |
|---|---|---|---|
| | If martyrdom in action in State | If martyrdom in action outside State | |
| **Telangana** | Ex-gratia- 45 lac (upto SI rank)<br>50 lac (above SI rank)<br>Insurance – (GPAIS) : Rs. 5 lac (upto HC rank)<br>Rs. 10 lac (SI to Insp Rank)<br>Rs. 15 lac (above Insp rank) | Ex-gratia- 45 lac (upto SI rank)<br>50 lac (above SI rank) | Ex-gratia- 45 lac (upto SI rank)<br>50 lac (above SI rank)<br>Insurance – (GPAIS) : Rs. 5 lac (upto HC rank)<br>Rs. 10 lac (SI to Insp Rank)<br>Rs. 15 lac (above Insp rank) |
| **Tripura** | Ex-gratia- 5 lac<br>Disability above 50% - Rs. 3 lac<br>Disability below 50% - Rs. 2 lac | Ex-gratia- 5 lac<br>Disability above 50% - Rs. 3 lac<br>Disability below 50% - Rs. 2 lac | Ex-gratia- 5 lac<br>Disability above 50% - Rs. 3 lac<br>Disability below 50% - Rs. 2 lac |
| **Uttarakhand** | Ex-gratia – Rs. 10 lac<br>i) In case of married deceased person :<br>(Rs. 6 lac to deceased wife & Rs. 4 lac to deceased mother/father)<br>ii) In case the wife and mother/father are not alive then Rs. 10 Lac will be distributed between all wards of the deceased.<br>iii) In case of unmarried deceased person – Rs. 10 lac to the mother/father of the deceased. | Ex-gratia – Rs. 10 lac<br>i) In case of married deceased person :<br>(Rs. 6 lac to deceased wife & Rs. 4 lac to deceased mother/father)<br>ii) In case the wife and mother/father are not alive then Rs. 10 Lac will be distributed between all wards of the deceased.<br>iii) In case of an unmarried deceased person – Rs. 10 lac to the mother/ father of the deceased. | Ex-gratia – Rs. 10 lac<br>i) In case of married deceased person<br>(Rs. 6 lac to deceased wife & Rs. 4 lac to deceased mother/father<br>ii) In case the wife and mother/father are not alive then Rs. 10 Lac will be distributed between all wards of the deceased.<br>iii) In case of unmarried deceased person – Rs. 10 lac to the mother/father of the deceased. |

| राज्य का नाम | संबंधित राज्यों के कर्मियों को उन राज्यों द्वारा दी जाने वाली अनुमन्य राशि एवं जीपीएआईएस | | राज्य अनुग्रह राशि जो उस राज्य के नही है |
|---|---|---|---|
| | यदि शहादत शहीद के राज्य में हुआ हो | यदि शहादत शहीद के राज्य से बाहर हुआ हो | |
| **प.बंगाल (वामपंथी विरोधी गतिविधियों के दौरान सरकारी कर्तव्य का निर्वहन करते समय नक्सल प्रभावित जिलों में वीरगति प्राप्त करने पर बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर** | i. अनुग्रह राशि – रु. 2 लाख<br>ii. रु. 3 लाख अनुग्रह राशि (एस.आर.ई) योजना के तहत (केवल नक्सल – माओवादी प्रभावित जिलों के लिए)<br>iii.एस.आर.ई योजना के तहत जीपीएआईएस रु. 10 लाख मृत्यु होने पर और 5 लाक चोट/घायल होने पर (केवल माओवादी प्रभावित जिलों के लिए) | i. अनुग्रह राशि – रु. 2 लाख<br>ii. राज्य में देय अन्य कोई मुआवजा जो कि घटना होने के स्थान पर निर्भर करता है। | i. रु. 3 लाख अनुग्रह राशि (एस.आर.ई) योजना के तहत (केवल नक्सल – माओवादी प्रभावित जिलों के लिए)<br>ii.एस.आर.ई योजना के तहत जीपीएआईएस रु. 10 लाख मृत्यु होने पर और 5 लाक चोट/घायल होने पर (केवल माओवादी प्रभावित जिलों के लिए) |
| **उत्तर प्रदेश** | i. अनुग्रह राशि राज्य सरकार की ओर से रु. 50 लाख – परिचालन में मृत्यु होने पर<br>ii. यदि शहीद विवाहित है तो उसके माता-पिता को रु. 15 लाख<br>iii. यदि शहीद के माता पिता जीवित है तब शहीद की विधवा को रु. 35 लाख<br>iv. यदि शहीद अविवाहित है तो शहीद के माता-पिता को रु. 50 लाख | i. अनुग्रह राशि राज्य सरकार की ओर से रु. 50 लाख – परिचालन में मृत्यु होने पर<br>ii. यदि शहीद विवाहित है तो उसके माता-पिता को रु. 15 लाख<br>iii. यदि शहीद के माता पिता जीवित है तब शहीद की विधवा को रु. 35 लाख<br>iv. यदि शहीद अविवाहित है तो शहीद के माता-पिता को रु. 50 लाख | i. अनुग्रह राशि राज्य सरकार की ओर से रु. 50 लाख – परिचालन में मृत्यु होने पर<br>ii. यदि शहीद विवाहित है तो उसके माता-पिता को रु. 15 लाख<br>iii. यदि शहीद के माता पिता जीवित है तब शहीद की विधवा को रु. 35 लाख<br>iv. यदि शहीद अविवाहित है तो शहीद के माता-पिता को रु. 50 लाख |

*******

| Name of state | State ex-gratia & GPAIS admissible to personnel belonging to the state | | State ex-gratia not belonging to the state |
|---|---|---|---|
| | If martyrdom in action in State | If martyrdom in action outside State | |
| **West Bengal**<br><br>**(if killed in the course of anti-left wing operations while discharging the govt. duties in naxal affected districts Bankura/ Purulia/ Paschim Midnapur** | i) Ex-gratia -Rs. 2 Lac<br><br>ii) Ex-gratia under SRE Scheme – 3 Lac (for LWE affected districts only)<br><br>GPAIS under SRE – 10 Lac on death and Rs. 5 Lac on injury (for LWE affected districts only) | i) Ex-gratia – Rs.2 Lac<br><br>Any other compensation as admissible in the State depending upon place of occurrence of the incident | i) Ex-gratia under SRE Scheme – 3 Lac (for LWE affected districts only)<br><br>ii) GPAIS under SRE – 10 Lac on death and Rs. 5 Lac on injury (for LWE affected districts only) |
| **Uttar pradesh** | i) Ex-gratia Rs. 50 Lac Killed in action<br>ii) To parents, if martyrs married Rs. 15/- Lakh<br>iii) To widow, if parents of martyrs is alive Rs. 35/-<br>iv) To parents, if martyrs un-married Rs. 50/- lakh. | i) Ex-gratia Rs. 50 Lac Killed in action<br>ii) To parents, if martyrs married Rs. 15/- Lakh<br>iii) To widow, if parents of martyrs is alive Rs. 35/-<br>iv) To parents, if martyrs un-married Rs. 50/- lakh. | i) Ex-gratia Rs. 50 Lac Killed in action< |

*******

# अध्याय-12
# विविध

**1. वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वालों की वीर नारियों को तथा विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक प्राप्तकर्ता को मिलनेवाली सुविधाएँ**

i. राष्ट्रपति के पुलिस पदक वीरता के लिए पदक भत्ता – रू 6000/- दिनांक 14/06/2018 से और वीरता के लिए पुलिस पदक हेतु रू0 2000/-

ii. वीरता पदक प्राप्तकर्ता एवं मरणोंपरांत वीरता पदक प्राप्त करने वाली उनकी विधवों अथवा अविवाहितो के मामलो में अभिभावको को उनके एक साथी के साथ प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित शयनयान में कंपलीमेंटरी कार्ड पास।

iii. नगर निगम नई दिल्ली के दिनांक 14/02/2000 को आयोजित विशेष बैठक में पारित अपने संकल्प सं. 471 के द्वारा कुल निश्चित शर्तो के साथ वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्तकर्ता को उसकी स्वयं की संपत्ति हेतु गृहकर में छूट प्रदान की है।

iv. वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1048 (ई) दिनांक 24/11/2000 के तहत पुलिस वीरता पदक प्राप्तकर्ता को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 की उप धारा (18) के तहत आयकर से मुक्त रखा गया है।

v. पुरस्कार धारको को किफायती श्रेणी में हवाई यात्रा करने पर 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

vi. पदक प्राप्तकर्ता को रियायती टेलीफोन सुविधा (भा0सं0नि0लि0) निवास स्थान पर लगने वाले टेलीफोन पर निम्नलिखित रियायतों के साथ दी जाएगी।

**(a)** विशेष श्रेणी – एन-ओ.वाई.टी. के तहत पंजीयन।
**(b)** कोई पंजीयन शुल्क नहीं।
**(c)** कोई संस्थापन शुल्क नहीं।
**(d)** कोई किराया प्रभारित नहीं।

## CHAPTER-12
## MISCELLANEOUS

### 1. FACILITIES TO PMG / PPMG RECIPIENTS AND TO THE VEER NARIS OF POSTHUMOUS GALLANTRY AWARD WINNERS AND PRESIDENT'S POLICE MEDAL FOR DISTINGUISHED SERVICE

i. Medal Allowance - Rs. 6000/- for PPMG w.e.f. 14/06/2018 & Rs. 2000/- for PMG.

ii. Ist Class/IInd AC Sleeper Complimentary Card Passes to recipients of Gallantry Award, to the widows of posthumous Gallantry Award winners and parents of unmarried posthumous Gallantry Award winners along with a companion.

iii. Municipal Corporation of Delhi vide their resolution No.471 passed in adjourned special meeting held on 14/02/2000 has exempted Police Gallantry Medal Awardees from payment of House Tax in respect of self-occupied property subject to certain conditions.

iv. Ministry of Finance vide their notification No.SO.1048 (E) dated 24/11/2000 exempted income Tax to the recipients of Gallantry Medals under sub clause (18) of Section 16 of Income Tax Act, 1961.

v. 50% discount in Air journeys in economy class to awardee.

vi. Concessional Telephone facilities (BSNL) to awardees. The following concession in residential telephone to these recipients will be available:-

  **a.** Registration under N-OYT-Special Category.
  **b.** No registration fee
  **c.** No installation fee
  **d.** No rental charges.

vii. ऐसे पुलिस कार्मिक को 60 या इससे अधिक की उम्र के हैं तथा जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्राप्त हुआ है, उनमें पुरूषों के लिए रेल टिकट किराए में 50 प्रतिशत की छूट तथा महिलाओं के लिए 60 प्रतिशत की छूट क्रमश: 15/08/2009 एवं 01/09/2009 से प्रदान की गई है। यह छूट राजधानी/शताब्दी/ जनशताब्दी ट्रेनों सहित मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की सभी श्रेणियों के मूल किराए पर देय होगी। यह छूट गरीबरथ ट्रेनों में देय नहीं है।

## 2. मेडिकल एवं दंत चिकित्सक कोर्स के लिए आरक्षण

एम0बी0बी0एस कोर्स के लिए 26 सीटें एवं बी0डी0एस कोर्स के लिए 3 सीटें प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों/ए.आर./आई.बी के कार्मिकों के बच्चों के लिए योग्यता के आधार पर आरक्षित रखी गई हैं।

## 3. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों हेतु एयर कोरियर की सुविधा

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए विभिन्न सेक्टरों में एयर कोरियर की सुविधा उपलब्ध है। हवाई अड्डों से समन्वय के लिए निम्नलिखित नोडल एजेंसी हैं:-

| क्रस | रूट | दौरे | सीट | स्थान | नोडल एजेंसी | नोडल अधिकारी | संपर्क न. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कोलकाता-अगरतला-कोलकाता | 3 दिन (मंगलवार, शुक्रवार व रविवार) | 51 | कोलकाता | बी.एस.एफ | श्री अतुल, सहा.कमा. बी.एस.एफ | 8882303040 |
| | | | | अगरतला | बी.एस.एफ | डॉ0 बी. पेगु, द्वि.क.अ. | 8016021472 |
| 2 | कोलकाता-आईजोल-सिलचर-कोलकाता | 1 दिन (शनिवार) | 12 | आईजोल | बी.एस.एफ | श्री राजेन्द्र सिंह रावत, उ.कमा. | 9463733404 |
| | | | 25 | सिलचर | बी.एस.एफ | श्री आर.डी. जैनी नागा, कमाण्डेन्ट | 9425266944 |

vii. The police personnel of 60 years and above who are recipients of President's Police Medal for Distinguished Service and Police Medal for Meritorious Service are entitled for 50% concession in Rail fare for Men and 60% concession for Women on the tickets purchased on or after 15.08.2009 & 01.09.2009 respectively. This concession is admissible in the basic fare of Mail/Express trains of all classes and in the all-inclusive fares of Rajdhani / Shatabdi/ Jan-Shatabdi trains. The concession will not be admissible in Garib Rath Trains.

**2. RESERVATION FOR MBBS AND BDS COURSES**

Under central pool quota 26 seats for MBBS and 03 seats for BDS have been kept reserved every year for wards of CAPFs/AR/IB personnel on merit.

**3. AIR COURIER SERVICE FOR THE CAPFs PERSONNEL**

The air courier services for CAPFs is functional in different sectors. Nodal Agency for co-ordinating with Airports are as under:-

| S. N. | Route | Freq - euncy in a week | Seats | Locat- ion | Nodal Agency | Name of Nodal Officer | Mobile No. of Nodal Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolkata-Agartala-Kolkata | 03 days (Tue, Fri & Sun) | 51 | Kolkata | BSF | Sh Atul, A/C ( BSF) | 8882303040 |
| | | | | Agartala | BSF | Dr. Bhaikan pegu, 2-I/C/Vet | 8016021472 |
| 2 | Kolkata-Aizwal-Silchar-Kolkata | 01 day (Sat) | 12 | Aizwal | BSF | Sh Rajender Singh Rawat, DC | 9463733404 |
| | | | 25 | Silchar | BSF | Sh R D Jeany Anal Naga, Comdt. | 9425266944 |

| क्रस | रूट | दौरे | सीट | स्थान | नोडल एजेंसी | नोडल अधिकारी | संपर्क न. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | **कोलकाता-इम्फाल-कोलकाता** | 6 दिन (सभी दिन केवल वृहस्पतिवार को छोड़कर) | 50 | इम्फाल | असम राईफल | श्री बिवास, सहा.कमा. | 8638821620 |
| 4 | **दिल्ली-रायपुर-जगदलपुर-रायपुर-दिल्ली** | 3 दिन (बुधवार, शनिवार, रविवार) | 29 | दिल्ली | बी.एस.एफ | श्री एम. सीज दास गुप्ता, सहा.कमा. | 8777491363 |
| | | | | रायपुर | बी.एस.एफ | श्री नीरज कुमार, सहा.कमा. | 8109008681 |
| | | | | जगदलपुर | केरिपु बल | श्री एस.अरुल कुमार, उ.म.नि | 9999797780 |
| 5 | **दिल्ली-श्रीनगर-दिल्ली** | 7 दिन (सातो दिन) | 87 | दिल्ली | बी.एस.एफ | श्री एम. सीज दास गुप्ता, सहा.कमा. | 8777491363 |
| | | | | श्रीनगर | केरिपु बल | श्री विष्णु द्विवेदी कमाण्डेन्ट-35 बटा0 | 9971700184 |
| 6 | **श्रीनगर-जम्मू-श्रीनगर** | 4 दिन (सोम, बुद्ध, शनि व रविवार) | 90 | जम्मू | केरिपु बल | श्री विजोतो टिनई, कमाण्डेन्ट, 76 बटा0 | 9419217461 |
| 7 | **दिल्ली -लेह-दिल्ली** | 2 दिन (बुद्ध व शनिवार) | 5 | दिल्ली<br>लेह | आई.टी.बी.पी | श्री शैलेश कु. जोशी, उ.म.नि, | 7085444742 |

| S. N. | Route | Freq - euncy in a week | Seats | Locat-ion | Nodal Agency | Name of Nodal Officer | Mobile No. of Nodal Officer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kolkata-Imphal-Kolkata | 06 days (All day except Thurs) | 50 | Imphal | AR | Sh Bivash, AC | 8638821620 |
| 4 | Delhi-Raipur-Jagdalpur-Raipur-Delhi | 3 days Wed, Sat & Sun) | 29 | Delhi | BSF | Sh M. Sijdas Gupta, AC | 8777491363 |
| | | | | Raipur | BSF | Sh. Neeraj Kumar, AC | 8109008681 |
| | | | | Jagdalpur | CRPF | Sh. S. Arul Kumar, DIG | 9999797780 |
| 5 | Delhi -Srinagar -Delhi | 07 days (All day) | 87 | Delhi | BSF | Sh M. Sijdas Gupta, AC | 8777491363 |
| | | | | Srinagar | CRPF | Sh Vishnu Dwivedi, Comdt-3 5 BN | 9971700184 |
| 6 | Srinagar -Jammu - Srinagar | 04 days (Mon, Wed, Sat & Sun) | 90 | Jammu | CRPF | Sh Vezoto Tinyi, Comdt-7 6 BN CRPF | 9419217461 |
| 7 | Delhi -Leh- Delhi | 02 days (Wed & Sat) | 05 | Delhi<br>Leh | ITBP | Sh Shailesh Kumar Joshi, DIGP, ITBP | 7085444742 |

**4. आश्रित पहचान पत्र**

**क**) सेवारत कार्मिकों के आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए केरिपुबल द्वारा आश्रित पहचान पत्र जारी किया जाता है, जिसे संभव ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है ।

**ख**) वीर बलिदानियों एवं मृतक कार्मिको के आश्रितों को भी आश्रित पहचान पत्र जारी किया जाता है । इस कार्ड को संबंधित पेंशन प्रसंस्करण प्राधिकारी जैसे ग्रुप केन्द्रो / संस्थानो / कार्यालयों द्वारा जारी करके आश्रितों को सुपुर्द किया जाता है ।

**5. देश की सेवा हेतु प्राण न्यौछावर करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल/केंद्रीय पुलिस बल के दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को परिचालनिक "कैज्युलिटी प्रमाण पत्र" जारी करने बावत**

गृह मंत्रालय के दिनांक 09.10.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं 27011/68/2015-आर एवं डब्ल्यू के तहत देश की सेवा हेतु प्राण न्यौछावर करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/केंद्रीय पुलिस बलों के दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को 'परिचालनिक कैज्युलिटी प्रमाण पत्र' जारी करने बावत अनुमोदन प्रदान किया गया है। परिचालनिक कैज्युलिटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

**क**) कार्मिक की मृत्यु के उपरांत संबंधित फिल्ड फॉर्मेशन द्वारा केरिपुबल अधिनयम एवं नियमों के प्रावधानो के अनुसार तत्काल अदालती जांच किया जाएगा । गैर राजपत्रित अधिकारियों के मामलों में अदालती जांच को महानिरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा । राजपत्रित अधिकारियों के मामले में अदालती जांच पर उपमहानिरीक्षक/महानिरीक्षक की टिप्पणियों सहित महानिदेशक के अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाएगी ।

**ख**) मृत्यु को 'परिचालनिक कैज्युलिटी' घोषित किए जाने के पश्चात संबंधित फील्ड फॉर्मेशन गृह मंत्रालय के उपरोक्त वर्णित ज्ञापन में संलग्न परिशिष्ट "ए" के अनुसार विवरण महानिदेशालय को निम्नलिखित दस्तावेजों सहित अग्रेषित करेगा । महानिदेशक, केरिपुबल द्वारा निर्धारित नमूने के अनुसार 'परिचालनिक कैज्युलिटी प्रमाण पत्र' पर हस्ताक्षर किए जाएंगे:-

**4. DEPENDENT IDENTITY CARD**

a) CRPF is issuing dependent identity cards to all dependent family members of serving personnel and can be downloaded from Sambhav application.

b) NOK identity cards are also being issued to the dependent family members of Veer Balidanies and deceased personnel. This card is being issued by respective Pension Processing Authority ie. GC/Institutions/offices to the NOKs.

**5. ISSUANCE OF OPERATIONAL CASUALTY CERTIFICATE TO THE NEXT OF KINS OF CAPFs / CPOs PERSONNEL WHO SACRIFICED THEIR LIVES FOR THE NATION:**

MHA vide Office Memo ID No.27011/68/2015-R&Wdated 09/10/2017, has conveyed the approval for issue of "Operational Casualty Certificate' to the NOKs of CAPFs/ CPOs personnel who sacrificed their lives for the Nation. The following procedure will be adopted to prepare the "Operational Casualty Certificate":

a) After death, concerned field formation will immediately conduct Court of Inquiry(COI) as per provision of CRPF Act & Rules. The COI will be finalised by the IG in case of Non-Gazetted Officers(NGOs) and in case of Gazetted Officers(GOs), the COI proceedings along with remarks of DIG/IG should be submitted to Dte. Genl. for final remarks of DG.

b) After declaring such death as "Operational Casualty", concerned field formation will forward the particulars as per proforma enclosed as Appendix-"A" in MHA's OM quoted above to Dte. Genl. along-with following documents and DG CRPF will sign the "Operational Casualty Certificate" as per specimen :-

i. मृतक एवं उनके / उनकी निकटतम परिजन (एन.ओ.के.) के दो पासपोस्ट साईज फोटो । इनमें से एक प्रति संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा कार्यालय की आधिकारिक मोहर लगाकर विधिवत प्रमाणित की जानी चाहिए ।

ii. एन.जी.ओ. के मामले में महानिरीक्षक तथा राजपत्रित अधिकारियों के मामलो में महानिदेशक की टिप्पणियों की प्रति, सी.ओ.आई की संस्तुति के आधार पर एफ.आई.आर एवं पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सहित हो ।

iii. उत्तराधिकारी (एन.ओ.के) एवं आश्रितो के आधार कार्ड/ शैक्षणिक प्रमाणो की प्रतियां, नाम एवं जन्मतिथि के सत्यापन हेतु ।

iv. मृत्यु का कारण 25-30 शब्दों में, द्विभाषी (अग्रेजी व हिंदी दोनो में) होनी चाहिए।

v. उपरोक्त व्यक्ति की कैजुअल्टी किस श्रेणी के अन्तर्गत आती है, उसका विवरण ।

*******

i. Two copy of photographs of the deceased and his/her NoK. One copy duly attested by the Head of Office of the concerned establishment by affixing the official seal.
ii. Copy of remarks of IG in case of NGOs and DG in case of Gazetted Officers on the basis of recommendation of COI along-with FIR and postmortem report.
iii. Copies of Aadhar Card/Educational certificate of NOK and dependents to verify correct name and date of birth.
iv. Cause of death in 25 to 30 words, should be bilingual (both English and Hindi).
v. Category under which casualty of above individual covered.

*******

## अध्याय – 13
## केरिपुबल वेटरन सेल एवं अनुभव अवार्ड

**वेटरन सेल** की स्थापना जुलाई, 2022 में की गई। वेटरनों (सेवानिवृत्त कार्मिकों) से संबंधित शिकायतों एवं विभिन्न मुद्दों के निवारण हेतु कमांडेंट (वेलफेयर एवं वेटरन्स) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

### वेटरन सेल की संरचना

a. एक निरीक्षक (मंत्रालयिक)
b. एक निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी)
c. एक कांस्टेबल/हैड कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी)

### वेटरन सेल के मुख्य उद्देश्य

a. वेटरनों का डाटा को व्यवस्थित/अद्यतन करना।
b. वेटरनों के निधन की स्थिति में उनकी अंतिम यात्रा/अंतिम संस्कार के दौरान सम्मानजनक विदाई सुनिश्चित करना।
c. वेटरनों से संबंधित शिकायतों का निवारण करना, जैसे—CLMS से संबंधित मामले, डाटा/मोबाइल नंबर/पते का अद्यतन, सेवानिवृत्ति पहचान पत्र, CGHS कार्ड, आश्रित कार्ड, कैंटीन कार्ड, पेंशन आदि

### मानक संचालन प्रक्रिया

सेवानिवृत्त कार्मिकों के कल्याण हेतु एस.ओ.पी परिपत्र आदेश संख्या 04/2022 दिनांक 30.08.2022 के माध्यम से अधीनस्थ इकाइयों को जारी/प्रसारित की गई है।

# CHAPTER-13
## CRPF Veterans Cell & Anubhav Award

**The Veteran Cell** started from July 2022. The Commandant (Welfare & Veterans) detailed as Nodal Officer for addressing the grievances and various issues of Veterans.

**Composition of Veteran Cell**

a. One Insp (Ministerial)
b. One Insp (General duty)
c. One CT / HC (General duty)

**Main Objectives of Veteran Cell**

a. To maintain/update data of Veterans.
b. To provide honourable farewell to veterans during their last rites.
c. To redress the grievances of veterans like CLMS, updation of data/phone number/addresses of veterans, retirement I/Card, CGHS Card, Dependent card, canteen card & pension etc,.

**Standard Operating Procedure**

SOP for welfare of retired personnel has been issued/circulated to lower formations vide Circular order No-04/2022 dated-30/8/2022.

**परिपत्र आदेश CO-4/22 के मुख्य बिंदु**

a. वेटरनों से संपर्क कर उनके कुशल-क्षेम एवं समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना।
b. वेटरनों के डाटा को व्यवस्थित एवं अद्यतन करना ।
c. वेटरनों की शिकायतों का निवारण।
d. प्रत्येक वर्ष वेटरन दिवस का आयोजन करना।
e. वेटरनों की अंतिम यात्रा/अंतिम संस्कार के दौरान सम्मानजनक विदाई से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश **SO-4/21** के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

**नोडल कार्यालय**

वेटरनों के डाटा संधारण एवं शिकायत निवारण हेतु 58 नोडल कार्यालयों (43 ग्रुप केन्द्रो एवं 15 द्रुत कार्य बल) को जिला-वार जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। प्रत्येक ग्रुप एवं द्रुत कार्य बल की बटालियनों में वेटरन सेल का गठन किया गया है तथा वेटरनों की शिकायतों के निवारण हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।

**वेटरन हेल्पलाइन**

वेटरनों की शिकायतों के निवारण तथा वेटरनों के निधन/अंतिम संस्कार की सूचना हेतु **व्हाट्सएप नंबर: 8595608850** वेटरन सेल में स्थापित किया गया है।

वेटरनों के पत्राचार हेतु वेटरन सेल का ई-मेल आईडी **veterancell@crpf.gov.in** भी बनाया गया है।

**Main points of CO-4/22**

a. To connect with veterans to know their well-being and problems.
b. To maintain data of veterans/updation of data of veterans.
c. To Redress the grievances of Veterans,
d. To organize veteran day every year .
e. Details guidelines on honorable farewell to Veterans during their last rites/journey has been issued in SO-4/21.

**Nodal Offices:-**

District wise responsibilities has been assigned to 58 Nodal offices (43 Group Centres & 15 RAF units) for maintenance of data of Veterans and to redressal of grievances of veterans. They have formed/set up veteran cell in each GC and RAF units and issued their helpline number of veteran cell for redressal of grievances of veterans.

**Veteran Helpline**

WhatsApp No (8595608850) is installed in Veteran cell for redressal of grievances of Veterans and information for demise of veterans/ last rites of veterans.

E-mail Id of Veteran Cell, Dte veterancell@crpf.gov.in is also created for correspondences of Veterans.

## अनुभव पुरस्कार

अनुभव पुरस्कार सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा लिखे गए उत्कृष्ट अनुभवात्मक लेखों को मान्यता देता है। इसमें केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी अपने महत्वपूर्ण अनुभवों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और प्रशासनिक सीख को साझा करते हैं। कई केरिपुबल कार्मिक इस योजना के अंतर्गत अनुभव पुरस्कार एवं जूरी प्रमाण-पत्र से सम्मानित हो चुके हैं।

**अनुभव पुरस्कार योजना:** अनुभव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मार्च 2015 में माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा शुरू किया गया था। यह प्लेटफॉर्म अनुभवी सरकारी कर्मचारियों के व्यवहारिक अनुभवों और प्रशासनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण संग्रह है।

**पात्रता:** केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSUs) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वे कर्मचारी, जो सेवानिवृत्ति से आठ माह के भीतर हों या जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के भीतर सेवानिवृत्ति ली हो, अपने अनुभवात्मक लेख प्रस्तुत कर सकते हैं।

**पुरस्कार:** इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष पाँच *"अनुभव पुरस्कार"* और दस *"जूरी प्रमाण-पत्र"* प्रदान किए जाते हैं।

- अनुभव पुरस्कार विजेताओं को पदक, प्रमाण-पत्र तथा रूपये 10,000/- की नकद राशि प्रदान की जाती है।
- जूरी प्रमाण-पत्र विजेताओं को पदक एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

**प्रस्तुतीकरण:** पात्र व्यक्ति अपने अनुभव को अनुभव पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(https://pensionersportal.gov.in/anubhav)

*******

## Anubhav Awards

The **Anubhav Awards** recognize outstanding write-ups by retiring and retired government employees, including those from the Central Reserve Police Force (**CRPF**), who share their significant experiences and best practices. Several CRPF personnel have been recipients of these awards and jury certificates.

**Anubhav Awards Scheme**

Launched in March 2015 by the Department of Pension & Pensioners' Welfare (DoPPW) on the direction of the Hon'ble Prime Minister, the 'Anubhav' online platform serves as a repository of practical insights and administrative history from experienced government personnel.

**Eligibility:** Employees of the Central Government and Central Public Sector Undertakings (CPSUs), including Public Sector Banks, who are set to retire within eight months or have retired within the past three years, are eligible to submit their write-ups.

**Awards:** The scheme confers five "Anubhav Awards" and ten "Jury Certificates" annually. Awardees receive a medal, a certificate, and a cash prize of Rs.10,000, while Jury Certificate winners receive a medal and a certificate.

**Submission:** Eligible individuals can submit their experiences through the Anubhav Portal.

(https://pensionersportal.gov.in/anubhav)

*******

# अध्याय – 14
# बल के जवानों एवं दिवंगत कार्मिकों के उत्तराधिकारियों की आर्थिक योजना व साईबर ठगी

## क) बल के जवानों एवं दिवंगत कार्मिकों के उत्तराधिकारियों की आर्थिक योजनाः-

प्रत्येक कार्मिक केंद्र/राज्य सरकार/बैंक/पोस्ट आफिस/बीमा कंपनियों के द्वारा जारी किए गये स्कीमों के बारे में भली-भांति अवगत हों एवं अपनी आय को उन स्कीमों में सुनियोजित ढ़ंग से अपने उज्जवल भविष्य हेतु निवेश करें। ग्रुप केंद्रों/यूनिट के कल्याण अधिकारियों को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है कि वे केंद्र/ राज्य सरकार/बैंक/पोस्ट आफिस/बीमा कंपनियों के द्वारा जारी किए गये स्कीमों के बारे में भली-भांति अवगत हों तथा वे कार्मिकों को सुनियोजित ढ़ंग से अपनी वित्तीय स्थिति की योजनाएं बनाने हेतु परामर्श दें। यद्यपि कार्मिकों द्वारा सुनियोजित ढ़ंग से अपनी वित्तीय स्थिति की योजनाएं बनाने हेतु कुछ मार्गदर्शी बिंदुओं का विवरण निम्नानुसार वर्णित हैः-

1. किसी व्यक्ति की आय या वेतन के आधार पर बजट तैयार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे खर्चों पर नियंत्रण बना रहता है और यह सुनिश्चित होता है कि व्यय आय से अधिक न हो। एक बार बजट तैयार हो जाने पर यह एक तत्पर संदर्भ के रूप में कार्य करता है, जो आय और व्यय का स्पष्ट एवं विस्तृत विवरण प्रदान करता है तथा यह समझने में सहायता करता है कि प्रत्येक पैसा कहाँ और कैसे उपयोग किया गया है।
2. यदि व्यक्ति अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति पाना चाहता है तो, वह अपने वित्तीय विषयों हेतु अलग से एक फाईल/फोल्डर खोल ले जिसमें लेखा एवं करों से संबंधित सभी विषयों के दस्तावेज़ सहेजकर रख सके।
3. आय का स्तर चाहे जो भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने थोड़ी सी राशि अनिवार्य रूप से बचत करनी चाहिए । जैसा कि कहा जाता है कि "**बुंद बुंद से ही सागर बनता है**"
4. स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। चाहे घर खरीदने के लिए बचत करनी हो, कम से कम एक अवकाश यात्रा की योजना बनानी हो या अपनी स्वयं की गाड़ी खरीदने के लिए बचत करना चाहते हैं, तो इस सब के लिए कैरियर की शुरूआत ही अति उत्तम समय है ।
5. कार्ड एवं अन्य देनदारियों से बचें। ध्यान रहे कि ऋणों पर ब्याज की दरें काफी ज्यादा होती हैं और यदि आप सतर्क नहीं हों तो काफी बड़ी रकम देनी पड़ सकती है। देनदारियों को अतिशीघ्र चुकता करें और उन्हें बढ़ने न दें। क्रेडिट कार्डों के विषयों में सजग रहना होगा क्योंकि वे प्रारंभ में तो खर्च करने के लिए लुभाते हैं परंतु बाद में हमारी आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ सकते हैं।

# CHAPTER-14
# FINANCIAL PLANNING BY JAWANS/NOKs OF DECEASED PERSONNEL & CYBER FRAUD

## A. Financial planning by Jawans/NOKs of deceased personnel

Every personnel should be aware about various investment schemes introduced by Central/State Governments/ Banks/Post Office/ Insurance Companies etc and they may invest the earnings in various schemes in proper manner to secure their future. Welfare Officers of Group Centres/Units have already been directed to update themselves about various investment schemes introduced by Central/State Governments/Banks/Post Offices/Insurance Companies etc., and they should advise personnel for proper financial planning. However following few guidelines are issued for financial planning by personnel:

1. Preparing a budget based on an individual's income or salary is essential, as it helps control spending and ensures that expenses do not exceed earnings. Once prepared, the budget acts as a ready reference, offering a clear and detailed record of income and expenditure, and provides a complete picture of how every paisa is utilized.
2. Every personnel should maintain a separate file / folder for all financial matters like accounts and taxes, if they want to enjoy sound financial health.
3. Regardless of the level of income, a person should set aside a small amount every month as compulsory savings. As the saying goes, ***"Little drops of water make the mighty ocean"***
4. Set clear financial goals. Whether it is saving to buy a home, planning for at least one holiday, or purchasing your own vehicle, the beginning of one's career is the best time to start.
5. Beware of credit card and other debts. Remember that interest rates on loans are exorbitant and we will end up paying huge amounts if we are not careful. Pay up debts and never let them accumulate. We have to be especially careful about credit cards which will tempt us to spend and lead to definite disaster.

6. सुनियोजित बजट योजना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम लोग सामान्यतः किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होकर उसे क्रय कर लेते हैं, वस्तुतः हमें उसकी कदापि आवश्यकता ही नहीं होती है। इस प्रकार के खर्चों से अपने आप को बचाए रखें।
7. किसी भी कागज अथवा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के पूर्व सजग रहे। किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के पूर्व उसे भली-भांति से पढ़ लें। हमें यह मालूम नहीं होता कि मध्य की लाईनों में क्या लिखा हुआ है।
8. कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसकी लत लग जाए, जोकि हमें बाद में बर्बाद कर दें। यहां पर जुआ, नशीले पदार्थों का सेवन, धूम्रपान के बारे में सचेत किया जा रहा है, जोकि स्वास्थ्य के साथ साथ आपके धन को भी नष्ट कर देगा।
9. किसी भी अनजानें एजेंटों के झांसे में न आए और न ही उनके बड़े वादों में फंसे कि आपकी राशि बहुत ही कम समय में दुगनी हो जाएगी। ऐसे छलावा देने वाले आर्थिक निवेश में वे तो अपना मोटा कमीशन ले लेंगे जबकि आपकी गाढ़े खून-पसीने की कमाई डूब जाएगी।
10. अंदाजा लगाकर उसके आधार पर निवेश करने का जुआ खेलने की प्रवृत्ति से बचें। जब कभी हम यह सुनते हैं या पता चलता है कि कहीं पर निवेश पर अच्छे रिटर्न की संभावना है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा झुकाव उधर हो जाता है परंतु याद रखें कि यदि वह बाद में खराब होता है तो हमारा निवेश डूब जाता है।
11. यदि कोई शंका हो, तो हमेशा विशेषज्ञों / उच्च अधिकारियों से राय लें।
12. केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का नियम 16 सरकारी कर्मचारियों द्वारा शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की खरीद-बिक्री (सट्टा) और निवेश को नियंत्रित करता है, जिसमें शेयर आदि के बार-बार लेनदेन पर रोक और आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन को प्रभावित करने वाले निवेश पर अंकुश लगाया गया है।

## ख) साइबर ठगी

1. साइबर अपराध एक प्रकार की आपराधिक गतिविधि है, जिसमें अवैध कार्यों को अंजाम देने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी (आइडेंटिटी थेफ्ट), हनी ट्रैपिंग, वर्चुअल गिरफ्तारी और साइबर स्टॉकिंग। साइबर अपराधी अक्सर व्यक्तियों, व्यवसायों या सरकारों को निशाना बनाते हैं, ताकि संवेदनशील जानकारी या वित्तीय संपत्तियों तक अनाधिकृत पहुँच प्राप्त कर सकें।

6. There is one sphere that we have to be really wary about as it can send all our careful budgeting for a big toss. We are talking here of impulse spending where we end up buying something that attracted that moment but was not what we really needed.
7. Always be careful while putting signatures on any paper or document. Read everything before signing. We never know what lies between the lines.
8. Try to avoid doing things that might become addictive and which may lead to ruin. We are talking here of gambling, addiction to drugs or smoking, all of which are highly dangerous and a drain on our finances.
9. Never trust an unknown agent who might call and make big promises about doubling money in record time. While they might end up with big commissions for investing our money in dud financial instruments, we will end up with nothing.

10. Try to avoid speculation and gambling. Whenever we receive or hear of super-hot tips, we might be tempted to speculate, but it would do good to remember that when that stock crashes, all our money goes with it.
11. Always consult professional / senior officers, in case of doubt.
12. Rule 16 of the CCS (Conduct) Rule, 164, governs investments, lending, and borrowing by Govt. servants. It prohibits frequent buying / selling of shares or securities (speculation) and restricts investments that embarrass or influence the discharge of official duties, such as those made through reserved quotas.

## B. Cyber Fraud

1. Cybercrime is a type of criminal activity that involves the use of digital technology to commit illegal acts. This can take many different forms, including hacking, phishing, identity theft, Honey Trapping, virtual arrest and cyber stalking. Cyber criminals often target individuals, businesses or governments with the goal of gaining unauthorized access to sensitive information or financial assets.

2. डिजिटल युग में साइबर अपराध एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इंटरनेट ने संचार, व्यापार और मनोरंजन के नए अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन इसके साथ ही अपराधियों के लिए लोगों का शोषण करने के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। पहचान की चोरी से लेकर वित्तीय धोखाधड़ी तक, साइबर अपराध एक बढ़ती हुई समस्या है जो दुनिया भर में व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को प्रभावित कर रही है।
3. इसका सामान्य उदाहरण फर्जी ई-मेल, संदेश, वेबसाइट और ऑनलाइन ठगी हैं जो पासवर्ड, ओटीपी या बैंक विवरण मांगते हैं। साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों को समझकर और उनसे बचाव के उपाय अपनाकर हम इन डिजिटल खतरों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और ऑनलाइन दुनिया को सभी के लिए अधिक सुरक्षित बना सकते हैं।

## ग) रोकथाम

साइबर अपराध को रोकना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन व्यक्ति और संगठन अपने जोखिम को कम करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

- ऑनलाइन खातों की सुरक्षा के लिए मजबूत पासवर्ड और टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करना।
- सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षा अपडेट्स के साथ नियमित रूप से अपडेट रखना।
- संदिग्ध ईमेल और फिशिंग प्रयासों से बचना।
- ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतना।
- मैलवेयर और अन्य डिजिटल खतरों से सुरक्षा के लिए एंटीवायरस और फ़ायरवॉल सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना।
- ओटीपी, एसएमएस आदि के लिए इंटरनेट सक्षम स्मार्टफोन के स्थान पर साधारण (बेसिक) मोबाइल फोन का उपयोग करने से फिशिंग, फर्जी एप्स, दुर्भावनापूर्ण, लिंक और हैकिंग के जोखिम में उल्लेखनीय कमी आती है । इससे बैकिंग एवं अन्य संवेदनशील लेन-देन अधिक सुरक्षित रते है और बेहतर नियंत्रण में होते है ।

## घ) अन्य सुरक्षा के उपाय

- पासवर्ड, ओटीपी, पिन या CVV कभी साझा न करें
- मजबूत पासवर्ड रखें (अक्षर, अंक और चिन्ह मिलाकर)
- अलग-अलग ऐप्स के लिए अलग पासवर्ड उपयोग करें
- अनजान लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें

2. Cybercrime is becoming a serious issue in the digital age. The Internet has opened up new possibilities for communication, commerce and entertainment, but it has also created new opportunities for criminals to exploit their victims. From identity theft to financial fraud, cybercrime is a growing problem affecting individuals, businesses and governments around the world.

3. Common examples include fake emails, messages, websites, and online scams that ask for passwords, OTPs, or bank details. By understanding the different types of cybercrime and taking steps to prevent them, we can work to reduce the impact of these digital threats and make the online world a safer place for everyone.

## C. Prevention

Preventing Cyber Crime is a challenging task, but there are steps for individuals and organizations that can reduce the risk of becoming a victim. These steps include:

- Using strong passwords and two-factor authentication to protect online accounts.
- Keeping software and operating systems up to date with security patches.
- Avoiding suspicious emails and phishing attempts.
- Be careful with personal information online.
- Using antivirus and firewall software to protect against malware and other digital threats.
- Using a basic phone for OTP, SMS etc instead of an internet enabled smartphone significantly reduces the risk of phishing, fake apps, malicious links and hacking. This helps keep banking and other sensitive transactions more secure and under better control.

## D. Other Safety Measures

- Never share passwords, OTPs, PINs, or CVV numbers
- Use strong passwords (mix of letters, numbers, symbols)
- Use different passwords for different apps
- Don’t click on unknown links or attachments

- वेबसाइट का URL जाँचें (https:// और सही स्पेलिंग देखें)
- "आपने इनाम जीता है" जैसे संदेशों पर भरोसा न करें
- केवल भरोसेमंद ऐप्स और वेबसाइट का उपयोग करें
- भुगतान से पहले रिक्वेस्ट को ध्यान से जाँचें
- पब्लिक Wi-Fi पर बैंकिंग या भुगतान न करें
- मोबाइल और ऐप्स को अपडेट रखें
- दो-स्तरीय प्रमाणीकरण चालू रखें
- साझा डिवाइस से लॉग-आउट करना न भूलें
- वर्चुअल गिफ्तारी पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न दें, क्योंकि कानून में "वर्चुअल गिफ्तारी" जैसी कोई व्यवस्था नही है ।
- साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत स्थानीय साइबर अपराध प्राधिकारो या आधिकारिक हेल्पलाईन को दे (टॉल फ्री संख्या 1930 पर तुरन्त कॉल करें या https://www.cybercrime.gov.in या https://www.csk.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें ।

इसके अतिरिक्त ग्रुप केंद्र/यूनिटों के कल्याण अधिकारी, बल के दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों/परिजनों को सलाह दें कि वे अपने प्राप्त धन का विभिन्न स्कीमों में उनकी अपनी जवाबदारियों एवं बच्चों के भविष्य को देखते हुए निवेश करें ताकि उसमें कोई कमी न हो और उनके भविष्य के साथ ही धन में वृद्धि भी हो और वह सुरक्षित भी रहे।

ग्रुप केंद्र/यूनिटों के कल्याण अधिकारी, केंद्र/राज्य सरकार/बैंक/पोस्ट आफिस/बीमा कंपनियों के द्वारा जारी स्कीमों के बारे में भली-भांति अवगत रहें और सुलभ चार्ट बनाकर रखें ताकि वे इससे सेवारत कार्मिकों के साथ ही साथ दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों/ परिजनों को भी सुनियोजित ढ़ंग से अपनी वित्तीय स्थिति की योजनाएं बनाने हेतु सलाह दे सकें।

सभी कार्यालयाध्यक्ष से लेकर कंपनी कमाण्डर स्तर तक के अधिकारी कार्मिको को भूमि/संपति में क्रय या निवेश के संबंध में अवश्य ब्रीफ करें । किसी भूमि या संपत्ति की कानूनी अथवा अवैध स्थिति की उचित जांच किए बिना खरीद का निर्णय भविष्य में कानूनी और वित्तीय समस्याओं का कारण बन सकता है । अतः कार्मिकों को भूमि से संबंधित आवश्यक जानकारी के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए । साथ ही यह भी अनिवार्य है कि सभी भूमि संबंधित लेन-देन उचित कानूनी सत्यापन एवं प्रमाणिक दस्तावेजों के आधार पर ही किए जाए, जिससे वित्तीय, कानूनी एवं सामाजिक समस्याओं से संरक्षण सुनिश्चित हो सकें ।

*******

- Check website URLs (look for https:// and correct spelling)
- Don't trust messages that say "You've won a prize"
- Use trusted apps and websites only
- Double-check payment requests before approving
- Avoid public Wi-Fi for banking or payments
- Keep your phone and apps updated
- Enable two-factor authentication
- Log out from shared devices
- D**o** not respond to virtual arrest as there is no virtual arrest.
- Report cyber fraud to local cybercrime authorities or official helplines (Call immediately on tollfree No. 1930 or register complaint on website https://www.cybercrime.gov.in or https://www.csk.gov.in )

In addition to above, Welfare Officers of GCs/Units should advise NOKs/Dependents of deceased personnel to invest the dues/amount received by them in various investment schemes in proper manner to settle their liabilities and to secure future of their growing children.

Welfare Officers of Group Centres and Units should update themselves about various investment schemes introduced by Central/State Governments/Banks/Post Offices/ Insurance Companies etc., and they may keep ready reckoner for advising serving personnel as well as NOKs of deceased personnel for proper financial planning to secure their future.

All HOOs up to coy commander should brief personnel about purchasing or investment on land / property etc. Decision of purchasing land or property without proper investigation whether the property is legal or illegal, can lead to legal disputes and financial problems in future. Their personnel should be aware about the land related information and it is also essential that all land related dealing should be conducted on the basis of proper legal verification and authentic documents, which will definitely ensure the protection of financial, legal and social problems.

*******